

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 25 अक्टूबर-31 अक्टूबर 2010

लेफ्ट भी एक
चुनौती है

पेज 4

ज़र और ज़मीन की
बलि चढ़ती अबलाएं

पेज 6

बाबा और
तेंदुलकर कुटुंब

पेज 12

सोना मिला, सोने
जैसे खिलाड़ी भी

पेज 15

किसी भी कीमत पर

इन्हें वोट मत दीजिए



विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, वहां जाने का अधिकार सिर्फ योग्य, कर्मठ, ईमानदार एवं जनहितैषी शख्स को है, जो नुमाइंदगी के फ़र्ज़ को बख़ूबी निभा सके। दाग़दार दामन वालों और सौदेबाज़ बहुरूपियों को विधानसभा भेजना लोकतंत्र और देश की गरिमा की सरासर अनदेखी है। बिहार की जनता को इस बार पूरी सावधानी से अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, वरना अगले पांच सालों तक हाथ मलने के अलावा उसके पास और कोई चारा शेष नहीं रहेगा।



मनीष कुमार

बिहार के चुनावों में अपराधियों का बोलबाला नज़र आ रहा है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जिन लोगों ने पांच सालों तक पार्टी के लिए खून-पसीना बहाया, उन्हें दरकिनार करके बिहार में राजनीतिक दलों ने बाहुबलियों को टिकट दिया है। राजनीतिक दलों की दलील बस यह है कि उनके जीतने की संभावनाएं ज्यादा हैं। इन राजनीतिक दलों से यह सवाल करना ज़रूरी है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि पार्टी के साधारण कार्यकर्ता चुनाव हार जाएंगे और जिनके पास पैसा और ताकत है, वे चुनाव जीत जाएंगे। समझने वाली बात यह है कि जब बाहुबली चुनाव मैदान में होंगे तो वे गांधी के सिद्धांतों पर या फिर पार्टी की विचारधारा का प्रचार करके तो वोट नहीं मांगेंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्हें अगला मौक़ा मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पचास हज़ार अपराधियों को स्पीडी ट्रायल करार जेल भेजा। यह बात भी सही है कि अपराधी तो जेल चले गए, लेकिन अपराधियों के सरगना चुनाव लड़ रहे हैं। हर राजनीतिक दल ऐसे लोगों को टिकट देने पर आमादा है, जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक है।

एक अनुमान के मुताबिक, बिहार में 44 फ़ीसदी उम्मीदवार ऐसे हैं, जिनके खिलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज हैं। अपराधियों को टिकट देने में किसी भी पार्टी ने कोई कंजूसी नहीं की है। यह आंकड़ा बड़ी-बड़ी पार्टियों द्वारा अब तक घोषित 183 उम्मीदवारों द्वारा पिछले चुनाव में जमा किए गए हलफ़नामों पर आधारित है। मतलब यह कि जब इन उम्मीदवारों ने पिछली बार चुनाव लड़ा था तो चुनाव आयोग को इन्होंने यह जानकारी दी थी। अपराधियों को टिकट देने में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है, जिसके 62 फ़ीसदी उम्मीदवारों के खिलाफ़ आपराधिक मामले चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर लोक जनशक्ति पार्टी है, जिसने 53 फ़ीसदी ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है। नीतीश कुमार के जनतादल यूनाइटेड ने 33 फ़ीसदी, लालू यादव के राष्ट्रीय जनतादल ने 31 फ़ीसदी और कांग्रेस ने 24 फ़ीसदी ऐसे उम्मीदवारों के टिकट दिया है, जिनके खिलाफ़ विभिन्न अदालतों में आपराधिक मामले चल रहे हैं। इन उम्मीदवारों में कुछ के खिलाफ़ हत्या का मामला है, कुछ के खिलाफ़ हत्या के प्रयास का। कुछ के खिलाफ़ चोरी एवं डकैती तो कुछ के खिलाफ़ अपहरण और फ़िरोती के मामले चल रहे हैं। इनमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, जिनके खिलाफ़ एक से ज्यादा मामले हैं। मतलब यह कि इन उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि ही आपराधिक है। बिहार में ऐसे ही नेताओं को बाहुबली कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि इन पार्टियों के नेता अपराधियों

सिर्फ़ वोट नहीं, मुस्लिमों की समस्याओं पर भी ध्यान दीजिए

हेरॉल्ड लॉसेवेल ने राजनीति की सटीक परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि किसने क्या, कब और कैसे पाया ही राजनीति का सही अर्थ है। इसका मतलब यह है कि राजनीति असल में सरकारी संसाधनों के बंटवारे की लड़ाई है। संसाधनों की हिस्सेदारी में किसे कब और कितना हिस्सा मिलता है, उसी से यह पता चलता है कि कौन सत्ता के नज़दीक है और कौन सबसे दूर। जिन वर्गों को सरकार से फ़ायदा होता है, जिन्हें ध्यान में रखकर सरकार योजनाएं बनाती है, वही राजनीति की मुख्यधारा में होते हैं, वही सत्ता के क़रीब होते हैं। जिन लोगों को सरकारी नीतियों एवं योजनाओं का फ़ायदा नहीं होता है, वे राजनीति के हाशिए पर होते हैं। वे सिर्फ़ चुनाव में वोट डालने वाले एक मतदाता हैं, जिनका सरकार पर न तो कोई ज़ोर होता है और न ही सरकार उनके बारे में सोचने के लिए बाध्य होती है। बिहार के मुसलमान राजनीति के हाशिए पर हैं। ऐसा महसूस कराया जाता है कि मुसलमान इन राजनीतिक दलों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, वे वादा भी करते हैं कि सरकार बनते ही सबसे पहला काम मुसलमानों की समस्याओं को निपटाने का होगा। कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने का भरोसा देता है तो कोई नाइसाफी के खिलाफ़ आवाज़ बुलंद करता है। आज़ादी हासिल हुए 63 साल हो गए। हर रंग की सरकारें आईं और चली गईं। मुसलमानों की हालत साल दर साल ख़राब होती गई। पहले सत्ता में हिस्सेदारी से गए, फिर विकास की धारा से अलग हुए और अब ज़मीन से बेदखल हो रहे हैं। बिहार में चुनाव है। हर दल खुद को मसीहा साबित करने में लगा है। उसे मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों की समस्याओं को ख़त्म करने की बात करने वाला कोई नहीं है।

भारत में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा मुसलमान बिहार में रहते हैं। अगर सरकारी और ग़ैर सरकारी आंकड़ों को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि बिहारी मुसलमानों की हालत समाज के सबसे निचले वर्ग से भी बदतर है। वह इसलिए भी, क्योंकि दलित, महादलित और पिछड़ी जातियों को सरकारी मदद मिलती है, आरक्षण मिलता है, लाल कार्ड बांटे जाते हैं, लेकिन मुसलमानों को उनकी समस्याओं से निपटने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। ग़ौर करने वाली बात यह है कि आज़ादी के वक़्त मुसलमानों की हालत

(शेष पृष्ठ 2 पर)

को चुनाव में उम्मीदवार भी बना रहे हैं, साथ ही यह भी कह रहे हैं कि राजनीति का अपराधीकरण ख़त्म हो।

बिहार देश का पहला राज्य है, जहां राजनीति का अपराधीकरण हुआ। देश में बूथ कैप्चरिंग की पहली घटना 1967 में बेगूसराय में हुई थी, उस वक़्त यह मुंगेर ज़िले का अंग था। पुलिस की ओर से गोलियां भी चली थीं और बूथ कैप्चर करने वाला एक शख्स मर भी गया था। यह वह ज़माना था, जब चुनाव में ताक़तवर लोग बैलेट बॉक्स लूट ले जाते थे और अधिकारियों से बैलेट छीनकर बोगस वोटिंग करते थे। कमज़ोर वर्ग के लोगों को पोलिंग बूथ तक जाने नहीं दिया जाता था। नेताओं को यह बात समझ में आ गई कि बिना विकास किए, बिना अपने दायित्वों को निभाए लाठी की ताक़त से चुनाव जीता जा सकता है। हर नेता अपने साथ बूथ लूटने वाले गुंडे-बदमाश जोड़ता चला गया। कई चुनावों के बाद इन गुंडों को लगने लगा कि अगर बूथ लूटने से ही चुनाव जीता जा सकता है तो वे किसी और के लिए क्यों, अपने लिए ही बूथ लूटें तो वे भी विधायक और सांसद बन सकते हैं। पहले एक बना, फिर दूसरा। धीरे-धीरे बिहार के अपराधियों ने चुनाव लड़ना अपना लक्ष्य बना लिया। आज हालत यह है कि बिहार की हर सीट पर कोई न कोई बाहुबली चुनाव लड़ने लगा है। राजनीतिक दलों ने भी इनके आगे हथियार डाल दिए हैं। इसलिए आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट मिल जाता है। इससे राज्य का सबसे ज़्यादा नुक़सान हुआ है। विकास की गति रुक गई है और राजनीति में पढ़े-लिखे लोगों का आना बंद हो गया है। लोग राजनीति को अपराध के एक रूप की तरह देखते हैं। अपराधियों का राजनीति में प्रवेश अब संस्थागत तरीके से हो रहा है। लोग पहले अपने इलाक़े में गुंडागर्दी करते हैं, अपराध की दुनिया में अपनी ख़तरनाक छवि बनाते हैं और फिर किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन जाते हैं। अपराधी इस तरह बड़ी आसानी से चुनावी राजनीति में प्रवेश करने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ़ राजनीतिक दल हैं, जिनका यह कर्तव्य है कि वे ऐसे लोगों को बढ़ावा न दें, लेकिन अफ़सोस कि वे उन्हें अपना प्रत्याशी बना रहे हैं। अब चुनाव आयोग की कड़ी निगरानी होती है। आज बिहार में छह चरणों में चुनाव इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि एक साथ पूरे राज्य में सुरक्षाबलों को लगाना मुश्किल है। अब चुनाव भी पहले की तरह नहीं होते, लेकिन समस्या यह है कि जिस तरह के लोग पहले नेताओं के लिए बूथ लूटा करते थे, वे आज खुद उम्मीदवार बन बैठे हैं। बिहार में राजनीति के अपराधीकरण के लिए राजनीतिक दल ज़िम्मेदार हैं।

राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि राजनीति और चुनावों के अपराधीकरण को रोकने का पहला दायित्व उनका ही है। सबसे पहले उन्हें अपराधियों और आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट न देने का संकल्प लेना होगा। अगर राजनीतिक दल ऐसा नहीं करते हैं तो यह मान लेना चाहिए कि वे अपने कर्तव्यों, जनता और देश के साथ धोखा कर रहे हैं। हालांकि यह मुद्दा ऐसा है कि विभिन्न राजनीतिक दल एक-दूसरे पर अपराधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि बिहार में कोई भी राजनीतिक दल दूध का धुला नहीं है, सबके दामन में दाग़ है। जो लोग राज्य में क़ानून व्यवस्था की बात करते हैं, उनसे यह सवाल करना ज़रूरी है कि उनकी पार्टी ने अपराधियों को क्यों टिकट दिया? क्या उन्हें लगता है कि जिन अपराधियों की जगह जेल में है, उन्हें विधानसभा में बैठा देने से बिहार में क़ानून व्यवस्था की हालत ठीक हो जाएगी? राजनीतिक दलों को यह भी समझना चाहिए कि ज़माना बदल रहा है। युवा वर्ग राजनीति में ईमानदार, साफ़-सुथरी छवि वाले और पढ़े-लिखे लोगों को देखना चाहता है, लेकिन राजनीतिक दल ठीक इसका उल्टा कर रहे हैं। राजनीतिक दलों से ज़्यादा उम्मीद करना भी बेकार है, क्योंकि उनके लिए चुनाव जीतना ही एकमात्र मक़सद है। भले ही इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को नाराज़ क्यों न करना पड़े, लोगों की आकांक्षाओं-आशाओं की बलि क्यों न चढ़ानी पड़े। यानी राजनीतिक दल किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहते हैं।

ऐसे माहौल में जब लोगों को ख़राब-अयोग्य उम्मीदवारों के बीच चुनाव करना पड़ता है तो वे वोट देने में रुचि नहीं लेते। उन्हें लगता है कि उनके वोट का हक़दार कोई भी उम्मीदवार नहीं है। ऐसा सोचना ग़लत है, क्योंकि इससे आपराधिक छवि वाले नेताओं को फ़ायदा होता है। वे जीत जाते हैं। अगर राजनीतिक दल अपराधियों को विधायक बनाने पर आमादा हैं तो जनता को भी फ़ैसला करना चाहिए कि चाहे जो भी हो, वह अपना वोट उसी उम्मीदवार को देगी, जो अपराधी या आपराधिक छवि वाला न हो।





ऐसा लग रहा है कि मोड़ली कानून मंत्रालय के अधिकारियों से भी पंगा लेने में कोई कोताही नहीं कर रहे.

दिल्ली का बाबू

परंपरा का अंत



धर

अब तक यह परंपरा थी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का मुखिया महाराष्ट्र केडर का कोई आईएएस अधिकारी ही होता था, लेकिन पिछले दिनों केरल केडर के एल राधाकृष्णन की इस पद पर नियुक्ति के साथ ही यह परंपरा टूट गई. सरकार ने राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगाने से पहले कई महीनों तक विचार किया. पोर्ट के पूर्व अध्यक्ष एस एस हुसैन मार्च में सेवानिवृत्त हुए थे. इसके बाद सरकार ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कई नामों पर विचार किया, जिनमें सूचना सचिव अजय भूषण पांडे और जनजातीय विकास विभाग के सचिव उत्तम खोबराबाडे भी शामिल थे, लेकिन अंतिम फैसला राधाकृष्णन के पक्ष में गया, जो इससे पहले केरल जल आयोग के अध्यक्ष थे. माना यह जा रहा है कि मौजूदा दौर में महाराष्ट्र की आईएएस लॉबी केंद्र में कमजोर हो चुकी है और इसी के चलते केरल केडर का अधिकारी इस पद को पाने में कामयाब हो सका.

सरकार की बेरुखी

ऐसा लगता है कि जम्मू-कश्मीर में न्याय का पहिया बेहद आहिस्ता-आहिस्ता घूमता है. खुद राज्य सरकार यह स्वीकार करती है कि राज्य में लोकसेवकों के खिलाफ छह सौ से भी ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं. आश्चर्य की बात यह है कि इनमें कई मामले ऐसे हैं, जिनमें मंत्री और वरिष्ठ नौकरशाह आरोपियों में शामिल हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सतर्कता आयोग फिलहाल राजनीतिज्ञों एवं नौकरशाहों के खिलाफ भ्रष्टाचार के करीब 125 मामलों की जांच कर रहा है. इनमें केंद्रीय प्रशासनिक सेवा और राज्य सेवा के कई ऐसे अधिकारी हैं, जो सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं. ऐसे अधिकारियों में पूर्व मुख्य सचिव अशोक जेटली और प्रधान सचिव रह चुके अजीत कुमार शामिल हैं. हालांकि इन दोनों के खिलाफ चल रहे मामलों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करने के मामले में राज्य सरकार अपने पैर पीछे खींचती रही है. उदाहरण के तौर पर देखें तो स्वास्थ्य विभाग के पूर्व निदेशक डॉ. मुजफ्फर अहमद के खिलाफ चल रहा मामला पिछले 11 सालों से लंबित है. जाहिर है कि भ्रष्टाचार के मामलों के तेजी से निष्पादन के लिए सरकार को शीघ्र कदम उठाने होंगे, तभी लोगों का विश्वास बहाल हो सकता है.

नौकरशाही से भिड़े मोड़ली

कानून मंत्री वीरप्पा मोड़ली और अफसरशाहों के बीच के रिश्ते पिछले कुछ समय से ठीकठाक नहीं चल रहे. पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रत्यूष सिन्हा ने सेवानिवृत्ति के समय अपने काम को थैंकलेस जॉब कहा तो मोड़ली ने खुलेआम उनकी आलोचना कर दी. अब ऐसा लग रहा है कि मोड़ली कानून मंत्रालय के अधिकारियों से भी पंगा लेने में कोई कोताही नहीं कर रहे. कम से कम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की भूमिका को लेकर कानून मंत्री और उनके मातहत अधिकारियों के बीच के विवाद से तो ऐसा ही लगता है. कानून मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि सीएजी सरकार के नीतिगत निर्णयों को चुनौती नहीं दे सकता. 2-जी लाइसेंस के मामले में दूरसंचार मंत्रालय ने इसी आधार पर सीएजी के दिशानिर्देशों को खारिज कर दिया था. मोड़ली का मानना है कि भ्रष्टाचार के मामलों को रोकने में सीएजी को और बड़ी भूमिका निभानी चाहिए. अब इस विवाद में बाजी किसके हाथ लगेगी, यह देखना अभी बाकी है.



दिलीप चेरियन

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

सुरजीत मित्रा वित्त मंत्रालय में

1977

बैच के आईएएस अधिकारी सुरजीत मित्रा अगले साल की शुरुआत में भारत सरकार में सचिव बनेंगे. उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, उन्हें वित्त मंत्रालय में सचिव बनाया जाएगा. मित्रा भी अपनी इस नियुक्ति को लेकर आश्वस्त थे.

पाठक गृह मंत्रालय पहुंचे

विहार केडर के आईएएस अधिकारी के के पाठक जल्द ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाए जाएंगे. पाठक को अशोक लवासा की जगह नियुक्त किया जाएगा.

आलोक निदेशक बनेंगे

1990 बैच के आईओएफएस अधिकारी आलोक कुमार को कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय में निदेशक बनाए जाने की संभावना है. वह एम के अरोरा की जगह लेंगे, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि खत्म हो चुकी है.

निदेशक बने नीरज

आईडीएस अधिकारी नीरज कुमार गचाजी, जो 1997 बैच के अधिकारी हैं, शीघ्र ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में निदेशक का पद संभाल सकते हैं. वह नीरज केला की जगह लेंगे, जिन्हें पब्लिक पॉलिटी मैनेजमेंट कोर्स के लिए नीदरलैंड भेजा जा रहा है.

गर्ग की जगह संजीव

3 डीसा केडर और 1997 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव कुमार मिश्रा जल्द ही भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में निदेशक का पद संभाल सकते हैं. वह सुधीर गर्ग की जगह लेंगे, जिन्हें जल संसाधन मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है.

सिर्फ वोट नहीं, मुस्लिमों की समस्याओं पर भी ध्यान दीजिए

पृष्ठ 1 का शेष

काफी बेहतर थी, लेकिन सरकारी रवैये की वजह से दूसरे समुदायों के मुकाबले मुसलमान हर क्षेत्र में पिछड़ते चले गए. बिहार में 16.5 फीसदी आबादी मुसलमानों की है. बिहार के 87 फीसदी मुसलमान गांवों में रहते हैं, सिर्फ 13 फीसदी शहर में. बिहार में मुसलमान सबसे पिछड़ा समुदाय है. गांवों की हालत खराब है. यहां गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है. खराब हालत के बावजूद गांवों में रहने वालों में जो सबसे पिछड़ा तबका है, वे भी मुसलमान ही हैं. इनमें ज्यादातर मुसलमान भूमिहीन या छोटे किसान हैं. बिहार में 28.4 फीसदी मुसलमान भूमिहीन किसान हैं. सिर्फ 35 फीसदी लोगों के पास ज़मीन है, जो आम आबादी के अनुपात में काफी कम है. बिहार में करीब 58 फीसदी ग्रामीणों के पास ज़मीन है. खेती करने वाले मुसलमानों संख्या और भी कम है. जिनके पास ज़मीन है, वह भी इतनी कम है कि उनका गुजर-बसर नहीं हो पाता. हैरानी की बात यह है कि सिर्फ तीन फीसदी मुस्लिम किसानों के पास ट्रैक्टर है और सिर्फ दस फीसदी के पास पंपिंग सेट. हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिम किसान गरीब हैं. यही वजह है कि 75 फीसदी ग्रामीण मुसलमान खेतों में मजदूरी करके अपना परिवार चलाते हैं. पिछले पांच सालों में सिर्फ .32 एकड़ प्रति परिवार की दर से 2.4 फीसदी मुसलमानों ने ज़मीन खरीदी, लेकिन .49 एकड़ प्रति परिवार की दर से 2.5 फीसदी मुसलमानों ने अपनी ज़मीन बेची है. इसका मतलब यह है कि ज़मीन के मालिकाना हक से मुसलमान धीरे-धीरे बाहर होते जा रहे हैं. बिहार के गांवों में रहने वाले मुसलमानों में 2.1 फीसदी कारीगर हैं, जिनकी वार्षिक आय महज सोलह हजार रुपये है. मतलब यह कि मुसलमान कारीगरों के परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं. बिहार में शिक्षा की स्थिति भी ठीक नहीं है.



साक्षरता दर 47 फीसदी है. पटना, रोहतास और मुंगेर इसमें सबसे आगे हैं. इन तीनों जिलों में साठ फीसदी से ज्यादा साक्षरता दर है. जबकि किशनगंज, अररिया और कटिहार सबसे नीचे हैं. यहां पर सिर्फ तीस से पैंतीस फीसदी के आसपास ही लोग शिक्षित हैं. किशनगंज और कटिहार में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है. इन्हें साल भर में सिर्फ 230 दिन ही काम मिल पाता है, बाकी के दिनों में वे बेरोजगार रहते हैं. एक दिन की कमाई 28-32 रुपये है. मतलब यह कि इनकी मासिक आय महज़ 600 रुपये है. इस कमाई से न तो घर चलाया जा सकता है और न ही इज़्जत बचाई जा सकती है. इसका मतलब यह है कि बिहार के मुसलमान गरीबी और अभावों का दंश झेल रहे हैं. एक अनुमान के मुताबिक, उनकी सालाना आय 4640 रुपये है और शहर में रहने वालों की सालाना आय 6320 रुपये है. गांव में रहने वाले मुसलमानों में से 49.5 फीसदी और शहर में रहने वाले मुसलमानों में से 44.5 फीसदी लोग गरीबी रेखा

के नीचे रहते हैं. यानी बिहार में मुसलमानों की करीब आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है. इनमें से ज्यादातर लोग कर्ज़ में डूबे हुए हैं. घर-मकान के



मामले में बिहारी मुसलमानों में शहर के लोग गांवों से बेहतर हैं. बिहार के गांवों में सभी धर्म के लोगों को मिलाकर 10.1 फीसदी लोगों के पास पक्का मकान है, लेकिन शहरी मुसलमानों में से 25 फीसदी के पास पक्का मकान है. इसका मतलब यह है कि गांव के मुसलमान धीरे-धीरे गरीब होते चले गए. उनके पास पूर्वजों के बनाए पक्के मकान तो हैं, लेकिन कमाने का ज़रिया नहीं है. अगर हम शहरों की बात करें तो दूसरे समुदाय से मुसलमानों की आर्थिक स्थिति गांवों के मुकाबले और भी ज्यादा खराब है. गांवों में मुसलमानों के पास ज्यादा पक्के मकान हैं, लेकिन शहरों में दूसरे लोगों के मुकाबले मुसलमानों के पास पक्के मकान नहीं हैं. शहर में कुल मिलाकर 57.3 फीसदी आबादी पक्के मकानों में रहती है, लेकिन 51.2

फीसदी मुसलमानों के पास पक्के मकान हैं. बिहार के शहरों में 75 फीसदी घरों में बिजली है, लेकिन मुसलमानों में 47.2 फीसदी लोगों के घरों में बिजली है. राजनीति में भी मुसलमान हाशिए पर चले गए हैं. बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायकों में से 16 मुसलमान हैं. पिछले चुनाव में कुल 2135 उम्मीदवार थे, जिनमें 235 मुसलमान थे. बड़ी पार्टियों में सिर्फ कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी ने अनुपात से ज्यादा मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया. कांग्रेस ने 23.5 फीसदी और लोक जनशक्ति पार्टी ने 20.8 फीसदी मुसलमान उम्मीदवार खड़े किए. लालू यादव के राष्ट्रीय जनतादल ने 14.9 फीसदी और समाजवादी पार्टी ने 14.3 फीसदी मुसलमान उम्मीदवार उतारे थे. जहां तक वामदलों की बात है तो उन्होंने मुसलमानों को टिकट देने में कंजूसी की. भारतीय जनता पार्टी को पूरे बिहार में एक ही मुस्लिम उम्मीदवार मिल सका. पिछली बार चुनाव में तीन बड़ी पार्टियों के पास चार-चार मुस्लिम विधायक थे. कांग्रेस सिर्फ 9 सीटें जीत पाई थी, उनमें से 4 उम्मीदवार मुसलमान थे. राष्ट्रीय जनतादल और जनतादल यूनाइटेड के पास भी चार मुस्लिम विधायक थे. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और सीपीआई एमएल के पास एक-एक विधायक था और एक मुस्लिम विधायक निर्दलीय था. ये आंकड़े सरकार के भी पास हैं. सरकार के पास यह जानकारी है कि मुसलमानों की हालत दूसरे समुदाय से कहीं ज्यादा खराब है. मुसलमानों की हालत आज ऐसी नहीं हुई है, आज़ादी के बाद से ही उनकी हालत में लगातार गिरावट आ रही है. उनकी स्थिति सुधारने के लिए सरकार को नीतिगत तरीके से आगे आना था, लेकिन किसी भी सरकार ने इसकी ज़रूरत नहीं समझी. बिहार में जिस तरह नीतीश कुमार ने महादलितों के लिए योजना बनाई, वैसी ही योजना मुसलमानों के

लिए भी ज़रूरी थी. बिहारी मुसलमानों की सुकून भरी ज़िंदगी पर ही सवालिया निशान लग गया है. ऐसे में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, मुसलमानों की संख्या ऐसी है कि वे पचास सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं. समस्या यह है कि मुसलमानों की माली हालत पर आवाज़ उठाना तो दूर, राजनीतिक दल उस पर बात करने से भी बचते हैं. अकालियत का वोट बाज़ार में नीलाम कर दिया जाता है. गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी के भंवर में फंसे बिहारी मुसलमानों को राजनीति के उस सटीक परिभाषा को याद रखने की ज़रूरत है. उन्हें राजनीतिक दलों से यह ज़रूर पूछना चाहिए कि पिछले पचास सालों में मुसलमानों को सरकारी संसाधनों में कब, किसे और कितना हिस्सा मिला है?

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

देश का पहला सामाजिक अखबार

वर्ष 2 अंक 33

दिल्ली, 25 अक्टूबर-31 अक्टूबर 2010

संपादक

संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के-2, गैरन, चौधरी बिल्डिंग, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के-2, गैरन, चौधरी बिल्डिंग कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली 110001

कंप कार्यालय एक-2, सेक्टर -11, नोएडा गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय 0120-4783999/11-23418962

विज्ञापन + 91 9810017924

प्रसार + 91 9013478398

फैक्स न. 0120-4783950

पृष्ठ-16 (+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.



हॉट सीट राघोपुर

घर के लाल और मेहमान में जंग



सरोज सिंह

राघोपुर एक बार फिर अनोखे चुनावी युद्ध का गवाह बना हुआ है। इस बार यहां घर के लाल सतीश यादव और पांच साल में एक बार दर्शन देने वाली मेहमान राबड़ी देवी के बीच आर-पार की जंग छिड़ी है। वादों और नारों से पूरा दियारा गुंज रहा है। चौक-चौराहे पर बस एक ही चर्चा है कि क्या इस बार बंधक बने राघोपुर को मुक्ति मिल पाएगी? क्या घर के लाल को उसका हक मिल जाएगा या एक बार फिर राघोपुर के लोग मेहमान नवाज़ी की धुंध में अपने जख्मों को भूल जाएंगे? लालू प्रसाद की ललकार और नीतीश के जवाबी हमले के बाद पूरे बिहार की नज़र इस हॉट सीट पर टिकी है। पटना में लालू प्रसाद ने ललकारा कि नीतीश कुमार अगर माई के लाल हैं तो राघोपुर में राबड़ी से मुकाबला करें। राबड़ी नारी नहीं, चिंगारी है। नीतीश को जवाब देना ही था, वह उन्होंने दिया भी। कहा कि राघोपुर से मेरा प्रत्याशी सतीश माई का भी लाल है और वाई का भी लाल है। सतीश ही राबड़ी को हरा देगा। दोनों बड़े नेताओं की जुबानी जंग से राघोपुर की राजनीति गरम हो गई। नीतीश कुमार ने जैसे ही सतीश यादव को वाई के लाल का तगमा दिया, अंदरखाने में यह चर्चा तेज हो गई कि नीतीश सतीश यादव को बिहार में यादव नेता के तौर पर मान्यता देने की हसरत रखते हैं। राघोपुर के यादवों पर इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि कल तक अंदरखाने बोलने वाले बहुत सारे यादव नेता अब खुलकर सतीश यादव के साथ आ गए।

पिछले चुनाव में राबड़ी देवी को 35,891 एवं सतीश यादव को 30,601 मत मिले थे। पिछला चुनाव काफी कम मतों से हारने के बाद सतीश यादव ने इलाके से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा और वह घर-घर जाकर अपने लिए समर्थन मांगते रहे। इस कारण हर जाति-वर्ग में उनकी गहरी पैठ है। सतीश की ताकत का एहसास लालू प्रसाद को था। यही वजह है कि उन्होंने राबड़ी देवी को राघोपुर के अलावा सोनपुर से भी चुनाव लड़ाने का फ़ैसला किया। लालू प्रसाद का यह दांव यहां उलटा पड़ना दिख रहा है। लोगों को लग रहा है कि राबड़ी देवी यहां कमजोर पड़ गई हैं। यही वजह है कि उन्होंने सोनपुर से भी पर्चा भर

दिया। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि राघोपुर जैसे यादव बहुल क्षेत्र पर भरोसा न किया जाए। क्षेत्र में लगी तीन महापंचायतों के जो स्वर थे, उससे यही अनुमान निकलता है कि यादवों में राबड़ी देवी को लेकर अब पहले जैसा आकर्षण नहीं है। परिसीमन के बाद हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र की जो छह पंचायतें राघोपुर के साथ जुड़ीं, वहां के मतदाता सवाल पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री और विपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने राघोपुर के लिए क्या किया? इसे सभी जानते भी हैं। राघोपुर आज भी विकास के मामले में काफी पीछे है। गौरतलब है कि इन छह पंचायतों में यादवों की संख्या अच्छी है। जहां तक राजपूत मतदाताओं का सवाल है तो इस बार उनके मन में एक बात को लेकर बहुत पीड़ा है कि दिग्विजय सिंह की विधवा पुतुल सिंह के खिलाफ लालू प्रसाद को प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए।

राजपूतों का कहना है कि लालू प्रसाद एवं प्रभुनाथ सिंह ने

राजपूतों का कहना है कि लालू प्रसाद एवं प्रभुनाथ सिंह ने खुद कई बार कहा था कि बांका में पुतुल सिंह का साथ दिया जाएगा, लेकिन अंतिम समय में जयप्रकाश यादव को वहां से राजद का प्रत्याशी बना दिया गया, जबकि जद-यू और कांग्रेस ने पुतुल सिंह का समर्थन किया है।


खुद कई बार कहा था कि बांका में पुतुल सिंह का साथ दिया जाएगा, लेकिन अंतिम समय में जयप्रकाश यादव को वहां से राजद का प्रत्याशी बना दिया गया, जबकि जद-यू और कांग्रेस ने पुतुल सिंह का समर्थन किया है। राजपूत इसे धोखे के रूप में देख रहे हैं। प्रभुनाथ सिंह राजपूत मतदाताओं के इस गुस्से को शांत करने में लगे हैं। राजपूतों को मनाने में वह कितना सफल हो पाते हैं, यह तो चुनाव के दिन ही पता चलेगा। पासवानों को लगता है कि अगर पिछले लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद के मतदाताओं ने खुलकर रामविलास पासवान का साथ दिया होता तो वह राघोपुर में न पिछड़ते। राजद-लोजपा की दोस्ती में उस वक़्त जो गांठ पड़ी थी, उसे खत्म करने की कवायद जारी है। जद-यू के पक्ष में यहां अति पिछड़े मतदाताओं की गोलबंदी राबड़ी देवी के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। इन सबके अलावा राघोपुर में इस बार जो मुद्दा सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया है, वह है घर के लाल और पांच साला मेहमान का। स्थानीय नेताओं एवं जनता की पीड़ा यह है कि राबड़ी देवी जीतने के पांच साल के बाद ही दर्शन देती हैं। पटना में उनसे सबका मिलना संभव नहीं है। उनके खासमखास भोला राय को लेकर लोगों की नाराज़गी चरम पर है।

दूसरी तरफ सतीश यादव को लोग घर के लाल के तौर पर देख रहे हैं। वे मानते हैं कि हारने के बावजूद पिछले पांच सालों से सतीश हर सुख-दुःख में उनके साथ रहे। उनसे जितना बन पड़ा, उन्होंने किया। ऐसे में उनकी मजदूरी देने का वक़्त आ गया है। सतीश यादव कहते हैं कि मैं तो घर का बेटा हूँ और बेटा मजदूरी नहीं, आशीर्वाद की चाहत रखता हूँ। परिवार की सेवा के बदले मजदूरी नहीं मांगी जाती, बस आशीर्वाद मिलता रहे। राबड़ी देवी के समर्थकों को लालू के करिश्मे पर भरोसा है। नीतीश ने राघोपुर के साथ-साथ पूरे बिहार को ठगने का काम किया है। उनका दावा है कि समय रहते रूठे लोगों को मना लिया जाएगा और एक बार फिर राबड़ी देवी की जीत होगी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राघोपुर का परिणाम चाहे जो हो, पर यह विधानसभा क्षेत्र एक रोमांचक मुकाबले का गवाह बन गया है।

feedback@chauthiduniya.com

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद प्रकरण

फ़ैसला न्याय और संविधान की भावना के अनुरूप नहीं



संदीप पाठ्य

अयोध्या मामले पर फ़ैसला आ चुका है। चारों तरफ सराहना हो रही है कि बहुत अच्छा फ़ैसला है। किसी को निराश नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह कि जो शांति व्यवस्था भंग होने का ख़तरा था, वैसी कोई अस्थिर घटना नहीं घटी। शांति व्यवस्था बनी रही। लोगों ने बड़ी संजीदगी से फ़ैसले को सुना और मामले की नज़ाकत को समझते हुए ज़िम्मेदारी का परिचय दिया। सभी मान रहे हैं कि फ़ैसला आस्था के आधार पर हुआ। न्यायाधीशों की यह मंशा थी कि विवाद का हल निकल आए। यह फ़ैसला सभी पक्षकारों को समाधान हेतु प्रेरित करने की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है, किंतु यदि संविधान की भावना या क़ानून की दृष्टि से देखा जाए तो इस फ़ैसले में दोष हैं। इस फ़ैसले का एक ख़तरनाक पहलू यह भी है कि भविष्य में इस किस्म के नए विवाद खड़े होने की आशंका पैदा हो गई है।

संविधान में भारत को स्पष्ट रूप से एक धर्म निरपेक्ष देश के रूप में परिभाषित किया गया है। हम किसी एक धर्म को मानने वालों की भावनाओं को किसी दूसरे धर्म को मानने वालों की तुलना में अधिक महत्व नहीं दे सकते। जबकि अयोध्या विवाद के फ़ैसले में ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदुओं की आस्था कि भगवान राम बाबरी मस्जिद के बीच वाले गुंबद के ठीक नीचे पैदा हुए थे, को ही आधार बना लिया गया है। क़ानून की दृष्टि से तथ्य हमेशा महत्वपूर्ण होता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में खड़ी बाबरी मस्जिद, जिसे 6 दिसंबर 1992 को सबने दहते देखा और जिसमें 1949 तक नमाज़ अदा की जाती रही हो, को हिंदुओं की आस्था के मुकाबले कम महत्व दिया गया। एक तरफ़ प्रत्यक्ष बाबरी मस्जिद थी तो दूसरी तरफ़ आस्था के अलावा न्यायालय के आदेश पर 2003 में विवादित स्थल पर कई गड़ें खुदाई में निकले एक मंदिर के कुछ अवशेष। वैसे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट में मंदिर के अवशेषों के अलावा भी खुदाई में पाई गई तमाम चीजों का जिक्र है, किंतु निष्कर्ष में मस्जिद निर्माण के पहले इस स्थल पर एक मंदिर होने की बात कही गई है, जो पुराग्रह से प्रसिद्ध लगती है। यदि मान भी लिया जाए कि बाबरी

मस्जिद बनाए जाने के पहले उस स्थल पर एक मंदिर था, फिर भी ठीक यही जगह राम जन्मभूमि है, इस बात का क्या प्रमाण हो सकता है? न्यायालय ने भी इस बात को आस्था के आधार पर ही माना है, किंतु यहां सवाल यह है कि क्या किसी न्यायालय का फ़ैसला आस्था के आधार पर हो सकता है?

अपने देश में यह व्यवस्था है कि आज़ादी के दिन जो धार्मिक स्थल जैसा था, उसे वैसा ही स्वीकार किया जाए, लेकिन अयोध्या विवाद के फ़ैसले में करीब 500 वर्षों से भी पहले बने एक मंदिर, जिसके सबूत अस्पष्ट हैं, को हाल तक अस्तित्व में रही मस्जिद की तुलना में ज़्यादा तरजीह दी गई है। एक विद्वान न्यायाधीश ने तो अपने फ़ैसले में यहां तक कह दिया कि अब विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ज्ञात हो कि मूल विवाद स्वामित्व का है। न्यायालय को 22/23 दिसंबर 1949 की रात जो रामलला की मूर्तियां राम चबूतरे से मस्जिद के अंदर रखी गईं, उस पर निर्णय सुनाना था। विवादित स्थल पर राम मंदिर बने या न बने, इस पर न्यायालय को कोई निर्णय ही नहीं करना था। वैसे भी राम मंदिर बनाने की बात तो अस्सी के दशक में पहली बार की गई थी। यह कितनी मज़ेदार बात है कि जिन बिंदुओं पर न्यायालय से निर्णय की अपेक्षा थी, उन पर कोई निर्णय न देकर वह अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर कुछ और निर्णय सुना रहा है। विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने की बात करके उक्त विद्वान न्यायाधीश ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद दह्राए जाने की घटना, जिस पर अभी एक आपराधिक मुकदमा चल रहा है, को एकाएक जायज़ ठहरा दिया है, क्योंकि यदि न्यायालय यह मानता है कि हिंदुओं की आस्था के अनुसार विवादित स्थल ही राम जन्मभूमि है और एक न्यायाधीश को यह लगता है कि वहां राम मंदिर भी बनना चाहिए तो यह राम मंदिर वहां से बाबरी मस्जिद को बिना हटाए तो बन नहीं सकता। यह रोचक होता, यदि बाबरी मस्जिद अभी भी खड़ी होती तो उक्त विद्वान न्यायाधीश क्या फ़ैसला देते?

इस फ़ैसले से भविष्य में नए विवाद खड़े हो सकते हैं। आस्था के आधार पर ग़ैर क़ानूनी कार्यवाही करके कोई भी किसी जगह पर दावा कर सकता है। ऐसी कार्यवाही सामूहिक हो और विशेषकर बहुसंख्यक समाज का समर्थन उसे हासिल हो तो न्यायालय के लिए उचित निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा। फिर अयोध्या फ़ैसला तो

एक नज़ीर बन जाएगा। इस विवाद ने देश की राजनीति को बहुत पीछे ढकेल दिया है। महंगाई एवं खाद्य निगम के गोदामों में सड़ते अनाज के संदर्भ में कृषि मंत्री का यह कहना कि भले ही अनाज सड़ जाए, किंतु ग़रीबों को नहीं दिया जा सकता, आईपीएल घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, जम्मू-कश्मीर में लोगों का असंतोष और केंद्र सरकार की नाकामी, कॉरपोरेटीकरण के चलते जगह-जगह अपनी ज़मीन बचाने के लिए संघर्ष और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे दबकर रह गए और जनमानस में अयोध्या फ़ैसले का भय व्याप्त हो गया। यह तथ्य कि फ़ैसला आने से ही शांति भंग की आशंका थी, साबित करता है कि इस मुद्दे में हिंसा के बीज छुपे हैं। पहले ही देश इस मुद्दे की वजह से हुई हिंसा का काफ़ी ख़ामियाज़ा भुगत चुका है।

असल में बाबरी मस्जिद के बीच वाले गुंबद के ठीक नीचे राम जन्मभूमि बताना ही झगड़ा खड़ा करने वाली बात है। यदि आम हिंदू, जिसकी आस्था के नाम पर फ़ैसला हुआ है, से पूछा जाए तो शायद वह यह कहे कि उसका कोई ऐसा दुराग्रह नहीं है और न ही वह कोई झगड़ा चाहेगा। यदि हिंदुत्ववादी संगठन राम मंदिर बनाने के इतने ही इच्छुक हैं तो वे अयोध्या स्थित विश्व हिंदू परिषद के स्वामित्व वाले कारसेवकपुरम की भूमि पर मंदिर क्यों नहीं बना लेंगे? क्या भगवान राम को इस बात का मलाल रहेगा कि उनका भव्य मंदिर ठीक जन्मभूमि वाले स्थान पर नहीं बना? या इसे हिंदुओं की आस्था, जो फ़िलहाल हिंदुत्ववादी संगठनों ने अपहृत कर ली है, में कोई कमी माना जाएगा? मुख्य सवाल यह है कि धर्म के नाम पर राजनीति को भारत के आधुनिक लोकतंत्र में कितनी जगह दी जाएगी? यह बात हम कब कहेंगे कि धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं होना चाहिए। अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फ़ैसला संविधान के धर्म निरपेक्ष मूल्य, क़ानून एवं न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। इससे भारत के भविष्य पर प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है।

(लेखक मैगसेसे पुरस्कार विजेता हैं)

feedback@chauthiduniya.com





बिहार का यह दुर्भाग्य है कि हर पक्ष कास्ट कैलकुलेशन में ही लगा हुआ है. सारी राजनीति इसी के इर्द-गिर्द घूमती है. अन्य जगहों पर विकास एक मुद्दा होता है.

दिल्ली, 25 अक्टूबर-31 अक्टूबर 2010

बिहार चुनाव

लेफ्ट भी एक चुनौती है

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव ए बी वर्धन देश के वरिष्ठतम और सम्मानित राजनीतिज्ञों में शुमार किए जाते हैं. देश, विदेश और राज्यों से संबंधित विभिन्न मामलों के वह अच्छे जानकार हैं. बिहार विधानसभा चुनाव का मामला हो या अयोध्या पर आए ताजा फ़ैसले का, वह हर बिंदु पर बेबाक बोलते हैं. चौथी दुनिया के समन्वय संपादक **मनीष कुमार** ने पिछले दिनों उनसे विभिन्न गंभीर मुद्दों पर एक लंबी बातचीत की. पेश हैं मुख्य अंश:

बिहार विधानसभा में पिछली बार आपके पास 10 के आसपास सीटें थीं. इस बार भी कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ रही है, आपकी रणनीति क्या है?

अखबारों को पढ़ने से तो लगता है कि मानो अभी भी बिहार में चुनाव पोलेराइज़्ड है. एक तरफ़ नीतीश कुमार एवं भाजपा और दूसरी तरफ़ लालू प्रसाद यादव एवं रामविलास पासवान. यह बात पिछले तीन-चार चुनावों में सही थी, लेकिन अब बिल्कुल सही नहीं है. अभी पोलेराइज़ेशन तो है ही नहीं. कम से कम चार ऐसी पार्टियाँ हैं, जो लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं. अपर कास्ट का थोड़ा सा हिस्सा, जो लालू प्रसाद के साथ तो कभी नहीं रहा, लेकिन पिछली बार भाजपा के चलते जद-यू के साथ था, इस बार वह कांग्रेस के साथ जाएगा, इससे इंकार नहीं किया जा सकता. इलेक्टोरल फ़ोर्स के रूप में बीएसपी बिहार में कोई बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन वह भी लगभग सभी सीटों पर लड़ रही है. चुनकर भले 3-4 सीट ले आए, लेकिन कई जगहों पर 3-4 हजार लोगों को तोड़ने की क्षमता उसके पास है. फिर इस बार तीनों मेजर लेफ्ट पार्टियाँ भी एक साथ मिलकर लड़ रही हैं. सौ प्रतिशत एकता नहीं है, लेकिन करीब 200 सीटों पर वे लड़ रही हैं और उनमें 170 सीटों में एडजस्टमेंट है. 24 सीटें ऐसी हैं, जहाँ क्लैश है. सीपीआई एमएल का सीपीआई के साथ 17 सीटों पर क्लैश है और सीपीएम के साथ 7 सीटों पर. इसे आप कम मत आंकिए, इसलिए लेफ्ट भी एक चुनौती है. मुझे नहीं लगता कि केवल दो गठबंधन ही सत्ता के दावेदार हैं. लेफ्ट को छोड़कर जितनी पार्टियाँ हैं, वे सत्ता में रह चुकी हैं, लेकिन लेफ्ट पार्टियाँ कभी राज्य में सत्ता में नहीं रहीं. बिहार का जो भी बंटोधार हुआ अब तक, उसके लिए लेफ्ट को तो कोई दोषी ठहरा ही नहीं सकता.

नीतीश कुमार के पिछले पांच साल के शासनकाल के बारे में आपकी क्या राय है?

नीतीश के शासनकाल में किडनैपिंग, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, एब्डक्शन एवं मर्डर जैसी बातें थोड़ी घटी हैं, लेकिन खत्म नहीं हुई. लालू के राज में तो मैं जब कभी पटना से मधुबनी गया तो आठ घंटे लगते थे. सड़कों की हालत बहुत खराब थी, उनकी कभी मरम्मत नहीं होती थी. लालू इतने विकास विरोधी थे कि एक बार उन्होंने बयान दिया कि बयानबाज़ी और बकवास करने में उनके जैसा कोई नहीं है. गुरीबां को सड़कों से क्या लेना-देना, सड़कें तो मोटरगाड़ियों के लिए हैं. यही उनकी विकास के प्रति समझ है. उन्हें विकास की कोई परवाह नहीं थी. नीतीश ने थोड़ा सुधार किया. लॉ एंड ऑर्डर सुधारा, लेकिन उनका यह दावा कि बिहार की विकास दर 11 प्रतिशत है, हास्यास्पद है. बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार अभी भी कृषि है और उसमें 1-2 प्रतिशत विकास है. इंडस्ट्रीज तो हैं ही नहीं बिहार में. जो सुगर मिल्स थीं, उन्हें भी नहीं खुलवाया गया. उनका दावा वैसा है, जैसा एनडीए सरकार ने इंडिया शाइनिंग का किया था और लोग कदम-कदम पर देखते थे कि इंडिया की क्या हालत है. इसलिए इंडिया शाइनिंग उनके लिए उल्टा ही पड़ा. नीतीश का भी दावा टिकेगा नहीं. नीतीश का दावा केवल छलावा है, बेवकूफ बनाने की चाल है. बिहार की जनता बैकवर्ड हो सकती है, लेकिन बिहार बड़ी संख्या में विद्वानों को भी पैदा करता है. इन पार्टियों का विरोध करने की एक हज़ार वजहें हैं. बिहार की जनता अभी अनिर्णय की अवस्था में है. वजह यह है कि नीतीश पिछले पांच साल में विकास का जो दावा कर रहे हैं, वह झूठा है. केवल 17 प्रतिशत सड़कें बनाई या मरम्मत की गईं, बाकी उसी हालत में हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार नहीं मिलता, लेकिन जब विकल्प की बात आती है तो उनके सामने लालू यादव हैं. लालू कभी विकल्प नहीं हो सकते. लोगों ने उन्हें पंद्रह साल तक देखा है, 7 साल उनके और 8 साल राबड़ी के.

इस बार बिहार में कौन से मुद्दे ज्यादा हावी रहेंगे?

बिहार का यह दुर्भाग्य है कि हर पक्ष कास्ट कैलकुलेशन में ही लगा हुआ है. सारी राजनीति इसी के इर्द-गिर्द घूमती है. अन्य जगहों पर विकास एक मुद्दा होता है. हिंदीभाषी क्षेत्रों, कुछ हद तक दक्षिण भारत में भी जाति एक फैक्टर है, लेकिन बिहार में तो सारा कैलकुलेशन ही इसी आधार पर किया जाता है, जबकि यह आज उतना बड़ा मुद्दा नहीं है. आज हर यादव लालू को वोट नहीं देता, न हर कुर्मी नीतीश का समर्थक है. जातियों के बीच आज उतनी कटुता नहीं है, जो बाबरी कांड से पहले और उसके बाद थी. इसका सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या मामले में आया फ़ैसला है. हम और आप उस पर नुकताचीनी करते हैं, जबकि वह कोई ज्यूडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं है. सभी यही कहते हैं, लेकिन लोग कहीं भी इसके लिए सड़कों पर नहीं उतरे,

मारकाट नहीं हुई. तो फिर किस पोलेराइज़ेशन की बात हो रही है, जिसका लाभ उन्हें मिल सकता है.

लेफ्ट की समस्या यह है कि उसका विरोध दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस और टीवी चैनलों तक ही सीमित होकर रह जाता है. आप अपनी लड़ाई सड़क पर क्यों नहीं लड़ते?

मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन जज़्बाती सवालों को लेकर तो हम नहीं जा सकते. बिहार में तो कमीशन बैठायी गयी, उसकी रिपोर्ट भी आई. एक हफ्ते के अंदर कह दिया गया कि हम इसे लागू नहीं करेंगे. जितने ज़मीन मालिक थे, छोटे-छोटे ज़मीन मालिक ही होंगे, लेकिन उनके लीडिंग लाइसेंस बड़े-बड़े ज़मीन मालिकों की तरह थे. जद-यू, भाजपा, कांग्रेस एवं राजद सबने विरोध किया. कमीशन की जो रिपोर्ट है, उसकी बड़ी बातों को लेकर अगर हम न भी चलें तो तीन-चार सिफ़ारिशें ऐसी हैं, जिन्हें अमल में लाने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं मानता. एक सिफ़ारिश है कि घर नहीं हैं, पांच लाख परिवार बेघर हैं, उनकी झोपड़ियाँ ज़मीन मालिकों के घरों पर बनी हुई हैं. अच्छा, तुम्हारी झोपड़ी अगर वहाँ पर बनी हुई है तो तुम कुछ अनपेड लेबर, बांडेड लेबर की तरह कुछ तो बेगार दे रहे हो? कहा गया कि इन्हें दस डेसिमल ज़मीन दीजिए. नीतीश ने कहा कि दस डेसिमल बहुत ज़्यादा होता है. अरे भाई, पांच डेसिमल ही दे दो. वह भी नहीं किया. इस मुद्दे पर तीनों लेफ्ट पार्टियाँ एकमत हैं. जब बात हुई कि किसी दूसरी पार्टी के साथ चर्चा हो सकती है या नहीं, तो द डिवाइडिंग लाइन वॉज दिस...क्या होगा, अगर ऑल अगेंस्ट दि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ लैंड्स.

सीपीआई एमएल ने बीच में एक रैली भी की थी, उस पर पुलिस का रवैया काफी चौकाने वाला था. उससे यह नहीं लगता कि जैसे-जैसे हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं... बिहार में ऐसा देखने को मिला है कि चाहे टीचर्स या स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हों, चाहे अल्पसंख्यक हों अथवा कोई भी प्रोटेस्ट करता है तो उस पर पुलिस डंडा चलाती है.

एव्रीथिंग इज मेड बाइ द पुलिस. मैं वह जो लैंड रिकॉर्ड कमीशन की बात कर रहा था. 1971 में, फिर 1977 में और एक बार 1960 में. तीन बार हमने बड़े-बड़े लैंड स्ट्रगल किए. अभी भी अगर आप जाएंगे तो मधुबनी में पार्टी कार्यालय के सामने या बेगूसराय में करीब सौ-सौ माटियर्स के नाम आपको लिखे मिल जाएंगे. वह ज़मीन उनके कब्ज़े में अभी भी है, जो हम लोगों ने वितरित की. सब छीन नहीं सके. लालू ने दो बार वादा किया कि जिनके पास ज़मीन है, वही उसके मालिक होंगे, लेकिन अभी तक कोई पर्चा नहीं मिला. इस वजह से कब्ज़े में होते हुए भी ज़मीन उनकी नहीं है. किसानों को क्रेडिट मिलने के लिए ज़मीन मिलना आवश्यक

है. फिर लालू ने पर्चे बांट दिए. जिन्हें पर्चे बांटे, उनकी ज़मीन कहाँ है, कोई नहीं जानता. यानी पर्चा विदाउट ज़मीन और ज़मीन विदाउट पर्चा. हमने कहा कि यह तीर लड़ाई तो कर लो कि ज़मीन किसी के कब्ज़े में है और पर्चा दिया है दूसरे को. फेनटेसिस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपकी क्या राय है?

सबसे बड़ी पॉलिटिक्स तो कांग्रेस और राहुल की है, जो यूथ को अपील है. किस यूथ को? जिनके बाप एमपी, एमएलए और मंत्री रह चुके हैं, उनके लड़के-लड़कियाँ और भतीजे-भांजे? वे ही अगली जेनेरेशन के हैं. बिहार में लालू ने कितने टिकट बांटे, यह तो नहीं जानता, लेकिन उनका बेटा उत्तराधिकारी ऐलान हो गया. इन दलों की न कोई राजनीति है, न कार्यक्रम और न आइडियोलॉजी. लोगों के बीच आखिर क्या संदेश जाएगा?

एक और मुद्दा बिहार के लिए खास है कि हर पार्टी नंबर बढ़ा रही है कि उसने कितने हार्डकोर अपराधियों को...वह भी कोई छोटे-मोटे नहीं, लूट-बलात्कार जैसे बड़े-बड़े अपराध करने वालों को टिकट...

वह तो फिगर आ गया है कि किसके कितने उम्मीदवार ऐसे हैं. राहुल जी ने भी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि लवली आनंद और पप्पू यादव को टिकट कैसे और कौन से एथिक्स के तहत दिया गया. भाजपा वाले भी उतने ही हैं जितने कांग्रेस के. ये जो दल हैं, दे आर ऑनली फाइटिंग फॉर पावर. और अगर पावर में रहकर रिटायर होने का वक़्त आ गया तो वेते को अपनी जगह कर देते हैं. यही राजनीति का तरीका है.

इस बार लेफ्ट एलायंस को कितनी सीटें मिलेंगी?

मैं इस पर कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता. जो भी लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव में तो दो ही अल्टरनेटिव हैं, तीसरा नहीं है. या तो आप जीतोगे या हारोगे. हर कोई कोशिश करेगा. मनी प्लेज ए बिग रोल, उस मामले में बहुत कमज़ोर रहे हैं हम.

आप उस पीढ़ी के नेता हैं कि जो आप कहते हैं, लोग उसे सुनते हैं और गाड़िंग लाइज़्ड हैं, जहाँ पॉलिटिक्स वॉज बेसिकली बेस्ड ऑन एथिक्स, आइडियोलॉजी. वतौर उदाहरण आप लोगों की चर्चा हम अपने साथियों से करते हैं...

मैं पहली दफा 1957 में चुनकर आया. माय टोटल एक्सपेंडिचर वॉज वन थाउजेंड एट हंड्रेड. पार्लियामेंट में जब खड़ा हुआ थर्ड इलेक्शन में, 1967 या 72 में, उसमें माय एक्सपेंडिचर वॉज वन लेक एंड टू थाउजेंड. अभी तो आप इमेजिन नहीं कर सकते. करोड़ से नीचे सवाल ही नहीं है. हम कहां से करोड़ रुपये लाएंगे? **बाबरी मस्जिद मामले में मुसलमानों को क्या कदम उठाना चाहिए?**

यह जो फ़ैसला है, मुसलमान इससे सबसे ज़्यादा निराश हैं. दोनों पक्षों में किसी के पास साक्ष्य नहीं हैं, बस फेथ. कैसे कह रहे हैं कि यह उनकी जगह है, क्योंकि हिंदुओं की मान्यता है कि राम वहीं पैदा हुए थे. विश्वास पर केवल अगर आप निर्णय करो तो क्या होगा. इसलिए हिंदू हो या मुसलमान, मैं दोनों कम्युनिटी की समझदारी को दाद देता हूँ कि कोई मैदान पर नहीं उतरा. यह पंचायत जैसा फ़ैसला है. बीपी राव का भी यही विचार है, यही विचार हिस्टोरियंस का भी है. मैं कहता हूँ कि थोड़ा-थोड़ा करके ले लो. हालांकि इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी एविडेंस...इन्हें दो हिस्से और उन्हें एक हिस्सा, क्या? इसका भी कोई जस्टीफिकेशन नहीं. लेकिन लोगों ने समझदारी दिखाई और किसी तरह उन तक यह बात पहुंची कि जो प्रोसेस है, वह यही है. आपसी समझौते से तो नतीजे तक पहुंच नहीं सकते और आपसी समझौता होगा, इस पर मेरा विश्वास भी नहीं है, क्योंकि अब एक सीमा बांध दी गई है, तुम भी थोड़ा ले लो और तुम भी. मेरा मानना है कि अब जब सब सुप्रीमकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं तो वहाँ विश्वास और फेथ पर आधारित फ़ैसले से बचा जाए.

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरह आगे जा रही हैं, जिस तरह आपने सिंगूर आदि की चर्चा की और सीपीएम की आलोचना की, आपको नहीं लगता कि सीपीएम की नीतियों या समस्याओं के कारण आप लोगों को भी भुगतना पड़ता है?

पश्चिम बंगाल में तीस-चौतीस सालों में लेफ्ट फ्रंट से सबसे बड़ी जो गलती हुई, वह है सिंगूर, नंदीग्राम. लोगों को लगा कि उन्हें जिन्होंने ज़मीन दी थी, वही अब उनसे ज़मीन वापस छीनना चाहते हैं. हम फ्रंट में हैं तो फ्रंट में रहेंगे. ममता बनर्जी का हमला सीपीएम के खिलाफ़ है, उसे देखते हुए हम आपस में दूर नहीं होने देंगे. बेशक एक ही नाव के ज़रिए हैं, लेकिन एक ज़माने में क्रेडिट के हिस्सेदार रहे हैं. थोड़ा-बहुत जो अटैक है, उसका भी सामना करने में हिस्सेदार रहेंगे. इस राजनीतिक दबाव को समझना चाहिए.



**NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
GOVERNMENT OF INDIA**



Envisioning a Safer and Disaster Resilient India



During an Earthquake... **DROP ! COVER! HOLD!!**

IMPORTANT FACTS TO BE REMEMBERED

- Run towards an open space
- If unable to move outside, bend and take shelter under a table
- Guard your head with some strong object
- Rush and stand in a corner and save your head



DURING AN EARTHQUAKE

- * Don't panic and remain calm
- * Wait there till shaking is stopped
- * Move away from windows, mirrors, bookcase and other unsecured heavy objects
- * Do not use elevators instead take the staircase to reach open space



AFTER AN EARTHQUAKE

- * After the first tremor, be prepared for after shocks
- * Help injured or trapped persons
- * Remember to help the people who may require special assistance - infants, elderly and people with disabilities
- * Stay out of damaged buildings

To avoid risks - Make your building strong - Seek technical advice

ज़र और ज़मीन की बलि चढ़ती अबलाएं

विभिन्न राज्यों में आए दिन प्रकाश में आने वाले डायन हत्या के मामले देश के विकास के गुलाबी आंकड़ों की पोल खोल रहे हैं. ऐसी घटनाओं के पीछे एक सोची-समझी साज़िश है, जिसके तहत अंधविश्वास की आड़ लेकर नेता, प्रधान, दबंग एवं प्रशासन की चौकड़ी दलित और गरीब तबके का शोषण कर रही है.

▶▶ संपत्ति हड़पने के लिए बनाया जाता है डायन.

▶▶ हर साल 200 महिलाओं को जान गंवानी पड़ती है.



राजेश एस कुमार

छ ह सितंबर, 2010. पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर ज़िले का तिलना गांव. एक आदिवासी को गांव वाले पीट-पीटकर मौत के घाट उतार देते हैं. मृतक हेमब्रम सोम का कसूर यह था कि वह एक ऐसी महिला का पति है, जिसे गांव के लोग डायन मानते हैं. हेमब्रम की पत्नी है मालो हांसदा. गांव के एक तांत्रिक के मुताबिक वह डायन है. नतीजतन, गांव के लोग इस परिवार के लिए सज़ा तय करते हैं. पति के लिए सज़ा-ए-मौत और मालो के लिए गांव छोड़ने की सज़ा. लेकिन यह कहानी अभी अधूरी है. इस पूरे प्रकरण का असली सच कुछ और है. दरअसल, आदिवासी बहुल तिलना गांव में तीन लोगों की अस्वाभाविक मौत हो जाने से गांव का एक दबंग परिवार ग्रामीणों को लेकर कुशमुड़ी के एक तांत्रिक के पास जाता है और उसके कहने पर लोग मालो को डायन मान लेते हैं. कुछ ही दिनों बाद उस दबंग के पुत्र की बीमारी से मौत हो जाती है और दोष इस परिवार के मत्थे मढ़ दिया जाता है. पंचायत में कथित डायन दंपति पर 5,934 रुपये जुर्माने और एक बीघा जमीन दबंग के नाम लिखने का निर्णय लिया जाता है. जुर्माने की राशि तो सोम अदा कर देता है, पर जमीन देने से मना कर देता है. परिणामस्वरूप उसके पूरे परिवार की जमकर पिटाई की जाती है. जमीन के कागजात पर जबरिया दस्तखत करा लिए जाते

▶▶ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और हरियाणा भी आगे.

हैं और परिवार को गांव छोड़ने का फरमान जारी कर दिया जाता है. पिटाई के दौरान सोम की मौत हो जाती है और उसकी तथाकथित डायन पत्नी गंभीर रूप से घायल. पुलिस ने भी महज़ खानापूरी की और इसे अंधविश्वास का मामला बताते हुए उसने प्राथमिकी दर्ज कर ली. कुछ दिनों पहले एक ग़ैर सरकारी संस्था रूरल लिटिगेशन

एंड एनटाइटिलमेंट केंद्र द्वारा किए गए अध्ययन में बताया गया है कि भारत में हर साल 150-200 महिलाओं को चुड़ैल या डायन होने के आरोप में अपनी जान गंवानी पड़ती है. इस मामले में सबसे ज़्यादा कुख्यात है खनिजों के मामले में पूरे देश में टॉप पर रहने वाला उत्तर भारतीय राज्य झारखंड. यहां प्रति वर्ष 50-60 महिलाओं को डायन कहकर मार दिया जाता है. दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जहां करीब 30 महिलाएं डायन के नाम पर बलि चढ़ा दी जाती हैं. इसके बाद हरियाणा और उड़ीसा का नंबर आता है. इन दोनों राज्यों में भी हर साल क्रमशः 25-30 और 24-28 महिलाओं की हत्या कर दी जाती है. इस तरह पिछले 15 वर्षों के दौरान देश में डायन के नाम पर लगभग 2500 महिलाओं की हत्या की जा चुकी है. ये वे आंकड़े हैं, जो किसी तरह प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज हो गए. जबकि सर्वविदित है कि सुदूर अंचलों में प्राथमिकी दर्ज कराना किसी आम आदमी के लिए कितना मुश्किल और जोखिम भरा काम है. हकीकत में इन आंकड़ों का स्वरूप और वृहद हो सकता है.

महिलाओं की हत्या के जितने भी मामले दर्ज होते हैं, उनमें अधिकांश की वजह उनका डायन होना बताया जाता है, जबकि कहानी कुछ और होती है. इन हत्याओं के पीछे कई तरह के षड्यंत्र होते हैं. कोई किसी की ज़मीन-संपत्ति हड़पने के लिए डायन का खेल खेलता है तो कोई अपना बाहुबल दिखाने के लिए. कोई वोट बैंक की खातिर तो कोई बदला लेने के लिए. इस खेल में एक दबंग परिवार अंधविश्वास का सहारा लेकर पूरे तबके और क्षेत्र को अपने साथ मिला लेता है. जैसा तिलना गांव में सोम के मामले में हुआ. अपने बच्चे की मौत

▶▶ झारखंड सबसे ज़्यादा कुख्यात और पहले नंबर पर.

के एवज में दबंग सोम की ज़मीन हड़पना चाहता था. अगर किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो क्या उसकी भरपाई आदिवासी की ज़मीन करेगी? व्यक्तिगत फायदे के लिए किसी को भी डायन घोषित कर दिया जाता है. इस बात की गवाही रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटिलमेंट केंद्र (आरएलइके) के मुखिया अवधेश कौशल भी देते हैं. उनके मुताबिक, ज़्यादातर पीड़ित अकेली रहने वाली विधवा महिलाएं हैं, जो ज़मीन या संपत्ति के लिए निशाना बनाई जाती हैं. विधवा या तलाक़शुदा महिलाएं जब गांव के दबंगों की कामेच्छा का विरोध करती हैं तो अक्सर उन्हें डायन घोषित कर दिया जाता है. उन्हें जलील करने के लिए निर्वस्त्र करके गांव में घुमाने, मैला खिलाने, बाल नॉचने और नाखून उखाड़ देने जैसे अमानवीय कृत्यों को अंजाम दिया जाता है. ज़्यादातर मामलों में महिलाएं अपमानित होने के बाद खुद ही आत्महत्या कर लेती हैं.

गौर करने वाली बात यह है कि डायन सदैव दलित या शोषित समुदाय की ही महिला होती है. ऊंचे तबके की महिलाओं के डायन होने की बात शायद ही सुनने को मिलती हो. डायन होने-मानने का अंधविश्वास आदिवासियों में ज़रूर रहा है. वजह, आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था और जंगल के अभाव में वे अपना इलाज समुचित ढंग से नहीं कर पाते. पर इस तबके में कभी संपत्ति और दबंगई का मामला नहीं देखा गया. लेकिन तिलना गांव जैसे मामले शिक्षित समाज में व्याप्त लालच की वीभत्स कहानी बयां करते हैं. हम यह नहीं कहते कि आदिवासियों में इस तरह की घटनाएं उचित हैं. आदिवासियों को भी यह बताने की ज़रूरत है कि डायनों ने उन्हें नुक़सान नहीं पहुंचाया. नुक़सान तो उन्होंने पहुंचाया, जिन्होंने उन्हें न्यूनतम नागरिक सुविधाओं-शिक्षा, सड़क, बिजली और मानवाधिकारों से वंचित रखा. शिक्षित तबके को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सोए हुए लोगों को तो जगा सकते हैं, पर उन्हें नहीं, जो सोने का ढोंग कर रहे हैं. इन मामलों की तह तक जाने और आपसी रंजिश की राजनीति को समझने की ज़रूरत है. सरकार को चाहिए कि वह ऐसी वारदातों की रोकथाम के लिए केंद्रीय स्तर पर कोई सख्त क़ानून बनाए. झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में इस संदर्भ में क़ानून बनाया गया है, लेकिन उसका पालन शायद ही कभी हुआ हो. अगर इस मामले में किसी को दोषी करार भी दिया जाए तो सबसे बड़ी सज़ा मात्र तीन महीने की कैद है. ऑनर किलिंग के नाम पर देश को सिर पर उठा लेने वाला मीडिया, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी और ग़ैर सरकारी संगठन भी इस मुद्दे को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं. ज़रूरत इस बात की है कि अंधविश्वास को परे हटाकर डायन किलिंग की असलियत समाज के सामने लाई जाए और बताया जाए कि यह सिर्फ़ असरदार लोगों का ग़दा खेल है, डायन का नाम तो बस एक बहाना है.

मेरी दुनिया... कॉमनवैल्थ खेल की बधाई! ...धीर

सुरेश कलमाडी जी, बधाई हो!
कॉमनवैल्थ खेल ठीक-ठाक संपन्न हो गए.

ही..ही..ही... थैंक यू, अब मैं बहुत खुश हूँ.

इसकी खुशी तो सारे देश को है. हमारे खिलाड़ियों ने इतने सारे पदक जीत कर दुनिया में भारत की इज़्ज़त और अधिक बढ़ा दी है.

नहीं यार, मेरे खुश होने की वजह कुछ और है.

देखो, इस खुशी के जश्न में लोग मेरे कुकर्मों को भूल जायेंगे. मेरे खिलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोप, ख़राब व्यवस्था के आरोप, ज़्यादा पैसा देकर सामान ख़रीदने व काम कराने के आरोप, पैसों की हेरा-फेरी के आरोप और टिकट बिक्री में घोटाले के आरोप...लोग अब भूल जायेंगे. मैं चैन से फिर किसी नए खेल की प्लानिंग कर सकूंगा. हा..हा..!!

कलमाडी जी, बहुत से लोग आप से मिलने आए, अभी और आयेंगे. कैसा लग रहा है?

सबसे मिल कर मुझे बहुत खुशी हो रही है.

वैसे अब आपसे मिलने वालों में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे मिलकर शायद आपको खुशी न हो.

क्या? कौन हैं वो लोग?

सी.बी.आई. अधिकारी, इनकम टैक्स अधिकारी और ऑडिटर्स!!



शहरी लड़कियों की अपेक्षा गांव की इन लड़कियों में समझ कहीं ज्यादा है और ये काम पर ध्यान देती हैं. वीरबालाओं ने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की, बल्कि अपनी कार्यक्षमता भी साबित कर दी.

शेखावाटी की आधी आबादी घूंघट विकास में बाधा नहीं



वीरबाला प्रोजेक्ट से जुड़ी युवतियां

सभी फोटो-प्रभात पाण्डेय

पर्दा अच्छा होता है या नहीं. इस पर अलग-अलग राय हो सकती है. लेकिन, यह तय है कि पर्दा किसी के विकास में बाधा नहीं बनता. यह साबित किया है, शेखावाटी की उन ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों ने, जिन्हें अपनी परंपरा पर नाज़ है. इनकी सफलता एक संदेश है. उनके लिए भी जो पर्दा प्रथा को महिला-विरोधी बताते हैं. विकास में बाधक समझते हैं.



शशि शेखर

राजस्थान अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्वविख्यात है. यह परंपरा और संस्कृति आज भी यहां की ग्रामीण महिलाओं एवं युवतियों की बदीलत ज़िंदा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पर्दा और परंपरा के आगे इनके सपनों का कोई मोल

साल पहले गुमानी देवी ने समूह से दस हजार रुपये का कर्ज़ लिया और अपने बेटे के लिए सब्जी एवं किराना की एक छोटी सी दुकान खोल ली. खुद घरों में खाना बनाने का काम शुरू किया. दुकान और खुद की कमाई से सबसे पहले कर्ज़ चुकाया. बेटे को पढ़ाया-लिखाया. फिर 2009 में समूह से बीस हजार रुपये का कर्ज़ लेकर बेटे के दुकान को और बढ़ाया. आज हालत यह है कि कभी दो वक्त की रोटी के लिए तरसने वाले परिवार की माली हालत तो सुधरी ही, समाज में मान-सम्मान भी बढ़

अलग. ऐसे में मोरारका फाउंडेशन ने इन युवतियों के लिए डाटा एंट्री की ट्रेनिंग शुरू की, वह भी उनके गांव में, उनके घर पर ही. इसके तहत युवतियों को कंप्यूटर हाईवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में ट्रेनिंग दी गई. इसके बाद इन्हें जैविक खेती करने वाले किसानों की फार्म डायरी (इसमें किसानों द्वारा उत्पादित फसल की जानकारी होती है) के बारे में जानकारी देते हुए उसके रिकॉर्ड को कंप्यूटर में फीड करने की ट्रेनिंग दी गई. इन युवतियों को फाउंडेशन ने वीरबाला का नाम दिया. इन्हें काम करने के

महिला सशक्तिकरण की यह कहानी यहीं नहीं थमती. गरीब महिलाओं यानी जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है और जिनके लिए बरसात के दिनों में खाना बनाना किसी मुसीबत से कम नहीं होता, के लिए फाउंडेशन ने सांझा रसोई केंद्र की नींव रखी. इस केंद्र पर 4-5 परिवारों की महिलाएं एक साथ आकर खाना बनाती हैं. केंद्र पर एलपीजी रसोई गैस की व्यवस्था है. इस केंद्र से न सिर्फ महंगे ईंधन की समस्या का समाधान हुआ है, बल्कि गांव की कुछ महिलाओं को रोज़गार भी मिल गया है. एक महिला एक केंद्र चलाती है, जिससे उसे कुछ मासिक आमदनी हो जाती है.

नहीं है. नवलगढ़ तहसील के एक गांव सिंहासन का ही उदाहरण लीजिए, मीनाक्षी कंवर नामक युवती घूंघट में तो है, लेकिन लैपटॉप पर उसकी उंगलियां बेहिचक चल रही हैं. हेडफोन पर एक किसान से बात करते हुए वह पूरा व्योरा लैपटॉप पर दर्ज़ कर रही है. इस डाटा का इस्तेमाल किसानों को कृषि संबंधी जानकारी देने के लिए किया जाएगा. अब भला यह देखकर किसे अच्छा नहीं लगेगा. यही नहीं, ढाणी मझाओं गांव के नारायण सांझा रसोई केंद्र पर महिला सशक्तिकरण का असली मतलब समझा जा सकता है. वहां एक साथ 7-8 महिलाएं एलपीजी से जलने वाले चूल्हे पर खाना बना रही हैं. बिमला एक गरीब महिला है. वह रोज़ यहां आकर अपने परिवार के लिए खाना बनाती है. नवलगढ़ के वाई नंबर 24 में चल रहे स्वयं सहायता समूह यहां की गरीब महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं. प्रतिदिन की छोटी-मोटी बचत उनके लिए सुनहरे भविष्य की नींव तैयार कर रही है.



गया. गुमानी देवी कहती है कि अगर मोरारका फाउंडेशन ने रास्ता न दिखाया होता तो हमें यह शहर छोड़कर कहीं बाहर जाना पड़ता.

यह कहानी तो एक गरीब महिला के आर्थिक तौर पर सशक्त होने की है. इसके अलावा नवलगढ़ युवतियों के सामाजिक सशक्तिकरण का भी गवाह बन रहा है. वह भी एक ऐसे समाज की युवतियों के लिए, जिसमें सदियों से चली आ रही पर्दा प्रथा आज भी उतनी ही मजबूती से जारी है. नवलगढ़ के सिंहासन गांव में वीरबाला प्रोत्साहन प्रोजेक्ट के तहत राजपूत समाज की युवतियों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है. राजपूत समाज की युवतियां आमतौर पर घर से बाहर नहीं निकलतीं. ऊपर से पर्दा

लिए कंप्यूटर भी दिया गया. प्रशिक्षण कार्यक्रम की देखरेख कर रहे फाउंडेशन के मुकेश गुप्ता बताते हैं कि इन युवतियों को ट्रेनिंग देना बहुत ही सुखद अनुभव रहा. मुकेश कहते हैं कि शहरी लड़कियों की अपेक्षा गांव की इन लड़कियों में समझ कहीं ज्यादा है और ये अपने काम पर ज्यादा ध्यान भी देती हैं. पिछले एक साल में इन वीरबालाओं ने डाटा एंट्री के काम को सफलतापूर्वक करते हुए न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की, बल्कि अपनी कार्यक्षमता भी साबित कर दी. अब ये इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर रही हैं. ये किसानों से फोन पर बात करती हैं और उनसे जुड़ी सूचनाएं एक जगह फीड करती हैं. बाद में इन सूचनाओं का इस्तेमाल उन्हीं किसानों के फायदे के लिए किया जाता है. इस साल भी इस प्रोजेक्ट से करीब 12 युवतियां जुड़ी हैं.

महिला सशक्तिकरण की यह कहानी यहीं नहीं थमती. गरीब महिलाओं यानी जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है और जिनके लिए बरसात के दिनों में खाना बनाना किसी मुसीबत से कम नहीं होता, के लिए फाउंडेशन ने सांझा रसोई केंद्र की नींव रखी. इस केंद्र पर 4-5 परिवारों की महिलाएं एक साथ आकर खाना बनाती हैं. केंद्र पर एलपीजी रसोई गैस की व्यवस्था है. इस केंद्र से न सिर्फ महंगे ईंधन की समस्या का समाधान हुआ है, बल्कि गांव की कुछ महिलाओं को रोज़गार भी मिल गया है. एक महिला एक केंद्र चलाती है, जिससे उसे कुछ मासिक आमदनी हो जाती है. झुंझुनू एवं सीकर जिले के नवलगढ़, जांटवाली, तैतरा, कटराथल, बलवंतपुरा, मंझाऊ और सिंगनीर में फाउंडेशन ने सांझा रसोई गैस योजना के तहत एलपीजी गैस एवं चूल्हे वितरित किए. इससे गांव के गरीब परिवारों को बतौर ईंधन लकड़ी के इस्तेमाल से छुटकारा मिला और महिलाओं को धुएं से. ऐसे ही एक केंद्र नारायण सांझा गैस रसोई की मुखिया शरबती देवी बताती हैं कि इससे कम समय, कम लागत, कम परेशानी, कम श्रम के साथ खाना तैयार हो जाता है और आय भी हो रही है. अपनी कमाई का इस्तेमाल वह स्वयं सहायता समूह में बचत द्वारा अपना और अपने परिवार का भविष्य संवारने के लिए करती हैं.

shashishkhar@chaudhidyamya.com

इन योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी और सहायता के लिए संपर्क करें
ती.बी. बापना
महा प्रबंधक
मोरारका फाउंडेशन, वाटिका रोड, जयपुर-302015
मोबाइल-09414063458
ईमेल-vbmorarka@yahoo.com.



सांझा रसोई केंद्र पर खाना बनाती महिलाएं



अल्पसंख्यकों के कल्याण के मामले में आज भले ही राज्य का अल्पसंख्यक आयोग पीछे छूट गया हो, पर कभी मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग पूरे देश में मॉडल बनकर उभरा था।



मेघनाद देसाई

भारतीय राजनीति में धर्म निरपेक्षता एक छलावा

प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर ने पिछले दिनों एक बड़े मार्के की बात कही। उन्होंने कहा कि एक मुसलमान होने के चलते वह कभी धर्म निरपेक्ष हो ही नहीं सकते। धर्म निरपेक्षता का मामला तो केवल हिंदुओं तक सीमित है, मुसलमान तो बस मुसलमान हैं। मेरे नज़रिए से उन्हें एक और बात इसमें जोड़ देनी चाहिए थी। उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि आम लोगों को अपनी धर्म निरपेक्षता साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह काम तो राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि धर्म निरपेक्षता अब विचारधारा की चीज नहीं रह गई, बल्कि वह स्वार्थ सिद्धि और अवसरवादिता तक सीमित होकर रह गई है।

अयोध्या मामले पर फ़ैसला आने के बाद भारतीय राजनीति की वास्तविक त्रासदी सतह पर आ गई। देश की आम जनता पर इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। उसके लिए यह अदालत का एक फ़ैसला भर था और इसी रूप में उसने इसे स्वीकार भी किया। समस्या तो राजनीतिक पार्टियों के साथ है, जो इसके बाद से घबराई हुई हैं। इसकी वजह यह है कि आम लोगों के लिए धर्म कोई खास अहमियत नहीं रखता, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण रोज़ाना की ज़िंदगी से जुड़े अन्य मुद्दे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए धर्म का मतलब वोट बैंक है। तथाकथित धर्म निरपेक्ष पार्टियाँ अपने रुख को लेकर असमंजस में हैं। वे यह नहीं तय कर पा रही हैं कि फ़ैसले को मुस्लिम हितों के खिलाफ़ घोषित करें या फिर ज़िम्मेदार संगठन का नज़रिया अपनाते हुए इसे सबको ख़ुश करने वाला बताएं। यहां मुद्दा धार्मिक आस्था या अदालत का फ़ैसला नहीं है, असली मुद्दा तो आगे होने वाले चुनाव हैं। सबसे बड़ी समस्या देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के साथ है। इसमें अभी भी कई ऐसे लोग हैं, जो धर्म निरपेक्षता की नेहरूवादी विचारधारा के समर्थक हैं। उनके लिए राजनीति में धर्म के लिए कोई जगह नहीं है और इसकी कोई चर्चा तक उन्हें मंजूर नहीं। पार्टी का यह धड़ा सवाल खड़े कर रहा है कि जजों ने कानूनी मामले में हिंदुओं की धार्मिक आस्था को आधार बनाकर फ़ैसला



क्यों दिया? लेकिन यह विवाद तो तीन साल पहले यूपीए के पहले कार्यकाल में ही ख़त्म हो गया था, जब तत्कालीन कानून मंत्री ने राम सेतु मामले में सुप्रीम कोर्ट में यह माना था कि सरकार राम के अस्तित्व और उनके दैविक चरित्र को स्वीकार करती है। कांग्रेस पार्टी के अधिकतर सदस्य धर्म निरपेक्षता की दुहाई देते हैं, लेकिन इसका एकमात्र मक़सद मुस्लिम वोट बैंक को समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल से दूर रखना है। नेहरू के जाने के बाद से धर्म निरपेक्षता के प्रति नज़रिए में काफी बदलाव आ चुका है। मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना पहली प्राथमिकता बन गया। सलमान रश्दी के सैटेनिक वर्सन को प्रतिबंधित कर दिया गया। डेनमार्क में बनाए गए पैगंबर मोहम्मद के कार्टूनों की भर्त्सना की गई।

कांग्रेस के तथाकथित धर्मनिरपेक्षवादियों ने उस समय यह नहीं कहा कि कुरान की कुछ आयतों की सच्चाई पर रश्दी ने जो सवाल उठाए हैं, उन्हें इतनी आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे पर अभी भी बहस जारी है, खासकर मिस्र में। यह मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि पैगंबर मोहम्मद के अभिचित्रण को लेकर कुरान में कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि कुरान में लिखे शब्द ख़ुद अल्लाह के ही हैं। हदीथ में केवल एक वाक्य ऐसा है, जिसे प्रतिबंध के समर्थन में उद्धृत किया जाता है, लेकिन शिखा मुस्लिम इसे स्वीकार नहीं करते। पैगंबर के चित्रों वाले सिक्के उनकी मौत के पांच सौ साल बाद तक आसानी से उपलब्ध थे। फिर भी यदि प्रतिबंध की बात मान लेंगे तो शांति बनी रहती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि ऐसा है तो हिंदुओं

की धार्मिक आस्था की बातों, जैसा कि अयोध्या में राम के जन्म का मामला है, चाहे वह अतार्किक ही क्यों न हो, को मानने से परहेज क्यों? और यदि हम सामाजिक शांति बनाए रखने के नाम पर हर धार्मिक समुदाय के अतार्किक विश्वासों को मानने के लिए तैयार हैं तो फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच फ़र्क क्या रह जाता है? धर्म निरपेक्षता का मतलब केवल मुस्लिम वोटों के लिए मची धमाचौकड़ी है या फिर यह सिद्धांत से जुड़ा मुद्दा है?

भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लचीला रवैया अपनाना खासा मुश्किल काम है। अदालत का फ़ैसला आने के बाद पार्टी के नेताओं को मंदिर बनने की संभावना नज़र आने लगी तो वह फ़ैसले का गुणगान करने लगे। वे चाहते तो इसी तर्ज पर मस्जिद निर्माण का प्रस्ताव भी रख सकते थे, लेकिन विवेकशीलता के बजाय उन्होंने अपने हिंदू वोट बैंक को सुरक्षित रखने की रणनीति अपनाई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के इस फ़ैसले के बाद यदि देश की राजनीतिक पार्टियाँ धर्म निरपेक्षता के मुद्दे पर अपनी बचकाना लड़ाई को किनारे करने में कामयाब होती हैं, तभी भारतीय राजनीति की दशा और दिशा में किसी अच्छे बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। विचारधारा के नाम पर इस फ़र्जी विभाजन के पीछे काफी ऊर्जा खर्च हो रही है, जबकि एक सर्वसम्मत सरकार का होना आज समय की ज़रूरत बन चुका है। आर्थिक और सामरिक मामलों में चीन हमसे लगातार आगे निकलता जा रहा है। बाल्टिस्तान में नई संरचनाओं का निर्माण कर वह हमारे दरवाजे तक पहुंच चुका है, जबकि 62 साल बीत जाने के बावजूद हम आज तक कश्मीर में रेलवे नेटवर्क का निर्माण नहीं कर पाए हैं। पिछले कुछ सालों में चीन ने तेज गति वाले कई रेल ट्रेक बनाए हैं, लेकिन हम इस मामले में भी पीछे हैं। भारतीय राजनीति में विभाजन की शुरुआत 1989 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद हुईं। मंदिर-मस्जिद विवाद ने इस विभाजन को और गंभीर बना दिया, लेकिन अब यह समय आ चुका है कि हम इन विभाजनों को ख़त्म करें। आज ज़रूरत इस बात की है कि देश की बागडोर मजबूत राजनीतिक पार्टियों के हाथों में हो।

feedback@chauthiduniya.com

अल्पसंख्यक आयोग के प्रति सरकारों की बेरुखी



ज़ाहिद ख़ान

मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सभी काम असें से रुके पड़े हैं। शिकायतें और मामले दर्ज होना सभी कुछ बंद है। शिकायतें अगर दर्ज भी हो रही हैं तो उनका निराकरण वक़्त पर नहीं हो पा रहा है। शिकायती आवेदनपत्र तो किसी तरह जमा हो जाते हैं, लेकिन उनके निराकरण के लिए बेंच गठित करने और उन पर फ़ैसला लेने का काम फिलवक़्त बंद है। स्थिति यह है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं के प्रस्ताव शासन को भेजने और उनकी समीक्षा का कार्य सूबे में लगभग ठप्प है। एक वजह आयोग का अध्यक्षविहीन होना भी है। आयोग के पिछले अध्यक्ष का कार्यकाल 23 अक्टूबर, 2008 को ख़त्म हो गया था। सबसे लेकर आज तक यह पद खाली पड़ा है। 2 साल होने वाले हैं, लेकिन राज्य की भाजपा सरकार को आयोग की बिल्कुल सुध नहीं है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग शायद दूर तक उसकी प्राथमिकताओं में नहीं है।

मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996 के मुताबिक, आयोग के चेयरमैन को ही मीटिंग बुलाने और आवेदनों पर निर्णय करने का अधिकार है। ज़ाहिर है, जब आयोग में चेयरमैन ही नहीं होगा तो कार्रवाई कौन करेगा? अध्यक्ष के अभाव में आयोग पूरी तरह पंगु बनकर रह गया है। नियमित समीक्षा न होने के कारण केंद्र सरकार की योजनाओं का फ़ायदा अल्पसंख्यकों को नहीं मिल पा रहा है, जबकि यह आयोग का ही दायित्व है कि वह सूबे के अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण की पहल करे। मामला सिर्फ़ शिकायतों की दर्जगी और उनके निराकरण तक ही सीमित नहीं है, बीते तीन सालों में न तो आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन बना है और न उसे विधानसभा के पटल पर रखा गया। मालूम हो कि आयोग हर साल 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार के सामने पेश करता है, जिसे विधानसभा के पटल पर रखा जाता है। प्रतिवेदन में आयोग द्वारा साल भर के दौरान की गई गतिविधियों और कार्यकलापों का ब्योरा होता है। जब सूबे में आयोग किसी भी तरह सक्रिय नहीं है, न कोई गतिविधि, न कोई कार्य तो वार्षिक प्रतिवेदन किसका बनेगा और कैसे बनेगा, यह बात आसानी से समझी जा सकती है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के मामले में आज भले ही राज्य का अल्पसंख्यक आयोग पीछे छूट गया हो, पर कभी मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग पूरे देश में मॉडल बनकर उभरा



था। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के दौरान आयोग के आठ सूत्रीय अल्पसंख्यक कल्याण एजेंडे ने देश के अंदर मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान बनाई थी। राज्य अल्पसंख्यक आयोग की अनुशंसा पर उस वक़्त राज्य सरकार ने कई अहम फ़ैसले लिए, जो आगे चलकर मील का पत्थर साबित हुए। मसलन मदरसा बोर्ड का गठन, अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के लिए पृथक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की स्थापना, वक़फ़ संपत्तियों के विवादों के निराकरण के लिए वक़फ़ ट्रिब्यूनल की स्थापना, मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए मदरसा आधुनिकीकरण योजना, जैन समुदाय को राज्य में अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करना, दंगा पीड़ितों के आश्रितों की शासकीय सेवाओं में भर्ती, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को नए स्कूल-कॉलेज खोलने के लिए नियमों में छूट, उर्दू भाषा की तरक्की के लिए उर्दू शिक्षकों के नए पदों को मंजूरी और नियुक्ति। यही नहीं, सेंट्रल वक़फ़ एक्ट 1995 को अपने यहां लागू करने के मामले में भी मध्य प्रदेश सबसे अक्ल नंबर पर था।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बाद जब देश के विभिन्न राज्यों में अल्पसंख्यक आयोगों का गठन किया तो उसके पीछे एकमात्र मक़सद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, उनके साथ हो रही घटनाओं की निष्पक्ष जांच और उनसे जुड़ी सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार आदि था। सरकार अपने मक़सद में बहुत हद तक कामयाब भी रही, लेकिन कई राज्यों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मौजूदा स्थिति यह है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा बार-बार कहने के बावजूद 13 राज्यों ने अपने यहां अभी तक अल्पसंख्यक आयोग गठित नहीं किया है। इनमें गुजरात, उड़ीसा और हरियाणा अक्ल नंबर पर है। जबकि गुजरात और उड़ीसा दो ऐसे राज्य हैं, जहां बीते एक दशक के दौरान अल्पसंख्यकों को काफी उत्पीड़न झेलना पड़ा, मगर अफसोस की बात यह है कि इस मामले में मोदी और नवीन पटनायक सरकारें कोई क़दम नहीं उठा रही हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मणिपुर जैसे राज्यों ने अपने यहां अल्पसंख्यक आयोग तो गठित कर लिए, लेकिन उन्हें संवैधानिक अधिकारों से लैस नहीं किया। ज़ाहिर है, बिना संवैधानिक अधिकारों के उक्त आयोग महज़ सजावटी दरबार बनकर रह गए हैं।

हालांकि अल्पसंख्यक आयोग के ज़िम्मे अल्पसंख्यकों के खिलाफ़ किसी भेदभाव की वजह से पैदा होने वाली समस्याओं का अध्ययन, उन्हें दूर करने के लिए उपायों की सिफारिश, राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रभावी उपायों की सिफारिश, उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास से संबंधित विषयों का अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करना आदि महत्वपूर्ण कार्य हैं, लेकिन आयोग में अल्पसंख्यकों से संबद्ध सभी समस्याएं-मामले आते रहते हैं। इसाफ़ की आस में लोग अल्पसंख्यक आयोग के दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं। ज़ाहिर है, ऐसे में आयोग के अभाव में अल्पसंख्यकों को उपयुक्त फोरम में अपनी बात कहने का मौक़ा नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है, इससे आयोग की समूची कार्यप्रणाली प्रभावित है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मणिपुर में राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिकार विहीन हैं। नतीजतन इनका गठन जिन उद्देश्यों के लिए किया गया था, वे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। अब आखिरी उम्मीद केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से बंधती है कि वे इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करें, वरना इन राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग के प्रति सरकारों की बेरुखी बदनुर जारी रहेगी।

(लेखक अल्पसंख्यक मामलों के जानकार हैं)

feedback@chauthiduniya.com

बिहार चुनाव पर उत्कृष्ट प्रस्तुति

चौथी दुनिया का 4-10 अक्टूबर का अंक मिला। बिहार विधानसभा चुनाव पर मनीष कुमार के विश्लेषणात्मक आलेख ने आंखें खोल दीं। इसमें अंदरखाने की वास्तविक तस्वीर पर बख़ूबी रोशनी डाली गई है। साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों को सत्ता प्राप्ति के लिए दी गई बेहतरीन टिप्स उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ एक सच यह भी जुड़ा है कि सोते हुए शख्स को जगाना आसान है, पर जगते हुए जगाना असंभव। सुना यह था कि कांग्रेस के होनहार युवा नेता राहुल गांधी एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने किसी निजी एजेंसी से बिहार की सभी विधानसभा सीटों का गुप्त सर्वेक्षण कराया था, लेकिन टिकट वितरण को लेकर मची उठापटक और मारामारी ने सर्वे की सच्चाई जगज़ाहिर कर दी। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा में देरी से यह भी स्पष्ट हुआ कि सभी एक-दूसरे से डरे हुए थे। अगर जद-यू और भाजपा हाईकमान अपने कथित विकास के बलबूते जीत के प्रति आश्वस्त थे तो उन्हें बाहर से नेताओं के आयात की ज़रूरत न पड़ती। सच तो यह है कि राजग की बिहार शाईनिंग की मार्केटिंग पर कांग्रेस का काला साया मंडराता रहेगा। वहीं लालू-राबड़ी के 15 सालों के जंगलराज की वापसी का हौवा राजग के लिए कितना लाभकारी साबित होगा, यह तो भविष्य बताएगा। कांग्रेस के पक्ष में होने वाले मत विभाजन, कई पार्टी सांसदों द्वारा विभीषण की भूमिका में आने और ज़मीनी कार्यकर्ताओं की नाराज़गी के कारण नीतीश कुमार की राह इस बार आसान नहीं है। बिहार चुनाव सिर्फ़ नीतीश, लालू और राहुल की नहीं, यह राज्य की जनता के लिए भी अगिनपरीक्षा है। वह अगर फेल हुई तो पूरे 5 साल तक उसे भुगतना पड़ेगा।

-डॉ. सुरील कुमार गुप्त, खगड़िया, बिहार.

कॉमनवेल्थ खेलों की महिमा

कॉमनवेल्थ खेलों को हम पहले ऐरा-गैरा खेल आयोजन समझते थे, लेकिन जब वे हमारे देश आए तो पता चला कि इनकी महिमा सबसे न्यारी है। जबसे वे भारत आए हैं, इन्होंने हमारे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। अब देखिए न, जो मीडिया कल तक आईपीएल की माला जपता था, वह अब कॉमनवेल्थ खेलों की जय-जयकार कर रहा है और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि वह हर साल एक ऐसा ही आयोजन करा दे, जिससे कम से कम छह महीने तक कहीं और झांकने की आवश्यकता न पड़े। क्रिकेट बोर्ड की तो हालत ख़राब है। उसे डर है कि यदि ऐसे विशाल विश्व प्रसिद्ध (विवादित) आयोजन होते रहे तो इस देश से कहीं आईपीएल का बिस्तर ही न गोल हो जाए। जो पिता अपने बेटे-बेटी को खेलों की ट्रेनिंग के लिए जाते देख दोहरा हो जाता था, उसने अब साफ-साफ़ हिदायत दे दी है कि अगर खेलना है तो खेल मत खेले, बल्कि खेलों से खेलना सीखो, क्योंकि उसमें नाम और दाम दोनों हैं। कॉमनवेल्थ खेलों की महिमा देखकर सरकारी अधिकारी नेताओं की चमचागिरी कर रहे हैं कि बस एक बार ऐसे आयोजन की किसी छोटी-मोटी समिति में उनकी गोटी फिट हो जाए तो वे भी गंगा नहा लें और थोड़ा पुण्य (माल) कमा लें। उधर नेता जी हंस तो रहे हैं, पर अंदर ही अंदर तंद्र की तरह सुलगे हुए हैं। उन्हें अफसोस है कि वह आयोजन समिति में आखिर क्यों नहीं थे। अगर एक बार समिति में घुस जाते तो जीवन में फिर कभी कोई घोटाला करने की आवश्यकता न होती। लेकिन नेता जी अच्छी तरह जानते हैं कि अब अफसोस करने से क्या फ़ायदा, जब सारे बाज चिड़िया बनकर खेत चुग गए। अब तो शरीफ़ बनकर इन घोटालों के खिलाफ़ ही आवाज़ उठानी चाहिए। भले ही कुछ न हो, लेकिन कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल ही जाएगी। कॉमनवेल्थ खेलों की महिमा का सार यह है कि जो खेत चुग गया, वह आपका था और आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ़ खड़े होकर ताली बजाते हुए इतना ही कह सकते हैं कि वाह, क्या खेल है!

-अरुण गौड़, हापुड, उत्तर प्रदेश.

गाजापट्टी बनता कश्मीर

अब तक की केंद्रीय सरकारें कश्मीर मामले में लगातार गलतियां करती रही हैं। गृहमंत्री चिदंबरम ने विदेशी ताकतों के दबाव में गुपचुप ढंग से अलगाववादियों से चार्ता करके उनका हौसला बढ़ाया। जॉर्ज बुश के भारत आगमन पर थलसेना अध्यक्ष की चेतावनी के बावजूद संवेदनशील मोर्चे से सेना हटाई गई। इसके अलावा 26/11 की घटना को सुरक्षा परिषद में ले जाकर नेहरू की गलती दोहराई गई।

-नित्यांद संह, अधिवक्ता, धनबाद, झारखंड.

रिक्शा बंद क्यों हो?

गरीब आदमी का जीवन बहुत कठिन होता है। रिक्शा चलाकर ये लोग दो जून की रोटी का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। इसलिए रिक्शा बंद करना अक्लमंदी का काम नहीं है। आज हर तरफ़ प्रदूषण की मार है, ऐसे में इन प्रदूषण रहित वाहनों पर रोक का कोई औचित्य समझ में नहीं आता।

-सुनीता शर्मा खत्री, स्वतंत्र पत्रकार.

केंद्र सरकार ज़िम्मेदार

बरोनी, बिहार स्थित हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र कारखाना केंद्र सरकार का है और राज्य सरकार इसे चालू नहीं कर सकती। रामविलास पासवान जब केंद्र में मंत्री थे तो उन्होंने पहल की थी। अगर अब तक यह कारखाना नहीं खुल सका है तो इसकी वजह जानने के लिए सवाल नीतीश कुमार से नहीं, रामविलास पासवान से पूछे जाने चाहिए।

-आशीष झा, नई दिल्ली.

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें। संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301 ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com



एक कातिल को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। वह भले ही इस निर्णय से असहमत हो, परंतु उसे निर्णय को हर हालत में स्वीकार करना होगा।

चौथा दिनिया

दिल्ली, 25 अक्टूबर-31 अक्टूबर 2010

9



संतोष भारतीया

जब तोप मुक़ाबिल हो

यह बिहार की जनता की अग्निपरीक्षा है

बि

हार चुनाव सिर्फ़ नीतीश कुमार, लालू यादव और रामविलास पासवान के लिए नहीं, बल्कि राज्य के लोगों के लिए भी एक अग्निपरीक्षा है। बिहार के लोगों को अब यह तय करना है कि अगली विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व कौन लोग करेंगे, ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता या फिर पैसे वाले? पढ़े-लिखे लोगों को विधानसभा भेजा जाएगा या फिर गुंडे और अपराधिक छवि वाले लोग चुनाव जीतेंगे? बिहार की जनता के सामने ऐसे कई सवाल हैं, जिनका जवाब उसे देना है। क्या इस बार चुनकर आए विधायकों पर यह भरोसा किया जा सकता है कि वे अगले पांच सालों तक राज्य के लोगों की समस्याओं को दूर करने का दायित्व निभा पाएंगे? प्रजातंत्र को मज़बूत करने और उसे चलाने की ज़िम्मेदारी राजनीतिक दलों पर होती है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह के उम्मीदवारों को टिकट दिया जा रहा है, उससे लोगों का विश्वास उठता जा रहा है।

चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी ने अपराधियों और समाज में खराब छवि वाले लोगों को टिकट दिया है। ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है, जो पैसा खर्च कर सकते हैं, जिनके पास विरोधियों को हराने का बाहुबल है। और जो सही लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हैं, जिन्होंने सालोंसाल अपना खून-पसीना एक करके अपनी पार्टी को मज़बूत बनाया है, उसे खड़ा किया है, उन्हें अनदेखा कर दिया गया। यही वजह है कि हर पार्टी को अपने प्रतिद्वंद्वियों से ज़्यादा अपने बागियों से खतरा पैदा हो गया है। अफ़सोस की बात यह है कि जनता के किसी भी बुनियादी सवाल और सामाजिक-आर्थिक मुद्दों का असर इस चुनाव में नहीं दिख रहा है। हर राजनीतिक दल का ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ चुनाव जीतने के समीकरणों पर है। अशिक्षा, बेरोज़गारी, बीमारी और भ्रुखमरी जैसी समस्याओं पर किसी का ध्यान नहीं है। विभिन्न राजनीतिक दलों से यह सवाल किया जाना चाहिए कि पिछले पांच सालों के दौरान राज्य विधानसभा में कितनी बार स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोज़गारी और महंगाई जैसे सवालों पर बहस हुई? जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वे इन मुद्दों को गंभीरता से उठाने की काबिलियत रखते हैं? इस सवाल पर भी गौर किया जाना चाहिए।

बिहार की राजनीति में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है भाई-भतीजावाद का। हर राजनीतिक दल में नेता अपने बेटे-बेटियों, बहुओं या रिश्तेदारों को टिकट देने-दिलाने में जुटे हैं। सिर्फ़ छोटे ही नहीं, बड़े नेताओं के बीच भी ऐसी होड़ चल रही है। परिवारवाद का हर पार्टी में बोलबाला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सी पी ठाकुर ने अपने पद से इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि उनके बेटे को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। जब उपचुनाव

हुए थे तो नीतीश कुमार सत्रह में सिर्फ़ पांच सीटें ही जीत पाए थे। वैसे उनकी इस बात के लिए तारीफ़ होनी चाहिए कि तब उन्होंने सांसदों और विधायकों के रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिया था। अब जब पूरे राज्य में चुनाव हो रहे हैं तो वह वैसा साहस नहीं दिखा सके।

राज्य के मुसलमान मतदाताओं के सामने भी चुनौती है। एक तरफ़ लालू यादव और रामविलास पासवान हैं, जिन्हें अब तक अल्पसंख्यकों का समर्थन मिलता आया है। दूसरी तरफ़ नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी है, जो उन्हें लुभाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस भी है, जो राज्य में संगठन की बागडोर एक मुस्लिम को सौंपकर मुसलमानों को वापस अपने खेमे में लाना चाहती है। बाबरी मस्जिद के

मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला मुसलमानों के खिलाफ़ गया है। अच्छी बात यह है कि देश की जनता ने एक परिपक्व प्रतिक्रिया दी और सांप्रदायिक संगठनों की कोशिशों के बावजूद पूरा देश शांत रहा। मुसलमानों की सुरक्षा के अलावा एक और सच यह है कि देश के दूसरे राज्यों के मुक़ाबले बिहार के मुसलमानों की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। बिहार के मुसलमान सबसे ज़्यादा ग़रीब हैं। वे भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चों को शिक्षा मिले, नौकरी मिले और समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा मिले। भागलपुर दंगा जैसी घटनाएं फिर से न हों, यह भी हर मुस्लिम मतदाता सोचता है। ग़रीबी, बेरोज़गारी, अशिक्षा और असुरक्षा के माहौल में मुसलमानों को इस चुनाव में फ़ैसला लेना है। बिहार में चुनावों के दौरान मुस्लिम वोटों के ठेकेदार पैसा ले लेते हैं, जो हर पार्टी से सौदा करते हैं। मुसलमानों को वोटों के इन दलालों से बचना होगा, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से चुनाव के बाद मुसलमानों से जुड़े मुद्दे गायब हो जाते हैं। मुसलमानों की संख्या बिहार में अच्छी-ख़ासी है। वे क़रीब पचास सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को उठाने वाला सही आदमी चुनाव नहीं जीत पाता है। इसलिए ज़रूरी यह है कि उन उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए, जो मुसलमानों के मुद्दों को उठा सकें, उनका समाधान निकाल सकें। चाहे वे किसी भी पार्टी के हो।

बिहार के चुनाव कुछ मायनों में बिल्कुल अलग होते हैं। यहां चुनाव में बाहुबल और धन का ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है। चुनाव पर जाति का असर सबसे ज़्यादा देखा जाता है। उम्मीदवार चुनने से लेकर नतीजा आने तक चुनाव जाति के रंग में सराबोर रहता है। पोलिंग बूथ पर क़ब्ज़ा करने या उन्हें लूटने की घटनाएं आम बात हैं। चुनाव आयोग के लिए बिहार में चुनाव कराना कश्मीर से ज़्यादा परेशानी का सबब है। आजकल राजनीतिक दल गांवों में शराब बांटने लगे हैं, उनके उम्मीदवार खुलेआम पैसे बांटते देखे जा रहे हैं। लोगों को इस प्रवृत्ति के खिलाफ़ खड़ा होना चाहिए, अन्यथा बिहार में लोकतंत्र दलाल तंत्र, कड़ु तंत्र और राइफल तंत्र में बदल जाएगा। बिहार के लोगों को यह समझना होगा कि एक जवाबदेह सरकार बनाने की ज़िम्मेदारी खुद उनकी है। इसलिए वोट देते वक़्त उन्हें यह याद रखना ज़रूरी है कि यदि अच्छे लोग नहीं चुने गए तो उनका अपना भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अगर अभी नहीं चेंते तो फिर चेतने का कोई मतलब नहीं होगा। बिहार के लोगों से हम यही आशा करते हैं कि वे पार्टियों के दायरे से ऊपर उठकर उन्हें चुनेंगे, जिनमें समझदारी होगी, जिनमें ज्ञान होगा, जिनमें देशप्रेम होगा और जो लोकतंत्र के प्रति समर्पण होंगे।

बिहार के चुनाव कुछ मायनों में बिल्कुल अलग होते हैं। यहां चुनाव में बाहुबल और धन का ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है। चुनाव पर जाति का असर सबसे ज़्यादा देखा जाता है। उम्मीदवार चुनने से लेकर नतीजा आने तक चुनाव जाति के रंग में सराबोर रहता है। पोलिंग बूथ पर क़ब्ज़ा करने या उन्हें लूटने की घटनाएं आम बात हैं। चुनाव आयोग के लिए बिहार में चुनाव कराना कश्मीर से ज़्यादा परेशानी का सबब है।

संपादक

editor@chautiduniya.com


इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय

गौर वैज्ञानिक सोच और अंधविश्वास को बढ़ावा

भारत का संविधान लागू होने के बाद से आज तक न्यायपालिका के किसी निर्णय पर शायद ही इतनी परस्पर विरोधी प्रतिक्रियाएं हुई हों, जितनी हाल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच द्वारा अयोध्या मामले में दिए गए निर्णय पर हुईं। जहां अनेक लोग निर्णय का स्वागत कर रहे हैं, वहीं ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है, जो उसे ग़लत ठहरा रहे हैं। सारा देश सांस रोककर इस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट इस निर्णय की घोषणा 24 सितंबर को करने वाला था, परंतु इस बीच सुप्रीमकोर्ट ने निर्णय की घोषणा पर रोक लगा दी और अंततः यह निर्णय 30 सितंबर को सुनाया गया। 24 और 30 सितंबर को पूरे देश में जिस पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था की गई, वह अभूतपूर्व थी। क्या हम इतने असहिष्णु एवं अनुशासनहीन हैं कि न्यायपालिका के निर्णय को भी नहीं पचा सकते? हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार हम संसद के फ़ैसलों से असहमत हो सकते हैं, हम कार्यपालिका के निर्णयों से भी असहमत हो सकते हैं और उन्हें अस्वीकार कर सकते हैं, परंतु न्यायपालिका के किसी निर्णय से भले ही हम असहमत हों, लेकिन हमें उसे स्वीकार करना ही होता है। एक कातिल को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। वह भले ही इस निर्णय से असहमत हो, परंतु उसे निर्णय को हर हालत में स्वीकार करना होगा।

बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था का एक कारण यह संदेह था कि शायद समाज का एक हिस्सा न सिर्फ़ निर्णय को अस्वीकार कर देगा, वरन् अपना आक्रोश प्रगट करने के लिए हिंसा का सहारा लेगा। यदि ऐसी स्थिति बनती तो उस पर नियंत्रण पाने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसका अर्थ बहुत साफ़ है। यह कि जहां एक व्यक्ति असहमत होते हुए भी न्यायालय के निर्णय को स्वीकार कर लेता है, परंतु समाज ऐसा नहीं करता। यह इस बात का परिचायक है कि आज़ादी हासिल होने के 63 वर्षों बाद भी हम एक परिपक्व राष्ट्र नहीं बन सके हैं। निर्णय के दिन सुरक्षा की इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था थी कि यह उम्मीद करना स्वाभाविक था कि लोग बिना डरे अपनी दैनिक गतिविधियां चालू रखेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 30 सितंबर को व्यापारियों ने दुकानें बंद कर लीं, दोपहर बाद सरकारी कार्यालय सूने हो गए, अधिकांश स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई और लोग अपने घरों से नहीं निकले। सड़कों पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और पतंग उड़ा रहे थे। यहां तक कि अस्पतालों में मरीज नहीं आए और डॉक्टरों एवं नर्सों की उपस्थिति भी कम रही। अदालतें भी सूनी रहीं। यह स्थिति क्या इस बात की परिचायक नहीं है कि आम लोगों को सरकार और उसके द्वारा किए गए सुरक्षा बंदोबस्त पर भरोसा नहीं है? उन्हें यह विश्वास नहीं है कि कोई अप्रिय घटना होने पर पुलिस उनकी रक्षा कर पाएगी।

आमजनों को यह आशंका थी कि यदि कहीं भीड़ एकत्र हो जाएगी तो पुलिस उसके सामने आत्मसमर्पण कर देगी। आम जनता और शासन के बीच अविश्वास की यह खाई चिंताजनक है। जहां तक न्यायपालिका का सवाल है तो पिछले कुछ वर्षों में उसकी प्रतिष्ठा में भारी गिरावट आई है। न्यायपालिका पर पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप आदिन लगते रहते हैं। कुछ न्यायाधीशों को भ्रष्ट आचरण के कारण बर्खास्त भी किया गया। इस निर्णय के संदर्भ में कुछ लोगों का यह मानना है कि यह न्यायिक निर्णय नहीं, वरन् न्यायपालिका द्वारा सभी का तुष्टीकरण करने की कोशिश है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि निर्णय करते समय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। संविधान में निहित प्रावधानों के अनुसार, आम लोगों में वैज्ञानिक



सोच को बढ़ावा देने का उत्तरदायित्व राज्य को सौंपा गया है और न्यायपालिका भी राज्य का हिस्सा है। आज भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी अंधविश्वास के दलदल में फंसी हुई है। अंधविश्वास के कारण आज भी गांवों में किसी भी औरत को टोहनी-डायन बताकर इस संदेह में मार डाला जाता है कि उसके कारण गांव पर कोई विपत्ति आ सकती है। यह दुःख की बात है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि विवादित स्थल ही राम की जन्मभूमि है। अदालत ने यह बात इस आधार पर कही कि हिंदुओं की आस्था के अनुसार राम का जन्म ठीक उसी स्थल पर हुआ था। पहली बात तो यह है कि सभी हिंदू यह नहीं मानते कि राम वहीं पैदा हुए थे। इसलिए अदालत ज़्यादा से ज़्यादा यह कह सकती थी कि कुछ हिंदुओं की आस्था के अनुसार राम का जन्म ठीक उसी स्थल पर हुआ था। यह भी सही है कि सभी हिंदू यह नहीं मानते कि राम वहीं पैदा हुए थे। इसलिए अदालत ज़्यादा से ज़्यादा यह कह सकती थी कि कुछ हिंदुओं की आस्था के अनुसार राम का जन्म ठीक उसी स्थल पर हुआ था। पहली बात तो यह है कि सभी हिंदू यह नहीं मानते कि राम वहीं पैदा हुए थे। इसलिए अदालत ज़्यादा से ज़्यादा यह कह सकती थी कि कुछ हिंदुओं की आस्था के अनुसार राम का जन्म ठीक उसी स्थल पर हुआ था। यह भी सही है कि सभी हिंदू यह नहीं मानते कि राम वहीं पैदा हुए थे। इसलिए अदालत ज़्यादा से ज़्यादा यह कह सकती थी कि कुछ हिंदुओं की आस्था के अनुसार राम का जन्म ठीक उसी स्थल पर हुआ था।

फिर यह भी तय किया जाना है कि राम भगवान थे या इंसान। यदि वह भगवान थे तो भगवान न तो पैदा होते हैं और न मरते हैं। यदि संघ परिवार या अन्य कोई हिंदू हिंदू राम को भगवान मानता है तो उनके जन्म का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और यदि उन्हें इंसान माना जाता है तो वह सदियों पहले पैदा हुए होंगे। हमने यह माना है कि वह कलयुग में पैदा नहीं हुए थे। हिंदू मान्यता के अनुसार,

कलयुग को प्रारंभ हुए भी हज़ारों वर्ष बीत चुके हैं। पिछले कुछ हज़ार वर्षों में पृथ्वी में अनेक भौगोलिक परिवर्तन हुए हैं। उन परिवर्तनों के कारण अनेक महल, अनेक किले, बल्कि पूरे-पूरे शहर तक धराशायी होकर धरती के गर्भ में समा गए होंगे। इसलिए यह कहना कि राम किसी स्थल विशेष पर पैदा हुए थे, अत्यधिक ग़ैर वैज्ञानिक और अतार्किक है।

फिर राम का जन्मस्थल या तो घर रहा होगा या महल। उस समय अस्पताल तो थे नहीं। इस तरह राम के जन्मस्थल पर महल होना था, न कि मंदिर। वैसे भी अयोध्या के सभी मंदिरों के पुजारी दावा करते हैं कि राम उन्हीं के मंदिर में पैदा हुए थे। जब अयोध्या के हमारे पत्रकार मित्र शीतला सिंह ने राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष से जानना चाहा कि आप किस आधार पर दावा करते हैं कि राम वहीं पैदा हुए थे तो उन्होंने फरमाया कि यदि राम स्वयं प्रकट होकर कहें कि वह यहां पैदा नहीं हुए थे तो भी हम उनकी बात नहीं मानेंगे और यह दावा करते रहेंगे कि राम की जन्मस्थली यही है। इस तरह के दावों से ही यह सिद्ध हो जाता है कि राम की जन्मभूमि का दावा किस हद तक ग़ैर वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित है। किसी भी तार्किक सोच वाले व्यक्ति के लिए यह स्वीकार करना कठिन है कि राम की जन्मस्थली विवादित स्थल पर ही है। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या वहां राम मंदिर था? हाईकोर्ट ने इस बात को माना है कि वहां राम मंदिर था और यह भी कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के ऊपर बनी थी। अदालत का यह मत

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा की गई खुदाई पर आधारित है।

अदालत के इस निष्कर्ष को देश के अनेक इतिहासकारों ने चुनौती दी है। उनका कहना है कि खुदाई के दौरान वहां पशुओं की हड्डियां पाई गईं। इसके अतिरिक्त सुरक्षी और चूने का मिलना वहां मस्जिद की उपस्थिति का संकेत देता है। खुदाई में जो अन्य चीजें मिली थीं, उनका परीक्षण इतिहासकारों एवं पुरातत्व विशेषज्ञों से कराया जाना चाहिए, ताकि सही तथ्य सामने आ सकें। जिन इतिहासकारों ने इस आशय का बयान जारी किया है, उनमें रोमिला थापर, के एम श्रीमाली, के एन पन्नीकर, इरफान हबीब, उत्स पटनायक एवं सी पी चंद्रशेखर आदि शामिल हैं। ये सभी अपने-अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, इसलिए इनकी राय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। वैसे विभिन्न अखबारों ने निर्णय पर भिन्न-भिन्न टिप्पणियों की हैं, परंतु इकनामिक टाइम्स ने इसे ग़ैर न्यायिक निर्णय कहा है। अखबार का कहना है कि निर्णय से न तो कानूनी स्थिति साफ़ हुई है और न ही समझौते का रास्ता प्रशस्त हुआ है। यह निर्विवाद है कि इस निर्णय से तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। यही एकमात्र संतोष की बात है, परंतु क्या यह शांति आगे भी बनी रहेगी, इस प्रश्न का उत्तर देना अभी संभव नहीं है।

एल एस हरदेनिया

feedback@chautiduniya.com

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

सूचना का अधिकार

कहां कितना आरटीआई शुल्क

सूचना अधिकार कानून के तहत आवेदन शुल्क या अपील या फोटो कॉपी शुल्क कितना होगा, यह तय करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। मतलब यह कि राज्य सरकार अपनी मर्जी से यह शुल्क तय कर सकती है। यही कारण है कि विभिन्न राज्यों में सूचना शुल्क/अपील शुल्क का प्रारूप अलग-अलग है। इस अंक में हम आपको आरटीआई शुल्क और सूचना के बदले लिए जाने वाले शुल्क के बारे में बता रहे हैं। हम इस अंक में एक टेबल भी प्रकाशित कर रहे हैं, जिसमें देश के सभी राज्यों में तय किए गए शुल्क की जानकारी है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता रहे हैं कि अगर कभी आपसे कोई लोक सूचना अधिकारी सूचना के बदले ज्यादा पैसे मांगे तो क्या करना चाहिए। सूचना कानून की धारा 7 में सूचना के एवज में शुल्क निर्धारण के बारे में बताया गया है, लेकिन इसी धारा की उपधारा 1 में कहा गया है कि यह शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने विभिन्न विभागों में सूचना अधिकार कानून के तहत अदा किए जाने वाले शुल्क स्वयं तय करेंगी। केंद्र और राज्य सरकारों ने इस अधिकार के तहत अपने यहां अलग-अलग शुल्क नियमावली बनाई है और उसमें स्पष्ट किया गया है कि आवेदन करने और सूचना से संबंधित फोटोकॉपी लेने के लिए कितना शुल्क लिया जाएगा। धारा 7 की उपधारा 3 में लोक सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी का विवरण है कि वह सरकार द्वारा तय किए गए शुल्क के आधार पर गणना करते हुए आवेदक को बताएगा कि उसे अमुक सूचना पाने के लिए कितना शुल्क देना



होगा। उपधारा 3 में लिखा है कि यह शुल्क वही होगा, जो उपधारा 1 में सरकार द्वारा तय किया गया होगा। केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की शुल्क नियमावली में अंतर है। कहीं आवेदन के लिए शुल्क 10 रुपये है तो कहीं 50 रुपये। इसी तरह दस्तावेजों की फोटोकॉपी के लिए कहीं 2 रुपये तो कहीं 5 रुपये लिए जाते हैं। दस्तावेजों के निरीक्षण, काम के निरीक्षण एवं सीडी-फ्लॉपी पर सूचना लेने के लिए भी शुल्क इन नियमावलियों में बताया गया है। उम्मीद है कि हमारे पाठकों के लिए यह जानकारी काफी मददगार साबित होगी और वे जमकर आरटीआई कानून का इस्तेमाल करते रहेंगे।

यदि आपने सूचना कानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें। हम उसे प्रकाशित करेंगे। इसके अलावा सूचना का अधिकार कानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं।

हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

विभिन्न राज्यों के नियम (आवेदन/अपील/फोटोकॉपी शुल्क)

राज्य	आवेदन शुल्क	शुल्क का प्रारूप	फोटो कॉपी शुल्क	अपील शुल्क
केंद्र सरकार/दिल्ली सरकार	10 रुपये	नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पोस्टल ऑर्डर	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
आंध्र प्रदेश	ग्राम स्तर-शुल्क नहीं मंडल स्तर- 5 रुपये, अन्य जगहों पर 10 रुपये	नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पोस्टल ऑर्डर/ट्रेजरी चालान	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
अरुणाचल प्रदेश	कोई शुल्क नहीं	ट्रेजरी चालान	2 रुपये प्रति पेज	प्रथम/द्वितीय 50 रुपये
असम	10 रुपये	नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पोस्टल ऑर्डर	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
बिहार	10 रुपये	नकद/पोस्टल ऑर्डर/नॉन ज्यूडिसियल स्टॉप/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक	2 रुपये प्रति पेज	प्रथम/द्वितीय 10 रुपये
छत्तीसगढ़	10 रुपये	नकद/ट्रेजरी चालान/नॉन ज्यूडिसियल स्टॉप	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
गोवा	10 रुपये	कोर्ट की स्टॉप	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
गुजरात	20 रुपये	नकद/डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/नॉन ज्यूडिसियल स्टॉप	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
हरियाणा	50 रुपये	नकद/ट्रेजरी चालान/पोस्टल ऑर्डर	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
हिमाचल प्रदेश	10 रुपये	नकद/डिमांड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान/पोस्टल ऑर्डर	10 रुपये प्रति पेज	नहीं
झारखंड	10 रुपये	नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पोस्टल ऑर्डर	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
कर्नाटक	10 रुपये	नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पोस्टल ऑर्डर/पे ऑर्डर	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
केरल	10 रुपये	कोर्ट की स्टॉप	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
मध्य प्रदेश	10 रुपये	नकद/नॉन ज्यूडिसियल स्टॉप	2 रुपये प्रति पेज	प्रथम 50 रुपये/ द्वितीय 100 रुपये
महाराष्ट्र	10 रुपये	नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/कोर्ट की स्टॉप	2 रुपये प्रति पेज	प्रथम 20 रुपये/ द्वितीय 20 रुपये
मेघालय	10 रुपये	नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक	2 प्रति पेज	नहीं
मणिपुर	10 रुपये	पोस्टल ऑर्डर	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
मिजोरम	10 रुपये	नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पोस्टल ऑर्डर	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
नगालैंड	10 रुपये	नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पोस्टल ऑर्डर	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
उड़ीसा	10 रुपये	नकद/ट्रेजरी चालान/पोस्टल ऑर्डर	टाइप कॉपी 2 रुपये/ कंप्यूटर प्रिंट 10 रुपये प्रति	प्रथम 20 रुपये/ द्वितीय 25 रुपये
पंजाब	10 रुपये	नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पोस्टल ऑर्डर	10 रुपये प्रति पेज	नहीं
राजस्थान	10 रुपये	नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पोस्टल ऑर्डर	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
सिक्किम	100 रुपये	मनीऑर्डर/चेक/डिमांड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
त्रिपुरा	10 रुपये	नकद	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
तमिलनाडु	10 रुपये	नकद/कोर्ट की स्टॉप/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
उत्तर प्रदेश	10 रुपये	नकद/पोस्टल ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/ट्रेजरी चालान	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
उत्तराखंड	10 रुपये	नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/ट्रेजरी चालान/पोस्टल ऑर्डर/नॉन ज्यूडिसियल स्टॉप	2 रुपये प्रति पेज	नहीं
पश्चिम बंगाल	10 रुपये	कोर्ट की स्टॉप	2 रुपये प्रति पेज	नहीं

जरा हट के चोरी करना फ़ायदेमंद!

चोरी करना फ़ायदेमंद!



चौं किए मत, ऐसा भारत में नहीं, बल्कि कनाडा में हो रहा है। अब कनाडा में चोरी करना फ़ायदेमंद हो सकता है। यहां चोर बेनेट को तब तक सज़ा नहीं हो सकती, जब तक उसे चोरी करते रंगे हाथों न पकड़ा जाए। चीनी मूल के एक दुकानदार डेविड चैन ने मई 2009 में अपनी दुकान में चोरी करने वाले एक चोर का पीछा करके उसे पकड़ लिया और पुलिस के आने तक बांधे रखा था। उन्हें इस मामले में अब तक अदालती सुनवाई का सामना करना पड़ रहा है। चैन की गलती यह थी कि उन्होंने चोर बेनेट को रंगे हाथों नहीं पकड़ा था, बल्कि दुकान में चोरी होने के एक घंटे बाद उसे पकड़ा था। कनाडाई प्रेस के मुताबिक, कानून कहता है कि एक नागरिक की गिरफ्तारी तभी हो सकती है, जबकि उसे कोई गलत काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाए। इस मामले में चोर ने अपना अपराध तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने यह भी कहा कि वह दुकानदार के कृत्य से प्रताड़ित हुआ।

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले बेनेट ने अदालत को बताया कि जब वह भाग रहा था तो तीन लोगों ने उसका पीछा किया और पकड़ने के बाद उसे बांधकर मारा-पीटा। बेनेट ने बताया कि जब पुलिस वहां पहुंची, तब उसने राहत की सांस ली। चैन ने बताया कि उनकी दुकान में हमेशा चोरी होती रहती है, लेकिन पुलिस उन्हें शिकायत दर्ज कराने से रोकती है। कई बार जब वह पुलिस को बुलाते हैं तो वह पांच घंटे बाद वहां पहुंचती है और चोर को थोड़ी-बहुत चेतावनी देकर छोड़ देती है। यहां की कुछ भारतीय दुकानों में चोरी होना आम बात है। हर बार पुलिस चोरों को चूं ही छोड़ देती है।

चूहों के लिए गर्भ निरोधक गोली

चूहे नेपाल की बहुत बड़ी समस्या हैं। वे यहां की फसल का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। इसी के मद्देनजर नेपाल के वैज्ञानिकों ने इसका हल खोज लिया है। नेपाल एथी कल्चरल सीसायटी (एनएआरसी) के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी गोली ईजाद की है, जिससे चूहे अपनी आबादी नहीं बढ़ा सकेंगे। इस काम में पूरे तीन साल का समय लगा। वैज्ञानिकों ने यह गोली सीताफल के बीजों के पाउडर से बनाई है। जो चूहा सात दिनों तक इन गोलियों को खाएगा, वह प्रजनन के अयोग्य हो जाएगा। एनएआरसी ने यह शोध तब शुरू किया, जब यहां के अधिकारियों ने बंदरों पर किए गए एक प्रयोग से संबंधित लेख पढ़ा। बंदरों को नीम की पत्तियों से निकलने वाला तरल पदार्थ युक्त भोजन दिया गया था, जिससे उनकी आबादी को बढ़ने से रोक जा सके। नेपाल ऐसा पहला देश है, जिसने सीताफल के बीजों से यह दवा बनाई है। इसे बनाने के लिए सीताफल के बीजों के 20 ग्राम पाउडर, गेहूं के आटे, चना एवं मूंगफली पाउडर और दूध का इस्तेमाल किया गया है। गोली का प्रयोग चार नर और चार मादा चूहों पर किया गया, जो सफल रहा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस गोली के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। नेपाल में चूहों की 45 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से पांच प्रजातियों के चूहे फसलों को बुरी तरह नष्ट कर देते हैं।



दिल्ली, 25 अक्टूबर-31 अक्टूबर 2010

मेघ
21 मार्च से 20 अप्रैल

आप धन कमाने के लिए किसी मार्ग की तलाश में रहेंगे। जोखिम के कार्यों से स्वयं को दूर रखें, नुकसान की आशंका है। घर में किसी परेशानी की वजह से पैसा खर्च होगा। कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है। समाज में आपके लिए प्रतिष्ठा के नए द्वार खुल सकते हैं।

कर्क
21 जून से 20 जुलाई

समय के साथ अपनी योजना में बदलाव करना पड़ेगा। रूठे मित्रों को मनाना आसान रहेगा। कोई नई शुरुआत आपको खुशियां और प्यार देगी। वित्तीय फ़ायदे होंगे और आप रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें।

तुला
21 सितंबर से 20 अक्टूबर

विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन में सफलता मिलेगी। ज़बरदस्ती अपनी बात सिद्ध करने पर अड़े रहे तो अपना नुकसान करा बैठेंगे। यात्रा का कार्यक्रम स्थगित हो सकता है। विवादास्पद मामलों को शांति से सुलझाएं। किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है।

मकर
21 दिसंबर से 20 जनवरी

युवाओं को करियर में बेहतर अवसर मिलेंगे। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, अन्यथा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मार्ग की हर बाधा को आप आसानी से पार कर लेंगे। बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता हो सकती है।

वृष
21 अप्रैल से 20 मई

किसी व्यक्ति के साथ कोई यात्रा दिलचस्प रहेगी। बुजुर्गों का स्वास्थ्य चिंता का विषय हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता के योग हैं। आय के क्षेत्र में नए रास्ते खुलेंगे। संतान से संबंधित कोई सुखद समाचार मिल सकता है।

सिंह
21 जुलाई से 20 अगस्त

विवादों के चलते घर में अशांति का माहौल बना रहेगा। विरोधियों के कारण मुश्किल हो सकती है। मेहमानों की आवाजाही बनी रहेगी। पेट से संबंधित शिकायत हो सकती है। सपने पूरे करने के अवसर मिलेंगे। नए कार्य की रूपरेखा बनेगी।

वृश्चिक
21 अक्टूबर से 20 नवंबर

महत्वपूर्ण कार्य निबटाने के लिए यह समय अच्छा है। जीवनसाथी के व्यवहार से खिन्नता बढ़ेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ बदलाव आएंगे। निवेश से फ़ायदा होगा। दूसरों की मदद के लिए दिन-रात एक करेंगे। कार्यस्थल पर सबको साथ लेकर चलने में सफल होंगे।

कुंभ
21 जनवरी से 20 फरवरी

व्यय पर नियंत्रण बनाए रखें। आप कारोबारी विस्तार का प्रयास करेंगे। मित्रों की मदद से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। परिवार की स्थिति ठीक रहेगी। मेहमानों के कारण निर्धारित कार्यक्रम बदलने पड़ेंगे। वित्तीय फ़ायदे धीरे-धीरे, लेकिन अच्छे होंगे।

मिथुन
21 मई से 20 जून

रचनात्मक अथवा मांगलिक कार्यों के लिए किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा। संतान के संबंध में कोई सुखद समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी अपेक्षित है। रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। तरक्की के योग हैं।

कन्या
21 अगस्त से 20 सितंबर

आयात-निर्यात के कारोबार में अच्छा लाभ मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के आसार हैं। खानपान में लापरवाही से स्वास्थ्य ख़राब हो सकता है। परिवार में किसी से झगड़ा हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें।

धनु
21 नवंबर से 20 दिसंबर

नए संपर्क भाग्योदय में सहायक हो सकते हैं। स्पष्ट कहने की प्रवृत्ति पर थोड़ा अंकुश लगाएं। नए समझौते के लिए अब तक किए गए प्रयास सफल होंगे। मांगलिक कार्यों के लिए किया जा रहा प्रयास सफल होगा। अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है।

मीन
21 फरवरी से 20 मार्च

बड़ा निर्णय लेने से पूर्व संबंधित व्यक्ति को विश्वास में लेने का पूरा प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही से पुरानी बीमारी उभर सकती है। सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ऐसी रणनीति अपनाएं, जिससे विरोधी परास्त हो जाएंगे।



देश की सभी राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए राष्ट्रीय हितों की अनदेखी कर रही हैं और न चाहते हुए भी राजतंत्र की वापसी की पृष्ठभूमि तैयार करती दिख रही हैं.



अनिश्चितता के बादल कब छटेंगे?

• नेपाल

राजतंत्र की वापसी की मांग लगातार ज़ोर पकड़ती जा रही है. नेपाल की जनता निराश है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की कीमत पर उनके हितों की अनदेखी कर रही हैं. पिछले चार महीनों से देश नेतृत्वविहीनता के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि बारह दौर के मतदान के बाद भी संविधान सभा नए प्रधानमंत्री का चुनाव करने में नाकाम रही है. नए संविधान का निर्माण कार्य अधर में लटका है, लेकिन कोई इसकी चिंता नहीं कर रहा.



आदित्य पूजन

नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का दौर समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा. प्रधानमंत्री पद के लिए बारह दौर के मतदान के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकल पाया. पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल ने माओवादियों के दबाव में पिछले 30 जून को ही इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद से तमाम कोशिशों के बावजूद नई सरकार का गठन नहीं हो पाया है. नए संविधान के निर्माण का कार्य अधर में लटका हुआ है. पूरे देश में अशांति का माहौल है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां स्वार्थ सिद्धि में लगी हैं. गरीबी और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, नेपाल के अधिकांश हिस्सों में कानून-व्यवस्था की हालत बद से बदतर होती जा रही है. रोजाना के बंद और विरोध प्रदर्शनों के चलते आम लोगों की दिक्कतें दिनोदिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं है. माओवादी अपनी मांग पर अड़े हैं, जबकि सच्चाई यही है कि उनके सहयोग के बिना न तो संविधान निर्माण का काम पूरा हो सकता है और न ही कोई सरकार टिकाऊ हो सकती है. इसमें कोई संदेह नहीं

कि संविधान सभा में सबसे ज़्यादा सीटों वाली यूनिफाइड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी) का अखंड रवैया ही देश में राजनीतिक गतिरोध का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन अन्य राजनीतिक पार्टियां भी ज़्यादा अलग नहीं हैं. नेपाली कांग्रेस हर कीमत पर सरकार का नेतृत्व अपने हाथों में रखना चाहती है. प्रधानमंत्री पद के एकमात्र उम्मीदवार और पार्टी के उपाध्यक्ष रामचंद्र पौडेल को संविधान सभा में सदस्यों का ज़रूरी समर्थन हासिल नहीं है, लेकिन वह चुनावी दौड़ से हटने से इंकार कर रहे हैं. चार मधेशी पार्टियों का गठबंधन जिसे चाहे प्रधानमंत्री बना सकता है, लेकिन आपसी मतभेदों और राजनीतिक सौदेबाजी के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है. यानी देश की सभी राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए राष्ट्रीय हितों की अनदेखी कर रही हैं और न चाहते हुए भी राजतंत्र की वापसी की पृष्ठभूमि तैयार करती दिख रही हैं.

हाल के दिनों की बात है, जब पूर्व राजा ज्ञानेंद्र दशैं महोत्सव में भाग लेने पाटन के बगलामुखी मंदिर पहुंचे. परंपरागत रूप से राजा ही इस महोत्सव का मुख्य अतिथि होता है और आयोजकों ने इस बार भी उन्हें आमंत्रित किया था. ज्ञानेंद्र के पहुंचने से पहले ही हज़ारों लोगों की भीड़ उनके स्वागत के लिए वहां खड़ी थी. सबकी जुबान पर एक ही मांग



थी, राजा आएँ, शांति लाएं. यह हाल तब है, जबकि ज्ञानेंद्र का वहां आना निश्चित नहीं था. राजतंत्र की वापसी को लेकर बढ़ती मांग के चलते देश का लोकतांत्रिक नेतृत्व धार्मिक-राजनीतिक समारोहों में उन्हें शामिल होने से रोकने की कोशिश करता रहा है. सितंबर महीने में इंद्र-जात्रा महोत्सव में भाग लेने से रोकने के लिए उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया गया था. आम जनता में इसके खिलाफ़ खासा रोष देखने को मिला. दो साल पहले यही जनता राजतंत्र के खतमे के लिए माओवादियों के साथ सड़कों पर उतर आई थी, लेकिन आज स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं. राजनीतिक दलों की अवसरवादिता और सत्तालोलुपता के चलते जनता का मोहभंग होता जा रहा है, उसे लगने लगा है कि उसकी परेशानियों के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है. उसे राजतंत्र के पुराने दिनों की याद आने लगी है, जब नेपाल में आम तौर पर शांति का माहौल होता था. नेपाल कभी आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्र नहीं रहा, लेकिन राजा के शासन के दिनों में आर्थिक स्थायित्व था. सबसे बढ़कर आम जनता को लगता था कि शासन तंत्र उसके कष्टों को समझता है, उसके हितों की चिंता करता है.

वैसे भी नेपाली समाज में राजा की हैसियत अभिभावक की तरह है. आम लोग राजा को भगवान की तरह देखते हैं, विष्णु का अवतार समझते हैं. फिर

उन्होंने जिन उम्मीदों के साथ राजनीतिक दलों के हाथों में अपनी किस्मत सौंपी थी, वे सारी उम्मीदें आज धराशायी हो चुकी हैं. जनता को लगता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है. सुनहरे भविष्य के सब्जबाग दिखाकर उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है. यही वजह है कि केवल आम लोग ही नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों का एक वर्ग भी राजतंत्र की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है. राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी तो पहले भी खुले तौर पर राजतंत्र की वापसी की मांग करती रही है. सीपीएन-यूएमएल के राष्ट्रीय महासचिव ईश्वर पोरखराल ने भी पिछले दिनों कहा कि 28 मई 2011 तक संविधान निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ तो नेपाल की हालत और भी ज़्यादा खराब हो सकती है और राजतंत्र की वापसी की मांग ज़्यादा तीखी हो सकती है. शायद यही कारण है कि लोकतांत्रिक शक्तियां राजतंत्र समर्थक शक्तियों को दबाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें पहले अपने रवैये में सुधार करना होगा. जनता का विश्वास दोबारा हासिल हो, इसके लिए उन्हें अपने मिज़ी स्वार्थों और सत्तालोलुपता को तिलांजलि देने होगी. देश में अमन-चैन का माहौल कायम हो, इसके लिए ज़रूरी कदम उठाने होंगे. यदि ऐसा नहीं हो सका तो नेपाल में राजतंत्र के नए दौर की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता.

aditya@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

तीन महीने में रचा इतिहास

- हिन्दी की सबसे पॉपुलर वेबसाइट
- हर महीने 15,00,000 से ज़्यादा पाठक
- हर दिन 50,000 से ज़्यादा पाठक
- स्पेशल प्रोग्राम-भारत का राजनीतिक इतिहास
- समाचार-राजनीति, खेल, पर्यावरण, मनोरंजन
- संगीत और फ़िल्मों पर विशेष कार्यक्रम
- साई की महिमा




www.chauthiduniya.tv

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301

बाबा और तेंडुलकर कुटुंब


मुं बई के पास बांद्रा में एक तेंडुलकर कुटुंब था, जो साई बाबा पर असीम श्रद्धा रखता था. इस कुटुंब के रघुनाथ राव तेंडुलकर ने मराठी भाषा में श्री साईनाथ भजनमाला नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें बाबा की लीलाओं का मधुर वर्णन है. उनका ज्येष्ठ पुत्र बाबू डॉक्टरी की परीक्षा में बैठने के लिए अनवरत अभ्यास कर रहा था. उसने कई ज्योतिषियों को अपनी जन्म कुंडली दिखाई, लेकिन सबने बताया कि इस वर्ष उसके ग्रह उत्तम नहीं हैं, किंतु अगले वर्ष परीक्षा में बैठने से उसे अवश्य सफलता प्राप्त होगी. इससे उसे बड़ी निराशा हुई और वह अशांत सा हो गया. थोड़े दिनों के पश्चात उसकी मां शिरडी गई और उसने वहां बाबा के दर्शन किए. अन्य बातों के साथ-साथ उसने अपने पुत्र की निराशा एवं अशांति की बात भी बाबा से कही. उसके पुत्र को कुछ दिनों बाद ही परीक्षा में बैठना था. बाबा ने कहा, अपने पुत्र से कहो कि वह मुझ पर विश्वास रखे, सारे भविष्य कथन एवं ज्योतिषियों द्वारा बनाई गई कुंडलियां एक कोने में फेंक दे और अपना अभ्यास क्रम चालू रखकर शांत चित्त से परीक्षा में बैठे. वह अवश्य ही इस वर्ष उत्तीर्ण हो जाएगा. उससे कहना कि निराशा होने की कोई बात नहीं है. मां ने घर आकर बाबा का संदेश पुत्र को सुना दिया. उसने घोर परिश्रम किया और परीक्षा में बैठ गया. सारे पर्चों के जवाब बहुत अच्छे लिखे थे, परंतु फिर भी संशयग्रस्त होकर उसने सोचा कि संभव है कि उत्तीर्ण होने योग्य अंक उसे प्राप्त न हो सकें, इसलिए उसने मौखिक परीक्षा में बैठने का विचार त्याग दिया. परीक्षक तो जैसे उसके पीछे ही लगा था. उसने एक विद्यार्थी के ज़रिए सूचना भेजी कि उसे लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने लायक अंक प्राप्त हैं, इसलिए अब उसे मौखिक परीक्षा में अवश्य बैठना चाहिए. इस प्रकार प्रोत्साहन पाकर वह उसमें भी बैठ गया और दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया. उस वर्ष ग्रह दशा विपरीत होते हुए भी बाबा की कृपा से उसने सफलता पाई. यहां केवल इतनी बात ध्यान देने योग्य है कि कष्ट और संशय की उत्पत्ति अंत में दृढ़ विश्वास में परिवर्तित हो जाती है. जैसी भी हो, परीक्षा तो होती है, परंतु यदि हम बाबा पर विश्वास और श्रद्धा रखकर प्रयत्न करते रहें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी.

रघुनाथ राव एक विदेशी व्यवसायी फर्म में नौकरी करते थे. वह बहुत वृद्ध हो चुके थे और अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते थे. इसलिए वह अब छुट्टी लेकर विश्राम करना चाहते थे. छुट्टी लेने पर भी उनके स्वास्थ्य में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ. अब यह आवश्यक था कि सेवानिवृत्ति की पूर्वकालिक छुट्टी ली जाए. एक विश्वासपात्र नौकर होने के नाते प्रधान प्रबंधक ने उन्हें पेंशन देकर सेवानिवृत्त करने का निर्णय किया. पेंशन कितनी दी जाए, यह प्रश्न विचाराधीन था. उन्हें 150 रुपये मासिक वेतन मिलता था, इस हिसाब से पेंशन हुई 75 रुपये, लेकिन यह राशि उनके कुटुंब के निर्वाह हेतु अपर्याप्त थी, इसलिए वह बड़े चिंतित थे. निर्णय होने के पंद्रह दिन पूर्व ही बाबा ने श्रीमती तेंडुलकर को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मेरी इच्छा है कि पेंशन 100 रुपये दी जाए. क्या तुम्हें इससे संतोष होगा. श्रीमती तेंडुलकर ने कहा कि बाबा, मुझ दासी से आप क्या पूछते हैं, हमें तो आपके श्रीचरणों में पूरा विश्वास है. यद्यपि बाबा ने 100 रुपये कहे थे, परंतु इसे विशेष प्रकरण समझ कर 10 रुपये अधिक अर्थात् 110 रुपये पेंशन निश्चित हुई. इससे आप समझ सकते हैं कि बाबा अपने भक्तों के लिए कितना स्नेह और कितनी चिंता रखते थे.



मां ने घर आकर बाबा का संदेश पुत्र को सुना दिया. उसने घोर परिश्रम किया और परीक्षा में बैठ गया. सारे पर्चों के जवाब बहुत अच्छे लिखे थे, परंतु फिर भी संशयग्रस्त होकर उसने सोचा कि संभव है कि उत्तीर्ण होने योग्य अंक उसे प्राप्त न हो सकें, इसलिए उसने मौखिक परीक्षा में बैठने का विचार त्याग दिया. परीक्षक तो जैसे उसके पीछे ही लगा था.

साई का प्रसाद



ए

क बार गोवा के एक मामलतदार राले ने लगभग 300 आमों का एक पार्सल शामा के नाम शिरडी भेजा. पार्सल खोलने पर प्रायः सभी आम अच्छे निकले. भक्तों में उनके वितरण का कार्य शामा को सौंपा गया. उनमें से बाबा ने चार आम दामू अण्णा के लिए अलग निकाल कर रख लिए. दामू अण्णा की तीन स्त्रियां थीं, परंतु अपने दिए हुए वक्तव्य में उन्होंने बताया था कि उनकी केवल दो स्त्रियां हैं.

वह संतानहीन थे, इसलिए उन्होंने अनेक ज्योतिषियों से इसका समाधान कराया और स्वयं भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा सा अध्ययन करके ज्ञात कर लिया कि जन्म कुंडली में एक पाप ग्रह स्थित होने के कारण इस जीवन में उन्हें संतान का मुंह देखने का कोई योग नहीं है, परंतु बाबा के प्रति उनकी अटल श्रद्धा थी. पार्सल मिलने के दो घंटे पश्चात ही वह पूजन हेतु मस्जिद में आए. उन्हें देखकर बाबा कहने लगे कि लोग आमों के लिए चक्कर काट रहे हैं, परंतु ये तो दामू के हैं. जिसके हैं, उसी को खाने और मरने दो. यह सुनकर दामू अण्णा के हृदय पर आघात सा हुआ, परंतु

महालसापति (शिरडी के एक भक्त) ने उन्हें समझाया कि इस मृत्यु शब्द का अर्थ अहंकार के विनाश से है और बाबा के चरणों की कृपा से तो वह आशीर्वादस्वरूप है, तब वह आम खाने के लिए तैयार हो गए.

इस पर बाबा ने कहा कि इन्हें तुम न खाओ, अपनी छोटी स्त्री को खाने दो. इन

आमों के प्रभाव से चार पुत्रों और चार पुत्रियों की प्राप्ति होगी. इस आज्ञा को शिरोधार्य कर दामू अण्णा ने वे आम ले जाकर अपनी छोटी स्त्री को दिए. धन्य है श्री साई बाबा की लीला, जिन्होंने भाग्य-विधान पलट कर उन्हें संतान सुख दिया. बाबा द्वारा स्वेच्छा से दिए गए वचन सत्य हुए, ज्योतिषियों के नहीं.

बाबा के जीवनकाल में उनके शब्दों ने लोगों में विश्वास स्थापित किया, परंतु महान आश्चर्य है कि उनके समाधिस्थ होने के बाद भी उनका प्रभाव पूर्ववत् है. बाबा ने कहा कि मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो. यद्यपि मैं देह त्याग कर दूंगा, परंतु फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी. केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी, चलेगी, फिरेगी और उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी, जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत होंगे. निराशा न होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा. तुम सदैव मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणार्थ चिंतित पाओगे. यदि मेरा निरंतर स्मरण करोगे और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो तुम्हें अधिक लाभ होगा.

बाबा के जीवनकाल में उनके शब्दों ने लोगों में विश्वास स्थापित किया, परंतु महान आश्चर्य है कि उनके समाधिस्थ होने के बाद भी उनका प्रभाव पूर्ववत् है. बाबा ने कहा कि मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो. यद्यपि मैं देह त्याग कर दूंगा, परंतु फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी.



अंग्रेजों के जाने के पश्चात भी अंग्रेजपरस्त लोगों की गुलाम मानसिकता के कारण आज़ाद भारत में आज भी निज भाषा गौरव का बोध परवान नहीं चढ़ पा रहा है.

बाज़ार के फंदे में हिंदी कहानीकार



अनंत विजय

अभी चंद दिनों पहले की बात है, मेरी पत्नी चित्रा मुद्गल की किताब-गेंद और अन्य कहानियां खरीदीं लाईं. इस संग्रह के ऊपर दो मासूम बच्चों की तस्वीर छपी है और नीचे लिखा है, बच्चों पर केंद्रित कहानियों का अनूठा संकलन. मुझे भी लगा कि पेंग्विन से चित्रा जी की कहानियों का नया संग्रह आया है, लेकिन जब मैंने उसे उलटा-पुलटा तो लगा कि उसमें तो उनकी पुरानी कहानियां छपी हैं. उसके बाद जब मैंने अपनी व्यक्तिगत लाइब्रेरी को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि चित्रा मुद्गल के पांच कहानी संकलन मेरे पास हैं. भूख जो ज्ञानगंगा दिल्ली से प्रकाशित हुई है, दस प्रतिनिधि कहानियां जो किताबघर प्रकाशन से प्रकाशित हुई हैं, चर्चित कहानियां जो सामयिक प्रकाशन से प्रकाशित हुई हैं. इसके अलावा डायमंड बुक्स से प्रकाशित संग्रह भी मेरी नज़र से गुज़र चुका है. अंत में सामयिक प्रकाशन ने ही चित्रा मुद्गल की संपूर्ण कहानियों का संग्रह आदि-अनादि के नाम से तीन खंडों में छापा है. इन सारे संग्रहों में घूम-फिरकर वही-वही कहानियां प्रकाशित हैं. हिंदी साहित्य में यह काम सिर्फ चित्रा मुद्गल ने नहीं किया है, ज़्यादातर कहानीकारों ने साहित्य में यह घपला किया है. हिंदी साहित्य को लंबे समय से नज़दीक से देखने वालों का कहना है कि हिंदी में यह खेल हिमांशु जोशी ने शुरू किया. जानकारों की मानें तो इस प्रवृत्ति के प्रणेता हिमांशु जोशी हैं. कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि जोशी जी की उतनी कहानियां नहीं हैं, जितने उनके

संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं. कहीं से चर्चित कहानियां, कहीं से प्रतिनिधि कहानियां, कहीं से फलां तथा अन्य कहानियां, कहीं से प्रेम कहानियां, कहीं से बच्चों की कहानियां, कहीं से अमुक व्यक्ति की पसंद की कहानियां. हद तो तब हो गई, जब कहानीकार अपनी उम्र और सालगिरह के हिसाब से संग्रह छपवाने लगे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमांशु जोशी और चित्रा मुद्गल ने ही यह काम किया है. हिंदी के कमोबेश सभी कहानीकारों ने इस तरह से पाठकों को छला है. वरिष्ठ कहानीकार गंगा प्रसाद विमल के भी कई संग्रह हैं, जिनमें कहानियों का दोहराव है. चंद लोगों के नाम लेने का मकसद सिर्फ इतना है कि मेरी बातें हवाई न लगें और वे तथ्यों पर आधारित हों.

दरअसल इस पूरे खेल का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है. पैसा कमाने की इस दौड़ में हिंदी के कहानीकार यह भूलते जा रहे हैं कि वे पाठकों के साथ कितना बड़ा छल कर रहे हैं. चमचमाते कवर और नए शीर्षक को देखकर कोई भी पाठक अपने महबूब लेखक-लेखिका की किताबें खरीद लेता है, लेकिन जब वह घर आकर उसे पलटता है तो खुद को ठगा महसूस करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बचता. जैसे की हानि के साथ-साथ टूटता-दरकता है उसका विश्वास. वह विश्वास, जो एक पाठक अपने प्रिय लेखक पर करता है. पाठकों के इसी विश्वास की बुनियाद साहित्य की सबसे बड़ी ताकत है और जब उसमें ही दरार पड़ती है तो यह सीधे-सीधे साहित्य का नुकसान है, जो फौरी तौर पर तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होंगे. जल्दी पैसा कमाने की होड़ में हिंदी का कहानीकार यह भूलता जा रहा है कि अगर उसने यह प्रवृत्ति नहीं छोड़ी तो उसे पाठक मिलने बंद हो जाएंगे. अभी ही वे पाठकों की कमी का रोना रोते हैं, लेकिन अगर एक बार पाठकों का भरोसा लेखकों से उठ गया तो क्या अंजाम होगा, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है.

यह घपला सिर्फ इस रूप में सामने नहीं आया है. हिंदी में कई ऐसे कहानीकार हैं, जिनकी लंबी कहानी किसी पत्रिका में छपी, फिर उसी लंबी कहानी को उपन्यास के रूप में प्रकाशित करा लिया गया. वर्तमान साहित्य के कहानी महाविशेषांक में हिंदी की वरिष्ठ लेखिका कृष्णा सोबती की लंबी कहानी ऐ लड़की प्रकाशित हुई थी, जिसे बाद में स्वतंत्र रूप से उपन्यास के रूप में छापा-छपवाया गया. इसी तरह दूधनाथ सिंह की लंबी कहानी नमो अंधकार भी पहले कहानी के रूप में प्रकाशित-प्रचारित हुई, लेकिन कालांतर में वह एक उपन्यास के रूप में छपी. यही काम हिंदी के जादुई यथार्थवादी कहानीकार भी कर चुके हैं, जिन्होंने हंस में प्रकाशित अपनी लंबी कहानियों को डबल स्पेस में टाइप कराकर उपन्यास



बना दिया. एक ही रचना कहानी भी है और उपन्यास भी, एक ही समय पर यह कैसे संभव है, लेकिन हिंदी में ऐसा धड़ल्ले से हुआ है. यह पाठकों के साथ छल नहीं तो क्या है? अपने फ़ायदे के लिए पाठकों को ठगना कितना अनैतिक है, इसका फ़ैसला तो भविष्य में होगा.

बाज़ारवाद और बाज़ार को पानी पी-पीकर सोते-जागते गरियाने वाले हिंदी के इन लेखकों से यह पूछा जाना चाहिए कि वे बाज़ार की ताकतों के हाथों क्यों खेल रहे हैं? क्या व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए बाज़ार की ताकतों के आगे घुटने टेक देने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है? सारे सिद्धांत और सारे वाद क्या सिर्फ कागज़ों या उनके आग उगलते भाषणों में ही नज़र आएंगे या फिर सारी


क्रांति पड़ोसी के घर से शुरू होगी? हिंदी में बार-बार नैतिकता की बात उठाने वाले लेखकों-आलोचकों की इस मसले पर चुपपी हारान करने वाली है. पिछले लगभग दो-तीन दशकों से कहानीकारों का पाठकों के साथ यह धोखा जारी है, लेकिन कहीं किसी कोने से कोई आवाज़ नहीं उठी, किसी लेखक ने इस प्रवृत्ति पर आपत्ति नहीं की. प्रगतिशीलता और साहित्यिक शुचिता की बात करने वाले वामपंथी लेखकों को भी कहानीकारों का यह छल नज़र नहीं आया, बल्कि वे तो खुले तौर पर इस खेल में शामिल नज़र आते हैं. मार्क्सवाद को अपने कंधे पर ढोने वाले मार्क्सवादी लेखकों-आलोचकों को यह धोखा नज़र नहीं आया या नज़र आने के बावजूद वे आंखें मूंदे बैठे रहे. लेखक संगठनों तक ने इस धोखेबाज़ी पर कुछ न बोलना ही उचित समझा. उनसे कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि लेखक संगठन लगभग मृतप्राय हैं और जो बचे हैं, वे भी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की तरह अपने नेताओं के जेबी संगठन मात्र बनकर रह गए हैं. कुछ कहानीकारों का यह तर्क है कि अलग-अलग प्रकाशकों से अलग-अलग नामों से कहानी संग्रह छपवाने का मूल मकसद वृहत्तर पाठक समुदाय तक पहुंचना है. कई कहानीकार यह भी कहते हैं कि एक प्रकाशन से संस्करण खत्म होने के बाद ही वे दूसरे प्रकाशक के यहां से अपनी कहानियां छपवाते हैं, लेकिन ये दोनों तर्क एक सफेद झूठ की तरह हैं. कई संकलन मेरे सामने रखे हैं, जिनका प्रकाशन वर्ष या तो एक ही है या फिर अगले वर्ष. हिंदी प्रकाशन जगत को नज़दीक से जानने वालों का मानना है कि अभी हिंदी में यह स्थिति नहीं आई है कि किसी कहानी संग्रह का एक संस्करण छह माह या एक साल में खत्म हो जाए. इसके पीछे चाहे संग्रह के कम खरीददार हों या फिर प्रकाशकों का घपला. जहां तक वृहत्तर पाठक समुदाय तक पहुंचने की बात है तो यह अलग-अलग नाम से अलग-अलग प्रकाशन संस्थानों से छपवाने से कैसे संभव है, यह फॉर्मूला भी अभी सामने आना शेष है. अब वक़्त आ गया है कि हिंदी के तमाम वरिष्ठ लेखक इस बात पर गंभीरता से विचार करें, पाठकों के साथ दशकों से हो रहे छल पर मिल-बैठकर बात करें और उसे रोकने के लिए तुरंत कोई क़दम उठाएं, वरना हिंदी के पाठक ही इस बात का फ़ैसला कर देंगे. और पाठक अगर फ़ैसला करेंगे तो वह दिन हिंदी के कहानीकारों के लिए बहुत अशुभ साबित होगा और फिर उस फ़ैसले पर पुनर्विचार का कोई मौक़ा भी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह लोकतंत्र में मतदाता का फ़ैसला अंतिम होता है, उसी तरह साहित्य में पाठक का फ़ैसला अंतिम और मान्य होता है.

(लेखक आईबीएन-7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

पुस्तक अंश मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे



प्रदीप सौरभ

उन दिनों रमजान के दिन चल रहे थे. उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, सर, मैं रोजे से हूं. मैं झूठ नहीं बोलूंगी. मैंने अभी हाल में नौकरी ज्वाइन की है. यदि आप लोग कंप्लेंट करेंगे तो मेरी नौकरी जा सकती है. मैं गरीब घर की लड़की हूं. मेरे ऊपर काफी ज़िम्मेदारी है. जुबेदा की बात सुनकर इंद्राणी मजूमदार पिघल गईं. मामला किसी तरह शांत हुआ. बाद में जुबेदा सबके लिए फ्रूट सलाद और अन्य बहुत कुछ लाईं, जो उपलब्ध था. खा-पीकर सब लोग सो गए. छह घंटे का सफर बाकी था. ...लंदन के गैटविक एयरपोर्ट में आनंद भारती और टीम के अन्य सदस्य पहुंच चुके थे. लगेज लेकर वे आगे बढ़ रहे थे कि उनके नाम की तख्तियां चमक उठीं. सब तख्ती पकड़े उस महिला से मुखातिब थे. महिला ने अपना परिचय दिया, तीसा केलेगर. वह ब्रिटिश सरकार की लाइज्जन ऑफिसर थी. दुबली-पतली. रेशम की तरह सफेद बाल. उम्र कोई पचपन की रही होगी, लेकिन चुस्त-दुरुस्त. सबने उसे अपना परिचय दिया. इमीग्रेशन क्लीयरिंग पर पासपोर्ट और वीजा चेकिंग पर एक महिला बैठी हुई थी. शकल-सूरत से पक्की भारतीय लग रही थी. थी भी. उसने साड़ी पहन रखी थी. भारतीयों को देख वह अंदर से चहक उठी. कुछ और पूछती कि उससे पहले उसने आनंद भारती को बताया, मैं लखनऊ की रहने वाली हूं. आमिर ख़ान की रंग दे बसंती आपने देखी है, कैसी है? आनंद भारती ने अपना सिर नकारात्मक मुद्रा में हिला दिया. इस बीच वीजा चेक



करने वालों को तीसा केलेगर ने इशारा करते हुए कहा, स्टेट गेस्ट. इसके बाद सब एयरपोर्ट से बाहर थे. बाहर एक लंबी काली गाड़ी इंतज़ार में थी. सब उसमें बैठकर होटल की ओर रवाना हो गए. होटल बकिंघम पैलेस के सामने था. आमतौर पर भारतीयों को ब्रिटिश सरकार यहीं ठहराती है. वैसे भी लंदन आने वाले भारतीय क्राउन प्लाज़ा में ही ठहरते हैं. आनंद

भारती सहित सभी को कमरों की चाबियां मिल चुकी थीं. तीसा केलेगर के साथ सबकी उस दिन की यह आखिरी मुलाक़ात थी. वह यह कहकर चली गई कि कल सुबह आठ बजे वे होटल की लांबी में मिल रहे हैं अपने आगे के कार्यक्रम के लिए. जाते-जाते वह यह कहना नहीं भूली, ऐट मीन्स ऐट. आई मीन शॉप ऐट. शायद वह भारतीयों की लेटलतीपी से अच्छे से वाकिफ़ थी. दोपहर के तीन बजे थे. कमरे में लगेज रखने के बाद आनंद भारती ने अपने विश्वविद्यालय के जमाने के दोस्त राजेश जोशी को फोन लगाया. जोशी लंबे समय से लंदन में हैं. बीबीसी में काम करते हैं. अच्छी पोजीशन में हैं. जोशी और आनंद भारती की दोस्ती इलाहाबाद से है. वह उनसे जूनियर थे. दिल्ली में भी उन्होंने पत्रकारिता की थी तो आनंद भारती का उनसे मिलना-जुलना सदैव बना रहा था. इलाहाबाद में भी वह नक्सली छत्र संगठन से जुड़े थे. राजनैतिक और वैचारिक रूप से भी उनके काफी नज़दीक थे जोशी. जोशी से शाम पांच बजे मिलने का कार्यक्रम तय हुआ. बिग बैं के सामने. बिग बैं इंग्लैंड की संसद की इमारत का ही एक हिस्सा है. तय यह भी हुआ कि पूरी रात लंदन के चप्पे-चप्पे को छाना जाएगा. आनंद भारती के लिए लंदन बिल्कुल नया था. जोशी ही उनके गाइड होने वाले थे. बिग बैं की घड़ी लंदन की अपनी पहचान है. बिग बैं में पांच बज रहे थे. आनंद भारती पूछते-पाछते बिग बैं के सामने पहुंच चुके थे. बिग बैं क्राउन प्लाज़ा से ज़्यादा दूर नहीं था. **अगले अंक में जारी...**

हिंदी का महत्व और विडंबनाएं

सिर्फ मातृपुत्री से काम नहीं चलने वाला. हिंदी भारतवर्ष में राज-काज की भाषा है, हमारे सम्मान की प्रतीक है और सभी प्रांतीय एवं स्थानीय भाषाएं हिंदी की बहनें. भारतवर्ष में बोली जाने वाली समस्त स्थानीय भाषाओं का एक समान आदर-सम्मान हमारा राष्ट्रधर्म होना चाहिए. डॉ. राम मनोहर लोहिया ने प्रत्येक हिंदीभाषी क्षेत्र के निवासी को सलाह दी थी कि वे कम से कम जहां जिस क्षेत्र या प्रदेश में रह रहे हों, वहां की स्थानीय भाषा को सीखें, उसका आदर करें, उसी स्थानीय भाषा को वहां पर बोलचाल में अपनाएं. इसी के साथ समूचे भारत के लोगों को हिंदी अवश्य सीखने की सलाह भी डॉ. लोहिया ने दी थी. आज हिंदी उस जगह पर नहीं है, जहां उसे होना चाहिए था. हिंदीभाषी क्षेत्रों के शहरी इलाकों में रहने वाले लोग हिंदी की जगह अंग्रेजी एवं पाश्चात्य सभ्यता को जाने-अनजाने बढ़ावा देते चले आ रहे हैं. हिंदी समूचे राष्ट्र के लिए सम्मान की प्रतीक होनी चाहिए, परंतु ऐसा हो नहीं पा रहा है. अंग्रेजों के जाने के पश्चात भी अंग्रेजपरस्त लोगों की गुलाम मानसिकता के कारण आज़ाद भारत में आज भी निज भाषा गौरव का बोध परवान नहीं चढ़ पा रहा है. जगह-जगह यानी हर शहर एवं कस्बे में अंग्रेजी में लिखे बोर्ड देखकर इस भाषाई पराधीनता की वस्तुस्थिति को समझा जा सकता है. आज की शिक्षा बच्चों के लिए बोझ सदृश्य हो गई है. वर्तमान शिक्षा में अंग्रेजी के अनावश्यक महत्व ने आमजन एवं गरीबों के बच्चों के विकास को बाधित कर रखा है. जो गरीब का बच्चा, आम आदमी का बच्चा हिंदी या अपनी किसी अन्य मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करता है, उसे अपने आप शैक्षिक रूप से पिछड़ा मान लिया जाता है. अंग्रेजी भाषा का झुनझुना उसके हाथों में पकड़ा कर उसके बोल कानों



में जबरन डाले जाते हैं. वह बेबस बच्चा दोहरी पढ़ाई करता है यानी एक तो शिक्षा ग्रहण करना और दूसरे पराई भाषा को भी पढ़ना. उस पर अंग्रेजपरस्त लोगों का यह कहना कि अंग्रेजी एक वैश्विक

भाषा है, इसका महत्व किसी भी स्थानीय भाषा के महत्व से ज़्यादा है, गुलाम मानसिकता का द्योतक है. इसी गुलाम मानसिकता वाले अंग्रेजपरस्त लोगों ने अंग्रेजी भाषा को आज

प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है. जबकि सत्य यह है कि आज लोग इस भ्रम में अपने बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा दिलाना चाहते हैं कि अंग्रेजी सीखने के बाद जीविका के तमाम अवसर मिल जाएंगे. दरअसल किसी भी भाषा के बढ़ने के कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह हो गई है कि उस भाषा का प्रत्यक्ष लाभ आदमी को रोजी-रोटी कमाने में मिले. जिस भाषा से ज्ञान और शिक्षा को संगठित करके रोजगारपरक बना दिया जाता है, वह भाषा आमजन के मध्य लोकप्रिय होती जाती है. आज भारत की भाषाओं पर एक सोची-समझी रणनीति के तहत अंग्रेजी थोप दी गई है. जीविका को अंग्रेजी भाषा का आश्रित बनाकर भारत के लोगों को मानसिक तौर पर गुलाम बना लिया गया है. आज पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जहां के निवासियों को अपनी भाषा में बातचीत करने या लिखने-पढ़ने में भी शर्म आने लगी है. भारत के मूल निवासी अधकचरी अंग्रेजी बोलने में गर्व महसूस करते हैं. हम अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को कतई ग़लत नहीं मानते. किसी भी भाषा का ज्ञान व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास एवं योग्यता के लिए बहुत आवश्यक होता है, लेकिन जब किसी भाषा को किसी देश की मातृभाषा-स्थानीय भाषा पर थोपा जाता है, तब कष्ट होता है. भारत के लोगों को भी चीन, जापान, रूस, फ्रांस एवं स्पेन आदि देशों के लोगों की तरह अंग्रेजी को सिर्फ एक साधारण भाषा के तौर पर ही लेना चाहिए. भाषा ज्ञान का पर्यायवाची नहीं होती है. कोई भी राष्ट्र अपनी भाषा में तरक्की के बेमिसाल मापदंड स्थापित कर सकता है, इसके जीवंत उदाहरण जापान, अमेरिका एवं चीन आदि देश हैं.



माइक्रोसॉफ्ट की असलियत और हमारी सरकार



रीतिका सोनानी

कंप्यूटर के आविष्कार ने विश्व में क्रांति ला दी है। मौजूदा दौर में जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहां कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। विकसित देशों के साथ विकासशील देश भी कंप्यूटर के ज़रिए सभी कामों को आसान बनाने के लिए इसका प्रशिक्षण गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में कंप्यूटर शिक्षा का क्षेत्र वृद्धियों, सरकार की अनदेखी और लापरवाही का जीता-जागता उदाहरण है। कंप्यूटर की दुनिया ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर के मामलों में दो भागों में बंट चुकी है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और पेड ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को शुरू करने के लिए उसमें डाले जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स और पेड दोनों होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध है, जबकि पेड सॉफ्टवेयर के लिए ग्राहकों से पैसे लिए जाते हैं। बिज़नेस ऑफ सॉफ्टवेयर एसोसिएशन के अनुसार, 22 प्रतिशत यूजर ओपन सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 33 प्रतिशत यूजर पाइरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम इंज़ाद करने वाले देश अमेरिका खुद को ओपन सोर्स उपभोक्ता साबित करने की ओर कदम बढ़ा चुका है। अमेरिकी सरकार पूरी तरह से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपने देश का अरबों डॉलर बचा रही है। अमेरिका का अनुसरण करते हुए भारत और दूसरे देशों को भी इस दिशा में कदम उठाने की ज़रूरत है। हमारे देश की सरकार और जनता, दोनों ही पेड सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके चलते अरबों रुपये की राशि माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम जैसी कंपनियों के खाते में जाती है। अपने देश से दूसरे देश में जा रही इस भारी-भरकम रकम को आसानी से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करके बचाया जा सकता है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम निःशुल्क उपलब्ध है, जिसे इंटरनेट से डाउनलोड करके या बाज़ार में सॉफ्टवेयर वेंडर से लेकर अपने सिस्टम में इस्तेमाल किया जा सकता है। ओपन सोर्स का मतलब है, जिस सॉफ्टवेयर का कोड इंटरनेट पर फ्री उपलब्ध है, जिसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें थोड़े-बहुत बदलाव भी किए जा सकते हैं।

दूसरी ओर माइक्रोसॉफ्ट का पेड यानी शुल्क ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर भी है, जिसे हम विंडोज के नाम से जानते हैं। भारत अभी भी विकासशील देशों में शुमार होता है, यहां गरीबी है, संसाधनों की कमी है। हैरानी की बात यह है कि हमारे यहां ओपन सोर्स सिस्टम के बारे में न तो जानकारी दी जाती है और न ही इसके लिए प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था है। दक्षिण अमेरिका व यूरोप के देशों और ऑस्ट्रेलिया में ओपन सोर्स के शिक्षण-प्रशिक्षण पर खूब जोर दिया जा रहा है। वहां माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बजाय ओपन सोर्स की पढ़ाई होती है। इतनी आसानी से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध होने के बावजूद

हमारे देश में माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर ही प्रचलित हैं। इसकी कई वजहें हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है हमारे देश का सरकारी तंत्र। दरअसल, माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा ग्राहक हमारी सरकार है। हमारे देश के सरकारी दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। यानी हर साल जितने भी कंप्यूटर सरकारी दफ्तरों के लिए खरीदे जाते हैं, उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा जाता है। हमारे देश में भ्रष्टाचार की जो हालत है, उसमें इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट सरकारी विभागों के आला अधिकारियों की जेबें गर्म कर अपना प्रोडक्ट बेचने में सफल होता है।

इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट के साथ साठ गांठ कर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने देश के युवाओं के विकास में रोड़ा अटकाया है। देश के तमाम एआईसीटीई प्रमाणित आईटी इंस्टीट्यूट्स में सरकारी अधिकारियों ने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन एंड ऑपरेशन की जगह माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन एंड ऑपरेशन पढ़ाने का नियम तय कर रखा है। देश के सभी शिक्षण संस्थानों में कंप्यूटर प्रशिक्षण का मतलब माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन एंड ऑपरेशन का प्रशिक्षण। यही वजह है कि ओपन सोर्स की पहुंच आम लोगों तक नहीं हो पाई है। माइक्रोसॉफ्ट की नीति यह है कि जो बच्चे कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं, उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर से रूबरू कराया जाए, जिससे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की पहुंच लोगों तक कम से कम हो। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रचार और मार्केटिंग पर काफी पैसे खर्च करता है। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स और कंपनी के अन्य अधिकारी प्रतिवर्ष भारत आकर कभी कैंसर मरीजों के बहाने तो कभी बिहार के किसी गांव को गोद लेने के बहाने यहां के राजनेताओं और अधिकारियों को फांसने की कोशिश करते हैं। गांव-गांव में जाकर मुफ्त में बांटे गए कंप्यूटरों के तहत यह नीति होती है कि उनमें इनबिल्ट माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम से लोग रूबरू हो सकें। सभी कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज पहले से इंस्टॉल होते हैं।

शिक्षा प्रोजेक्ट्स के तहत माइक्रोसॉफ्ट आईटी शिक्षा का विस्तार करने के बहाने करोड़ों रुपये का फंड भारत के विभिन्न संस्थाओं को देता है। इसका असली मकसद यह होता है कि कंप्यूटर शिक्षा में माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का प्रशिक्षण देने के कोने-कोने तक पहुंचाया जा सके। वर्ष 2004 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लांच किए गए प्रोजेक्ट ज्योति को 2007 में दिए गए आठ करोड़ रुपये के फंड के अलावा 27 करोड़ की कीमत के सॉफ्टवेयर देश के दूरराज्य इलाकों में मुफ्त बांटे गए। यह राशि देश के चार गैर सरकारी संस्थानों वृष्टि फाउंडेशन, डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स, ग्रामीण संचार सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीबिजनेस प्रोफेशनल्स को मिली, जिन्हें ग्रामीण भारत में कम्प्युनिटी टेक्नोलॉजी लर्निंग सेंटर स्थापित करने का जिम्मा दिया गया था। प्रोजेक्ट ज्योति में माइक्रोसॉफ्ट अब तक 47 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। इस प्रोजेक्ट के तहत देश के 20 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में इसका फैलाव 14 गैर सरकारी संस्थानों द्वारा हो चुका है। इसके तहत बेरोज़गार युवाओं, अधिकारहीन महिलाओं और ग्रामीण लोगों को शिक्षित करने की योजना है, ताकि उन्हें रोजगार पाने में आसानी हो। इन संस्थाओं के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लोगों के बीच मुफ्त बांटकर अपनी छवि एक ऐसी कंपनी की बना ली, जो भारत और अन्य विकासशील देशों की जनता के उत्थान के लिए कार्य करती है, लेकिन यह माइक्रोसॉफ्ट की एक चाल है और लोगों को केवल माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस की पढ़ाई ही कराई जाती है। इसी तरह से

भारत सरकार प्रोजेक्ट शिक्षा, जिसके तहत देश भर के सरकारी स्कूलों के शिक्षक और विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें भी माइक्रोसॉफ्ट अहम भूमिका निभा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत आईटी पाठ्यक्रम में सॉफ्टवेयर सोल्यूशन को शामिल करने के अलावा शिक्षकों-छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करने और देश के ग्रामीण हिस्सों में बच्चों एवं शिक्षकों को कंप्यूटर से रूबरू करने की योजना बनाई थी। माइक्रोसॉफ्ट और भारत सरकार के इस पार्टनरशिप के तहत भी माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम का ही प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके प्रथम चरण में देश के 12 राज्यों महाराष्ट्र, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, मिजोरम, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के 5,12,000 शिक्षकों और 25 मिलियन छात्रों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया है। यही नहीं, देश की सेना के जवानों को भी माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम का ही प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रोजेक्ट क्षमता के तहत 8 दिसंबर 2009 को माइक्रोसॉफ्ट का इंडियन आर्मी के साथ करार हुआ था, जिसमें 110 घंटे की क्लास में बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग, सॉफ्ट स्किल्स के साथ 30 घंटे का माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल लिटरेसी स्किल्स प्रोग्राम कराने की व्यवस्था है। इस मॉडल के तहत देश भर में फेले भारतीय

सेना के 48 सेना प्रशिक्षण केंद्रों में 1000 मास्टर ट्रेनर तैयार करके जवानों को प्रशिक्षण देने की योजना है। यानी देश की सेना में भी माइक्रोसॉफ्ट की पहुंच को नकारा नहीं जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट भारत के ई-गवर्नेंस सोल्यूशंस के साथ पार्टनरशिप में है, जिससे वह केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से जुड़कर पिछले 17 सालों से लाभ कमा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट 14 राज्य सरकारों के साथ पार्टनरशिप में है और अब लगभग 300 एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की नीतियों का एक अहम हिस्सा यह है कि नया कंप्यूटर खरीदने वालों को उसके सॉफ्टवेयर पहले से मिल जाए। इसके लिए भी माइक्रोसॉफ्ट काफी पैसे खर्च करके हाइडवेयर वेंडर से सभी नए कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल कराता है, इससे खरीददार के पास और कोई विकल्प नहीं रह जाता। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट की रणनीति यही है कि उसे अपने प्रोडक्ट को आम आदमी के बीच लोकप्रिय बनाना है, जबकि उसके टारगेट खरीददार कोई और हैं। भारत सरकार, लैपटॉप-कंप्यूटर एसेंबलिंग करने और बनाने वाली कंपनियां ही माइक्रोसॉफ्ट के इमानदार ग्राहक हैं।

इतनी आसानी से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध होने के बावजूद हमारे देश में माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर प्रचलित हैं। इसकी कई वजहें हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि माइक्रोसॉफ्ट किसी भी नए ऑपरेटिंग सिस्टम और

कमजोर सिक्योरिटी

विंडोज की सिक्योरिटी पर संदेह तो वर्षों से किया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट की कमजोर सिक्योरिटी से दुनिया भर में यूजर्स भी परेशान हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर सीक्रेट होने की वजह से कोई इसकी सिक्योरिटी को एक्सेस नहीं कर सकता। एंटी वायरस के मार्केट के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट ही जिम्मेदार है। यह अपने ही सॉफ्टवेयर को करंट करने के लिए वायरस बनाकर लोगों तक पहुंचा देता है और फिर एंटी वायरस बनाकर लोगों को अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए आगाह करता है। थोड़े-थोड़े समय के अंतराल पर माइक्रोसॉफ्ट अपडेटेड एंटी वायरस लाकर मजबूत सिक्योरिटी के दावे के साथ बाज़ार में बेचता है और इस तरह माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचता रहता है। ऐसे में लोग अन्य विकल्प की ओर कम ही जाते हैं।

सॉफ्टवेयर को लांच करने के बाद उसे ग्राहकों को बाद में बेचना है, उससे पहले बाज़ार में और इंटरनेट पर पाइरेटेड कॉपीयां उपलब्ध हो जाती हैं। कंप्यूटर रखने वाले लोग नए ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर की उपलब्धता देखकर फटाफट अपने पास इंस्टॉल कर लेते हैं। अपने सॉफ्टवेयर को आम लोगों के बीच उपलब्ध कराने का माइक्रोसॉफ्ट के पास कोई दूसरा ज़रिया नहीं है। आम यूजर्स के बीच अपनी साख बनाए रखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट अपने ही सॉफ्टवेयर का पाइरेटेड वर्जन इंटरनेट पर उपलब्ध कराता है, जिससे लोग आसानी से उसे पा सकें और फिर उनका ध्यान किसी अन्य सॉफ्टवेयर पर न जा पाए। पाइरेटेड वर्जन निकाल कर माइक्रोसॉफ्ट बाज़ार में अपना कंट्रीशन खत्म करता है और फिर पाइरेसी रोकने के नाम पर विंडोज जेनरल एडवांटेज एप्लीकेशन के सहारे लोगों की निजी जानकारियों को लीक करता है। विंडोज जेनरल एडवांटेज एप्लीकेशन से पाइरेटेड यूजेज का पता लगाया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट नियमित तौर पर यूजर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के अपग्रेडेड विकल्प उपलब्ध कराता रहता है, जिसे यूजर्स को मजबूरन अपनाना पड़ता है। यह पुराने वर्जन के सॉफ्टवेयर का सपोर्ट हटाकर नए सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाने पर मजबूर करता है। इस तरह यूजर्स को ज़बरदस्ती अपडेटेड वर्जन अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट अपने नियमित ग्राहकों, जैसे भारत सरकार और दूसरी कंपनियों को एक ही प्रोडक्ट बार-बार बेचता है। अपडेटेड वर्जन न अपनाने पर माइक्रोसॉफ्ट अपने पुराने वर्जन को लॉक कर देता है, जिससे उसका इस्तेमाल मुश्किल हो जाता है।

ritika@chauthiduniya.com

माइक्रोसॉफ्ट और पाइरेसी

आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर 7000 रुपये में आता है। इस सॉफ्टवेयर को खरीदना आम कंप्यूटर यूजर की पहुंच से बाहर है। इतना महंगा सॉफ्टवेयर या तो सरकार खरीद सकती है या फिर कोई कंपनी, जहां से इसकी पाइरेटेड कॉपी आम आदमी के लिए हासिल करना काफी मुश्किल है। फिर भी माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी सॉफ्टवेयर लांच होने के साथ ही इंटरनेट या सॉफ्टवेयर वेंडर के पास उपलब्ध होता है। ऐसा कैसे होता है? विश्व की सबसे अग्रणी कंपनी क्या अपनी तकनीकी सुरक्षा को लेकर इतनी गैर जिम्मेदार हो सकती है? क्या पाइरेसी के इस तंत्र को रोक नहीं जा सकता, जिससे सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी को ही नुकसान पहुंचता है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट ही पाइरेसी के लिए भी जिम्मेदार है।





मणिपुर में खेलों के नाम पर सुविधाएं न के बराबर हैं. राज्य में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल अगर कुछ हद तक सुधर जाए तो देश की शान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों की संख्या और बढ़ सकती है.

नायकों को सलाम

सोना मिला, सोने जैसे खिलाड़ी भी



गीता



अंशु मलिक



सखी मलिक



बनिता

38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य यानी कुल 101 पदक. यह है 19वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत की तस्वीर. खेलों के आठ दशकों के इतिहास में पहली बार भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में दूसरा स्थान हासिल किया. शानदार प्रदर्शन और खेलों के सफल आयोजन का सेहरा अपने-अपने सिर बाँधने की प्रतिस्पर्धा में शीला दीक्षित और सुरेश कलमाडी की जुबान थक नहीं रही है, लेकिन हम आपको इस सबसे एक अलग कहानी बताते हैं. यह कहानी है कॉमनवेल्थ के पोस्टर को फाड़कर निकले उन नायकों की, जिन्होंने पदकों की लोभार करने में अपना पसीना बहाया है. इनमें से ज्यादातर नायक दूरदराज के गांवों में रहने वाले थे. इनमें से बावजूद सुविधा है, न प्रशिक्षक हैं और न ही प्रायोजक. इनके सामने कई मुश्किलें थीं. घर की आर्थिक हालत जर्जर है, परिवारीजनों का समर्थन नहीं है, रोजी-रोटी के लिए नौकरी करनी है. इसके बावजूद इन्होंने वह कर दिखाया, जो पिछले 80 सालों में कभी नहीं हुआ था. ये अपने दम पर खेले. भारत एवं भारतीयों को गर्व और खुशियों की सौगात दी.

तीरंदाजी में सोना जीतने वाली 16 वर्षीय दीपिका कुमारी झारखंड के एक छोटे से गांव रतुचेती में रहती हैं. उनके पिता रांची में आटो रिक्शा चलाते हैं. इसके बावजूद खुद कुछ कर जाने की जिद ने दीपिका को इस मुकाम तक पहुंचाया. वहीं दस हजार मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीतने वाली कविता राउत नासिक के एक गांव से हैं. उन्होंने धावक बनने का फ्रैसला इसलिए किया, क्योंकि वह जंगे पैर दौड़ सकती थीं. इतने पैसे नहीं थे कि जूते खरीद सकें. तैराकी में विकलांग खिलाड़ी प्रशांत ने दिखाया कि बिना सुविधाओं के अगर वह कांस्य जीत सकते हैं तो सुविधाएं मिलने पर क्या कर सकते हैं. हरियाणा में भिवानी के एक छोटे से गांव की गीता कुशती में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला रहीं. उनकी बहन बबीता 51 किलोग्राम फ्री स्टाइल

कीर्तिमान यही खिलाड़ी बनाएंगे, जो सुविधारहित संसार से आए हैं. इन खिलाड़ियों के जज्बे को सलाम.

कुशती में रजत मिलने पर कह रही थीं कि वह लाज नहीं रख पाई. इसी तरह लंबी कूद में रजत पदक लेने वाली प्रजुषा के पिता त्रिचूर में रसोइया थे, लेकिन अब बेरोजगार हैं. इस बेकारी की हालत में भी प्रजुषा के हौसले परत नहीं हुए. जिमनास्टिक में रजत और कांस्य पदक जीतने वाले आशीष कुमार और हॉकी में पाकिस्तान के खिलाफ गोल करने वाले दानिश इलाहाबाद के हैं और बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि वाले परिवारों से ताल्लुक रखते हैं. इन दोनों ने

इस भांति को झुठलाया कि राष्ट्रमंडल में खेलने और जीतने के लिए किसी बड़े घराने का होना जरूरी है. ऐसा ही एक नाम मुक्केबाजी में भी आता है. छोटा टायसन के नाम से मशहूर मणिपुरी बॉक्सर सुरजय सिंह भी साधारण परिवार से होने के बावजूद भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में कामयाब रहे. मणिपुर से ही एक और भारोत्तोलक का नाम लेना बहुत जरूरी है. 58 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन में देश की झोली में स्वर्ण डालने वाली

रेणु बाला का करियर कई कठिन रास्तों और लंबे संघर्ष से गुजरा है. बताते हैं कि वह संघर्ष के दिनों में बस कंडक्टर का काम भी कर चुकी हैं. यहां तक पहुंचने में उनके जज्बे का ही कमाल है. 64 किलोग्राम वर्ग की मुक्केबाजी में मनोज कुमार ने भी भारत को स्वर्ण से नवाजा. ऐसे ही कई नाम हैं, जिन्होंने बगैर सुविधा और सहयोग के देश को कई पदक दिलाए. मसलन मुक्केबाजी में परमजीत समोटा, कुशती में सुशील कुमार, सेंटर फायर पिस्टल में हरप्रीत सिंह, कुशती में ही अनिल कुमार, अनीता और अलका. स्वर्ण की बात हो और हरियाणा का नाम न आए, नामुमकिन है. ज्यादातर विजेता खिलाड़ी हरियाणा से हैं. कुछ लोग तो राष्ट्रमंडल खेलों को हरियाणा का खेल तक कह रहे हैं.

गौर करने वाली बात है कि तीरंदाजी, जिमनास्टिक और पैरा स्वीमिंग में भारत को इससे पहले राष्ट्रमंडल खेलों में पदक नहीं मिला. इनमें पदक जीतने वाले ज्यादातर विजेता अज्ञान गांवों और कस्बों से आए हैं. दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये खिलाड़ी उन खेलों में पदक ला रहे हैं, जो ग्लैमरस स्पर्धाओं की श्रेणी से बाहर है. यह संतोष की बात है कि गांवों में रहने वाले सुविधाहीन खिलाड़ियों ने कई पदक जीते हैं, लेकिन असल समस्या यह है कि इन खेलों के बाद हम उन्हें फिर भुला देंगे. हरियाणा एवं झारखंड सरकार से सबक लेते हुए केंद्र और अन्य राज्य सरकारों को चाहिए कि वे इन खिलाड़ियों को उचित सुविधा देकर ओलंपिक के लिए तैयार करें. अगले राष्ट्रमंडल खेल स्कॉटलैंड में होंगे. हमें यह मानकर चलना चाहिए कि यह तो महज शुरुआत है, अभी कई कीर्तिमान बनाने बाकी हैं और ये कीर्तिमान यही खिलाड़ी बनाएंगे, जो सुविधा और सहयोगरहित संसार से आए हैं. बहरहाल, इन खिलाड़ियों के जज्बे को सलाम.

राजेश एस कुमार
rajeshy@chauthidunya.com

सभी फोटो-सुनील मल्होत्रा

मणिपुर : इंडिया का स्पोर्ट्सवेल्थ



एल. सुरजय

बोम्बेला चनु

रेणुबला चनु



एस. बिजेन सिंह

राष्ट्रमंडल खेलों में मणिपुर का जलवा सबने देखा. जिस अंदाज़ में इस राज्य के खिलाड़ियों ने पदक पर पदक जीते, उसे देखते हुए इस राज्य को स्पोर्ट्स का पावर हाउस कहना ग़लत नहीं होगा. भले ही मणिपुर आतंकवाद और अभावों से ग्रस्त हो, फिर भी देश की शान बढ़ाने में यहां के खिलाड़ियों ने कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी. 19वें राष्ट्रमंडल खेल के पहले दिन ही पदकों का खाता भारोत्तोलन के नाम खुला. मणिपुरी बाला सोनिया चनु ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीता. यह देश के लिए गर्व का मौका था. राष्ट्रमंडल खेल में रेणुबला चनु, सोनिया चनु, संध्या रानी चनु, मोनिका देवी, बोम्बेला चनु, भाग्यवती और सुरजय आदि ने पदक जीतकर पदक तालिका में भारत को दूसरा स्थान दिला दिया.

मणिपुर के अधिकतर खिलाड़ी निम्न-मध्यमवर्गीय परिवारों से आते हैं. भारोत्तोलक रेणुबला चनु की पारिवारिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी. अपना परिवार चलाने के लिए उसे बस में कंडक्टरी तक करनी पड़ी थी. 58 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारोत्तोलक रेणु कहती हैं कि मैं दिन में तीन बार अभ्यास करती हूं. यही नहीं, वो रात में भी अभ्यास करती हूँ. 52 किलो वर्ग के मुक्केबाज़ सुरजय एशिएन चैंपियन भी हैं. बाक्सिंग की दुनिया में छोटा टायसन के नाम से प्रसिद्ध सुरजय मार्च 2009 से आज तक यानी एक साल के सफर में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार छह स्वर्ण पदक जीत चुके हैं. राष्ट्रमंडल खेलों में भी सुरजय ने भारत के लिए एक स्वर्ण पदक जीता यानी एक साल में सात स्वर्ण पदक.

डोपिंग मामले में फंस चुकी भारोत्तोलक मोनिका को 75 किलो वर्ग में कांस्य से ही संतुष्ट होना पड़ा. मोनिका 2008 के ओलंपिक में डोपिंग के चलते खेल नहीं पाई थी. उसकी जगह शैलजा पुजारी को चुना गया था. कुल

मिलाकर मणिपुर के 16 खिलाड़ियों ने 19वें राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया था. उनमें से सात खिलाड़ियों ने सफलता हासिल की. भारत सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों का स्वागत किया. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) ने भी मणिपुर के खिलाड़ियों का सम्मान किया. रेणुबला की पहली कोच एल अनीता चनु कहती हैं कि अगर हमारे राज्य में शांति आ जाए तो हर जगह हमारे ही खिलाड़ी दिखेंगे. हमारे खिलाड़ियों को जो सफलता मिल रही है, उससे हमारे राज्य में लड़कियां ज्यादा से ज्यादा खेलों की दुनिया में आना चाह रही हैं, लेकिन बात वहीं राज्य के अशांतिपूर्ण माहौल पर आकर टिक जाती है. अनीता अब तक सोनिया चनु, संध्या रानी चनु और रेणुबला आदि कई खिलाड़ियों को वेट लिफ्टिंग का शुरुआती प्रशिक्षण दे चुकी हैं.

मणिपुर में खेलों के नाम पर सुविधाएं न के बराबर हैं. राज्य में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल अगर कुछ हद तक सुधर जाए तो देश की शान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों की संख्या और बढ़ सकती है. अगले ओलंपिक तक और भी अच्छे खिलाड़ी आ सकते हैं. ऐसे में खिलाड़ियों को समुचित सुविधा देने के लिए बेहतर सरकारी नीति की ज़रूरत है. गरीबी और राजनीतिक उठापटक की वजह से मणिपुर की क्या हालत है, यह किसी से छुपा नहीं है. बावजूद इसके यहां के लोगों और खिलाड़ियों के मन में देश का नाम रोशन करने का जज्बा कम नहीं हुआ है.

bijen@chauthidunya.com



मोनिका देवी

सोनिया (बाएं) और संध्यारानी (बाएं)

सप्ताह की सबसे बड़ी पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी

दो हक



शनिवार रात 8 : 30 बजे
रविवार शाम 6 : 00 बजे
ईटीवी के सभी हिन्दी चैनलों पर





तनुश्री कभी रोमांटिक रोल में दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ाती नज़र आई तो कभी हंसाते हुए.

मल्लिका की वापसी

सा धारण शकल-ओ-सूरत वाली मल्लिका ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी अदाओं से बॉलीवुड के साथ-साथ हॉलीवुड को भी अपना दीवाना बना लेगी. हालांकि शुरुआती दौर में मल्लिका ने खुद को स्थापित करने के लिए बयानबाज़ी का सहारा लिया, लेकिन अब वह बॉलीवुड की स्थापित अभिनेत्रियों में गिनी जाती है. मल्लिका इधर पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड से गायब थीं.

बताया जाता है कि वह किसी हॉलीवुड प्रोजेक्ट में व्यस्त थीं, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि बॉलीवुड से दूरी उनके करियर के लिहाज़ से ठीक नहीं है और बॉलीवुड के प्रति हॉलीवुड अभिनेत्रियों का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है, उन्हें अपना घर याद आने लगा. मल्लिका जानती हैं कि इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए किसी न किसी बहाने चर्चा में रहना ज़रूरी है. यह सोचकर उन्होंने कुछ दिनों पहले सोशल नेटवर्किंग साइट ट्वीटर में अपनी टॉपलेस फोटो लगा दी. फिर वही हुआ, जो मल्लिका चाहती थीं.

फ़िलहाल आजकल वह अपनी फिल्म हिस्स के प्रचार में लगी हुई हैं. गौरतलब है कि यह फिल्म नाग-नागिन की कहानी पर आधारित है. इस फिल्म की चर्चा तभी से है, जब इसके निर्माण की घोषणा हुई थी. जब मल्लिका को यह फिल्म ऑफर हुई थी, तब उनका कहना था कि वह ज़्यादातर हॉलीवुड प्रोजेक्ट पर ही काम करना पसंद करेंगी. यह वह दौर था, जब उनकी हॉलीवुड फिल्म द मिथ रिलीज हुई थी. सब जानते हैं कि इस फिल्म में उनके साथ अंतरराष्ट्रीय सुपर स्टार जैकी चैन काम कर रहे थे. इसी फिल्म की बदौलत वह कमल हासन की फिल्म दशावतारम के प्रोमोशनल इवेंट में जैकी चैन को बतौर गेस्ट भारत लाई थीं, लेकिन अब समय बदल चुका है. हिस्स में वह सारा मसाला मौजूद है, जो एक हिंदी कमर्शियल फिल्म में होता है. मल्लिका ने इस फिल्म में जमकर एक्सपोज़ किया है. उन्हें उम्मीद है कि यह फिल्म दर्शकों को ज़रूर पसंद आएगी. आदत से मजबूर मल्लिका ने यहां भी अपनी फिल्म और खुद के प्रचार के लिए प्रियंका चोपड़ा को विवाद में घसीट लिया.

उन्होंने ट्वीटर के ज़रिए प्रियंका पर आरोप लगाया कि रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में अपनी गर्दन पर सांप लपेट कर प्रियंका ने उनकी नकल की है. मालूम हो कि फिल्म मर्डर में बोल्ट सीन देने के बाद मल्लिका सेक्स सिंबल के रूप में बॉलीवुड में छा गई थीं. प्ले ब्वॉय जैसी पत्रिका ने अपने कवर के लिए उन्हें न्यूड सीन का ऑफर दिया था. जून 2007 में हांगकांग की एक प्रसिद्ध पत्रिका ने मल्लिका को एशिया के 100 खूबसूरत लोगों में से एक बताया था. उनके प्रशंसकों के लिए खुशखबरी यह है कि वह फिल्म हिस्स के बाद भी सक्रिय रूप से बॉलीवुड में काम करती रहेंगी. वह जल्द ही इंद्र कुमार की फिल्म धमाल के सिक्वल में भी नज़र आने वाली हैं.



तनुश्री का फ़िस्मत कनेक्शन

हॉ तनुश्री अपनी पहली ही फिल्म में बोल्ट सीन देकर बॉलीवुड में छा गई थीं. यूं तो उनकी पहली फिल्म चॉकलेट थी, पर उससे पहले रिलीज हुई फिल्म आशिक बनाया आपने. यह फिल्म लव ट्रैंगल पर आधारित थी. इसमें उनके अपोज़िट इमरान हाशमी थे. उनकी भूमिका एक कॉलेज स्टूडेंट स्नेहा की थी और उन्होंने जमकर अंग प्रदर्शन किया. इसके बाद उनकी फिल्म चॉकलेट आई, जिसमें उनकी भूमिका बिल्कुल अलग थी. फिर वह कॉमेडी फिल्मों की तरफ़ मुड़ी और भागमभाग एवं ढोल जैसी फिल्मों में काम किया. हालिया रिलीज फिल्म अपार्टमेंट में तनुश्री ने अच्छा अभिनय किया, पर दर्शकों का खास अंशान नीतू चंद्रा ले गई. तनुश्री ने जिस तरह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, उसे देखकर यही माना जा रहा था कि वह नेक्स्ट जेनरेशन की स्थापित नायिकाओं में शुमार होंगी. जमशेदपुर की रहने वाली तनुश्री ने अपनी शिक्षा-दीक्षा पुणे में पूरी की. कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद तनुश्री ने इवेंट मैनेजमेंट सेक्टर में काम भी किया. उनके पिता इंशोरेंस सेक्टर में

काम करते हैं और मां एक कुशल गृहिणी. 2004 में तनुश्री ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए भारत का प्रतिनिधित्व किया था. फिर उन्हें बॉलीवुड भाने लगा और वह यहीं की होकर रह गई. तनुश्री कभी एक ही तरह की भूमिका में बंधकर नहीं रहीं. उन्होंने कई तरह की भूमिकाएं कीं. कभी वह रोमांटिक रोल में दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ाती नज़र आई तो कभी हंसाते हुए. इन तमाम विविधताओं के बावजूद वह बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में अपनी जगह नहीं बना पाई. शायद तनुश्री की फ़िस्मत उनका साथ नहीं दे रही है और इसीलिए वह आज तक किसी गंभीर भूमिका से दूर हैं, जबकि उनके बाद की कई अभिनेत्रियां उनसे आगे निकल गईं.


चौथी दुनिया व्यूरो
feedback@chauthidunya.com



प्रीत्यू

एक्शन री-प्ले

बॉलीवुड को कई सफल फिल्मों में दे चुके निर्देशक विपुल शाह और अक्षय कुमार की जोड़ी एक बार फिर साथ आ रही है फिल्म एक्शन री-प्ले में. फिल्म आखें के बाद एक बार फिर ऐश्वर्या और अक्षय की जोड़ी साथ काम कर रही है. यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. इसमें अक्षय कुमार-ऐश्वर्या ऋषि कपूर और नीतू सिंह के दौर की याद दिलाते हैं. अक्षय कुमार अपनी भूमिका में फिट बैठे हैं. कॉमेडी के साथ-साथ भावपूर्ण भूमिकाओं या रोमांटिक दृश्यों वाली उनकी कई फिल्मों हिट रही हैं. 40 के पड़ाव पर पहुंचती ऐश्वर्या नई अभिनेत्रियों पर भारी पड़ रही हैं. वह आजकल विविध भूमिकाओं वाली फिल्मों में कर रही हैं. फिल्म के डायरेक्टर-प्रोड्यूसर विपुल शाह हैं. लेखक सुरेश नायर एवं अतिश कपाडिया बहावल है. संगीत दिया है प्रीतम चक्रवर्ती ने और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं सबीना खान. मुख्य कलाकार हैं अक्षय कुमार, ऐश्वर्या राय एवं नेहा धूपिया और सहायक कलाकार हैं रणधीर कपूर, किरण खेर, राजपाल



यादव एवं ओम पुरी. यह फिल्म 1970 के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें अक्षय कुमार और ऐश्वर्या पति-पत्नी की भूमिका में हैं. किशन (अक्षय कुमार) और माला (ऐश्वर्या) की शादी को 35 साल गुज़र चुके हैं. उनका एक बेटा बंटी (आदित्य कपूर) है, जो अपने मां-बाप के झगड़ों को देख-देखकर बड़ा होता है. वह सोचता है कि क्या कभी उनके बीच प्यार हो सकता है. बंटी की गर्लफ्रेंड तान्या (सुदीपा शाह) है. उसके दादा बंटी को टाइम मशीन से पीछे ले जाते हैं और पूछते हैं कि अगर अतीत की कोई गलती सुधारने का मौका मिले तो तुम कौन सी गलती सुधारना पसंद करोगे? बंटी कहता है कि अपने मां-बाप की शादी. बंटी देखता है कि उसके मां-बाप तब भी हमेशा लड़ते-झगड़ते रहते थे. फिर भी दोनों एक-दूसरे को प्यार करते थे और उन्होंने शादी भी की. दोनों की यह लव मैरिज थी, बावजूद इसके दोनों खुश नहीं हैं. यह फिल्म आगामी 5 नवंबर को रिलीज़ होगी.

चौथी दुनिया व्यूरो
feedback@chauthidunya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड



दिल्ली, 25 अक्टूबर-31 अक्टूबर 2010

www.chauthiduniya.com

हम तो डूबेंगे ही, तुम्हें भी ले डूबेंगे



अजब तस्वीर है हर तरफ़. प्रत्येक राजनीतिक दल के सामने एक साथ दो मोर्चे हैं. एक ओर परंपरागत प्रतिद्वंद्वी हैं तो दूसरी ओर घर के असंतुष्ट. बागियों के तेवर और कार्यकर्ताओं की नाराज़गी ने हर दल के हाईकमान को कुछ ज्यादा ही मुश्किल में डाल रखा है. अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगी देख वरिष्ठ नेताओं की आंखों से नींद गायब है. मनाने-समझाने का दौर जारी है, लेकिन बात है कि दूर तक बनती नज़र नहीं आती.



सरोज सिंह

पूरा बिहार चुनावी मूड में है. हर तरफ हार-जीत के आंकड़े और समीकरण समझाए जा रहे हैं. सुबह जो प्रत्याशी भारी दिखता है, शाम होते-होते वह कमज़ोर साबित कर दिया जाता है. समर्थकों की एक बड़ी फ़ौज नेता जी के गांव में आते ही ज़िंदाबाद के नारों से कान फाड़ रही है, लेकिन नेता जी के जाते ही गुटका मुंह में जाता है और थूक फेंकने के साथ एक्सपर्ट टिप्पणी आती है, इस बार दिक्कत है हो. ज़मीन से जुड़े समर्थकों का यह अनुमान यूँ ही नहीं है. दरअसल चुनावी मूड में बागियों के चढ़े रंग ने लगभग सभी दलों के नेताओं एवं समर्थकों की नींद खराब कर दी है. यह ऐसा संकट है, जिसे दूर करने के सारे प्रयास बेकार चले गए. हाल यह है कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से लगभग साठ सीटों पर बागी प्रत्याशी अपने दल के उम्मीदवारों की संभावनाओं पर पानी फेर

रहे हैं. टिकट न मिलने से कुछ नेता ऐसे हताश हुए कि उन्होंने ठान लिया है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे.

नेताओं के बीच आपसी खींचतान और अपने रिश्तेदारों के लिए हद से गुज़र जाने की कवायद ने ज़मीन से जुड़े कई योग्य प्रत्याशियों को टिकट से वंचित कर दिया. इसके अलावा इस बार चुनाव लड़ने वालों की संख्या और महत्वाकांक्षा भी ज़्यादा थी. यही वजह रही कि सबसे अलग दिखने का दावा करने वाली भाजपा भी इस बार भारी अनुशासनहीनता का शिकार हो गई. अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने में उसे महीनों का वक़्त लग गया, पर जब नाम धीरे-धीरे सामने आए तो पार्टी में भूचाल आ गया. इसकी परकाष्ठा प्रदेश अध्यक्ष सी पी ठाकुर के इस्तीफ़े के रूप में सामने आई. हालांकि एक हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा वापस ले लिया, लेकिन उन्होंने टिकट बंटवारे में अपनी बेबसी की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर सभी भौचक्के रह गए. ठाकुर ने कहा कि कुछ टिकट ऐसे बांटे गए, जिनकी जानकारी मुझे नहीं थी. कोर कमेटी की बैठक भी कई बार मेरी जानकारी के वगैर हो गई.

अगर कोई पार्टी अध्यक्ष इस तरह की बात कहता है तो उसकी बेबसी और पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है. स्वाभाविक है, जब आंतरिक लोकतंत्र का गला घोंटा गया हो तो टिकट बंटवारे के मापदंड अलग हो गए होंगे. यही वजह है कि बागियों की एक बड़ी फ़ौज भाजपा प्रत्याशियों के लिए मुसीबत बनकर खड़ी है. संजीव झा सहरसा से, जनार्दन यादव नरपतगंज से, दिलीप वर्मा सिकटा से, मालती गुप्ता रामगढ़ से, सत्यदेव सिंह गोरियाकोटी से, शंभू प्रसाद सीवान से और विजय सिंह दरौदा से भाजपा प्रत्याशियों का रास्ता रोककर खड़े हैं. ये ऐसे लोग हैं, जिन्हें टिकट मिलने की प्रबल संभावना थी, पर भाजपा के अंदर की गुटबाज़ी ने इन नेताओं को टिकट से वंचित कर दिया. इसी तरह ठाकुरगंज के

पूर्व विधायक अवध बिहारी सिंह, अररिया के पूर्व प्रत्याशी अजय झा एवं बनमनखी से व्यासदेव पासवान भी बगावत का झंडा उठाए हुए हैं. ये तो नेताओं के स्तर पर विद्रोह की बात है. पटना में भी हरेन्द्र एवं रणवीर नंदन ने बागी बनकर चुनाव लड़ने का फ़ैसला कर लिया है. कार्यकर्ताओं के स्तर पर स्थिति और भी भयावह है. किशनगंज एवं पूर्णिया में जद-यू के सामने आत्मसमर्पण ने भाजपा कार्यकर्ताओं की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई. बहादुरगंज सीट जद-यू को देने से वरुण सिंह और उनके समर्थक काफी नाराज़ हैं. इसके अलावा नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार से अलग रखने के फ़ैसले से पूरे बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है. उन्हें लगता है कि पार्टी

जद-यू की पिछलग्गू बनती जा रही है, जिससे जनता के बीच जाकर अपनी बात रखने में दिक्कत आ रही है.

बागी बनकर रामगढ़ से चुनाव लड़ रही मालती गुप्ता कहती हैं कि जगदानंद सिंह हमेशा एनडीए के खिलाफ़ बोलते हैं और जब चुनाव का समय आया तो किसी स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट न देकर उनके

बेटे को टिकट दे दिया गया. जद-यू तो अपने बड़े नेताओं से ही ज़्यादा संकट में है. सांसद मोनाज़िर हसन की पत्नी राजद के टिकट पर मुंगेर से लड़ रही हैं. पूर्णमासी राम ने तो जैसे चंपारण में एनडीए को हारने की क़सम खा ली है. पत्नी को टिकट न मिलने से सांसद अर्जुन राय भी नाराज़ बताए जाते हैं. ललन सिंह ने तो खुलेआम ऐलान-ए-जंग कर रखा है. उषेंद्र कुशवाहा की नाराज़गी भी जद-यू को भारी पड़ रही है. अपनी बिरादरी में उषेंद्र का प्रभाव जद-यू प्रत्याशियों को संकट में डाल सकता है. उधर विजय कृष्ण जद-यू छोड़कर राजद में चले गए और बाद से चुनाव लड़ रहे हैं. उनके मैदान में आ जाने से वहां नीतीश कुमार के खास ज्ञानू संकट में फंस गए हैं. इसके अलावा टिकट

को लेकर समर्थकों की नाराज़गी अपनी जगह बनी हुई है. राजद-लोजपा को भी बागियों के वायरस ने परेशान कर रखा है. लोजपा में कुछ टिकट ऐसे लोगों को दे दिए गए, जिनका चुनाव हारने का रिकार्ड रहा है. इसके अलावा कुछ टिकट ऐसे लोगों को मिले, जिनकी क्षेत्र में पकड़ काफी ढीली है. रामविलास पासवान के दामाद मृणाल का राजगीर में भारी विरोध हो रहा है. चकाई से लोजपा प्रत्याशी विजय सिंह लगातार चुनाव हारते रहे हैं. लोजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के कई नेता पार्टी छोड़कर बागी तेवर अपनाए हुए हैं. पार्टी के दो विधायक अच्युतानंद सिंह एवं मंजर आलम दूसरे दल से चुनाव लड़कर लोजपा को संकट में डाले हुए हैं. राजद सांसद उमाशंकर सिंह ने तो खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वह पार्टी प्रत्याशियों को घूम-घूमकर हराएंगे. रघुवंश सिंह के भाई रघुपति ने भी कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है. कांग्रेस में भी बागियों की भरमार है. सदाकत आश्रम में तो रोज़ एक्शन फिल्म का सीन दिख जाता है. कांग्रेस के बड़े नेता मान चुके हैं कि टिकट बंटवारे में कुछ ख़ामियां रह गईं, इस कारण कार्यकर्ताओं में गुस्सा है. चंपारण में कार्यकर्ताओं का गुस्सा पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है. सारण में भी देवकुमार सिंह एवं धर्मनाथ राय जैसे नेताओं की अनदेखी कर दी गई. बताया जा रहा है कि सांसद उमाशंकर सिंह एवं ओमप्रकाश यादव के कारण कुछ दमदार नेता टिकट से वंचित रह गए, जिसका ख़ामियाज़ा पार्टी को उठाना पड़ सकता है. देखा जाए तो दर दल में आग लगी हुई है. इस कारण चुनौती दोहरी हो गई है. एक ओर विरोधी दलों से निपटना है, दूसरी ओर दल के बागियों एवं नाराज कार्यकर्ताओं को भी समझाना है. सभी जानते हैं कि इस बार लड़ाई आर-पार की है. जीत का अंतर भी काफी कम रहने वाला है. इसलिए कुछ वोटों का नुकसान भी सारा खेल बिगाड़ सकता है. बागी एवं भड़के कार्यकर्ता अगर नहीं माने तो विधानसभा जाने और सरकार बनाने का सपना धरा रह जाएगा. इसलिए कोशिश है कि पहले बागियों को मनाया और कार्यकर्ताओं को समझाया जाए. जिस सीट पर जितना जल्दी यह काम होगा, वहां दलीय प्रत्याशी को उतनी ही आसानी होगी. वरना, जैसा बागी कह रहे हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे वाली बात सच हो जाएगी.

feedback@chauthiduniya.com





भागलपुर में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का मानना है कि बेटी नेहा शर्मा की पैरवी से ही अजीत शर्मा टिकट पाने में भी सक्षम हुए हैं. बहरहाल, अजीत शर्मा जोर-शोर से चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं.

नेहा के पापा की चुनावी जंग

अजीत शर्मा से ज़िले के बहुत से कांग्रेसी नाराज़ हैं. वह कुछ कांग्रेसियों को मनाने की जुगत में हैं तो कुछ को बस दुआ-सलाम करके अपना काम चला रहे हैं.

ज़ाहिर है इस ग्लैमर कनेक्शन का लाभ तो शर्माजी को मिलना ही था. अजीत शर्मा पहली बार कांग्रेस की टिकट से 1990 में बिहपुर विधानसभा से चुनाव लड़े और हार गए. 2005 में फरवरी में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आलाकमान ने अजीत शर्मा को बिहपुर से टिकट देने से मना कर दिया, तो शर्मा जी ने भागलपुर से टिकट की मांग कर दी. पैसे की ताकत और संबंधी रहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामजनन सिन्हा का कमाल था कि उन्हें भागलपुर से टिकट मिल गया. लेकिन उनके हारने के रिकॉर्ड को देखते हुए कांग्रेस ने 2005 के नवंबर में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट देने से मना कर दिया. शर्मा जी तुरंत कांग्रेस का हाथ छोड़कर हाथी पर सवार हो गए. विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में भागलपुर संसदीय क्षेत्र से बसपा से चुनाव लड़ा. संसदीय चुनाव में भी वही हुआ जो हर बार होता आया था, वो फिर हार गए. जहां विजयी उम्मीदवार भाजपा के शाहनबाज़ हुसैन को ढाई लाख से अधिक वोट मिले, वहीं इनको केवल छह हजार के आसपास वोट मिले.

शर्माजी की इस आयराम गयाराम वाली हरकत को देखकर सबको यही लग रहा था कि उन्हें इस बार कांग्रेस में जगह नहीं मिलेगी. लेकिन इस बार कांग्रेस ने भागलपुर विधानसभा से टिकट तक दे डाला. टिकट

किस आधार पर मिला, यह किसी को नहीं मालूम. वहीं भागलपुर में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का मानना है कि बेटी नेहा शर्मा की पैरवी से ही अजीत शर्मा टिकट पाने में भी सक्षम हुए हैं. बहरहाल, अजीत शर्मा जोर-शोर से चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं. हर बार की तरह इस बार भी अजीत शर्मा गली-गली जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं. कांग्रेसियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और वोटों को यही यकीन दिला रहे हैं कि मैं ही आपका अजीत शर्मा हूँ. शर्मा जी से उनकी जीत के बारे में पूछने पर वो पिछले चुनावों में मिले वोट का ब्यौरा देना शुरू कर देते हैं. इस बार भी अपनी जीत को सुनिश्चित बताते हुए बेटी नेहा के चुनाव प्रचार में आने संबंधी बात को अफवाह करार देते हैं.

अजीत शर्मा से ज़िले के बहुत से कांग्रेसी नाराज़ हैं. शर्मा जी कुछ कांग्रेसियों को मनाने की जुगत में हैं, तो कुछ को बस दुआ सलाम कर अपना काम चला रहे हैं. वह अपने घर पर ही पार्टी का दफ्तर खोल चुके हैं. इस बार भी कार्यकर्ताओं के लिए धन द्वार खोल चुके हैं. विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की बात होते ही सबकी जुबान पर एक ही चर्चा होती है, क्या चुनाव के अंतिम दौर में नेहा पापा के चुनाव प्रचार में आएंगी? वैसे अजीत शर्मा को टिकट मिलने से भाजपा प्रत्याशी अश्विनी चौबे भी मन ही मन गदगद हैं.

kumarsushant@chaudhidiya.com



कुमार सुशान्त

कहते हैं कि अगर एक बार जिस पर राजनीति और नेतागिरी का नशा चढ़ जाए फिर तो उतारे नहीं उतरता. सत्ता और कुर्सी पर नज़र कुछ यूँ टिक जाती है कि फिर सारे नज़ारे धुंधले पड़ जाते हैं. उस पर लक्ष्मी भी मेहरबान हो तो कहने ही क्या. आप भी राजनीति के नशे में सराबोर ऐसे बहुत से नेताओं को जानते होंगे. लेकिन भागलपुर विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा की बात कुछ जुदा-जुदा सी है. इन पर यह नशा कुछ ज़्यादा ही सर चढ़कर बोल रहा है. अजीत शर्मा चार बार विधायक और एक बार सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं. एक बार ज्योतिष ने तो शर्मा जी को यहां तक कह दिया कि आप चुनाव क्यों लड़ते हैं, आपके हाथ की लकीरों में सांसद क्या, विधायक बनना भी नहीं लिखा है. लेकिन शर्मा जी हैं कि हर विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ते हैं और रुपया राशन-पानी की तरह खर्च करते हैं. लेकिन इस बार के चुनाव में शर्माजी की बेटी नेहा शर्मा ग्लैमर का तड़का लगा रही हैं. चुनाव के ऐन मौके पर उनकी बेटी नेहा शर्मा की फिल्म क्रुक रिलीज़ हुई. महेश भट्ट की इस फिल्म में नेहा के साथ इमरान हाशमी नज़र आ रहे हैं.

शरद पवार जिन्दाबाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिन्दाबाद तारिक अनवर जिन्दाबाद

चकाई विधानसभा क्षेत्र के कर्मठ एवं ईमानदार उम्मीदवार नेपाली सिंह को

चुनाव चिन्ह (घड़ी छाप) पर

वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावें

शरद पवार

घर का लाल घर-घर में जलायेगा चिराग

नेपाली सिंह

Rajbari
Tea Lounge
THE TEA SUPERSTORE

Anything n Everything about TEA
All under one Super Store
◆ Tea Store ◆ Tea Accessories ◆ Tea Bar

BHAGAT TOLI ROAD, KISHANGANJ (BIHAR)

India's leading chain of Tea Super Stores



Franchisee requirements

Space : 250-300 sq. ft. Investment : 4-5 Lacs
For information : www.rajbaritealounge.com
Call : 09430504070, 06456-225102 or
Email : rajbaritealounge@gmail.com